संघ प्रदेश दमण एवं दीव की आपात प्रबंधन योजना

पुस्तक – I

प्रस्तावना

दमण एवं दीव के विभिन्न हिस्से बाढ़, चक्रवात तूफान, भूकंप, सुनामी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। इन प्राकृतिक खतरों के अलावा बड़ी आग, औद्योगिक दुर्घटनाएं, आतंकवादी हमलें आदि जैसे मानव निर्मित आपदाओं की संभावना रहती है ।

दमण और दीव एक छोटा संघ प्रदेश है जिसमें केवल 02 जिले हैं। संघ प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 112 वर्ग किलोमीटर है जहां जनसंख्या 2.42 लाख है, जिसमें से 75.16% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तथा जनसंख्या का घनत्व 2169 प्रति वर्ग किलोमीटर है।

प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में यह सं.प्र.आ.प्र. योजना, दमण और दीव तैयार की गई है। यह योजना बहुविध कमजोरियों से निपटने के लिए उपयोगी होनी चाहिए और हमेशा बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, उच्च जोखिम क्षेत्रों के विकास, पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु परिवर्तन, संघ प्रदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्थायी विकास जैसे कारकों पर आधारित होना चाहिए।

संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन योजना, दमण और दीव का उद्देश्य रोकथाम और तैयारी, संचालन, समन्वय, और समुदाय जागरूकता और भागीदारी के लिए गतिविधियों को सरल एवं सुसाध्य बनाना है ।

योजना का ढांचा आ.प्र. में एक राहत केंद्र के दृष्टिकोण से आ.प्र. में प्रतिमान परिवर्तन पर आधारित है जिसमें तैयारी, रोकथाम और शमन के महत्व अपेक्षित करता है। टीम ने योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन किया है।

इस योजना दस्तावेज में दो खंड होते हैं। पुस्तक-I में आपदा प्रबंधन और सुभेद्यता आकलन और जोखिम विश्लेषण पर एक अध्याय शामिल है। पुस्तक-II में सभी अनुलग्नक शामिल हैं।

अनुक्रमणिका

	संक्षिप्ति	4-6
अध्याय: 1	**परिचय** 1.1 लक्ष्य 1.2 नीति 1.3 विषय 1.4 ध्येय 1.5 प्रेरक तंत्र और योजना सक्रियता 1.6 आपदाओं का स्तर 1.7 संस्थागत व्यवस्था 1.8 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना 1.9 संघ प्रदेश में आपदा प्रबंधन संरचना 1.10 सं.प्र.आ.प्र. योजना के शेयरधारक 1.11 भूमिका और जिम्मेदारियां 1.12 वित्तीय व्यवस्था	7-21
अध्याय: 2	**संघ प्रदेश की प्रोफाइल** 2.1 अवस्थिति मानचित्र 2.2 दमण एवं दीव का मानचित्र 2.3 दमण का मानचित्र 2.4 दीव का मानचित्र 2.5 अन्य विवरण	22-33
अध्याय: 3	**दमण और दीव के खतरे का जोखिम और भेद्यता विश्लेषण** 3.1 परिचय 3.2 चक्रवात 3.3 बाढ़ 3.4 भूकंप 3.5 सुनामी 3.6 रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएं 3.7 अग्निकांड संबंधी आपदा 3.8 महामारी	34-50
अध्याय: 4	**निवारक और तैयारी संबंधी उपाय** 4.1 रणनीति 4.2 रोकथाम और शमन उपाय 4.3 विकास योजनाओं/परियोजनाओं में आ.प्र. मामलों की मुख्यधारा 4.4 तैयारी उपाय	51-60

अध्याय: 5	**आपदा प्रतिक्रिया** 5.1 संस्थागत व्यवस्था 5.2 प्रेरक तंत्र और योजना सक्रियता । 5.3 आपदा प्रतिक्रिया में संघ प्रदेश प्रशासन की भूमिका। 5.4 आपदा के दौरान मीडिया के साथ काम करना।	61-82
अध्याय: 6	**आपदा विशिष्ट योजना** 6.1 चक्रवात 6.2 बाढ़ 6.3 भूकंप 6.4 सुनामी 6.5 रासायनिक और औद्योगिक आपदा 6.6 महामारी	83-118
अध्याय: 7	पुनर्वास और पुनर्निर्माण	119-121
अध्याय: 8	योजना अनुरक्षण	122-123
अध्याय: 9	अन्य अंशधारकों के साथ साझेदारी	124-127.

संक्षिप्ति

ए.ए.आई.	भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण
ए.सी.डब्ल्यू.सी.	क्षेत्र चक्रवात चेतावनी केंद्र
बी.आई.एस.	भारतीय मानक ब्यूरो
बी.ओ.ओ.टी.	खुद का संचालन और स्थानांतरण बनाएँ
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा से नीचे
सी.बी.ओ.	समुदाय आधारित संगठन
सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सी.एफ.ओ.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी
सी.एम.जी.	संकट प्रबंधन समूह
सी.ओ.आर.	राहत आयुक्त
सी.आर.पी.एफ.	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
सी.डब्ल्यू.सी.	केंद्रीय जल आयोग
सी.डब्ल्यू.सी.	चक्रवात चेतावनी केंद्र
सी.डब्ल्यूडी.एस.	चक्रवात चेतावनी प्रसार प्रणाली
डी.सी.एम.जी.	जिला संकट प्रबंधन समूह
डी.सी.आर.	जिला नियंत्रण कक्ष
डी.ई.ओ.सी.	जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र
डी.जी.एच.एस.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
ई.एम.एस.	आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं
ई.ओ.सी.	आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर
ई.आर.टी.	आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम
एफ.एंड.ई.	अग्नि और आपातकालीन सेवाएं
जी.ए.डी.	सामान्य प्रशासन विभाग
डी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.आई.	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
एच.ए.जेड.सी.एच.ई.एम.	खतरनाक रसायन
एच.एफ./वी.एच.एफ.	उच्च आवृत्ति / अति उच्च आवृत्ति
एच.ओ.डी.	विभाग अध्यक्ष
एच.आर.वी.ए.	खतरे, जोखिम और सुभेद्यता आकलन
आई.डी.आर.एन.	भारत आपदा संसाधन नेटवर्क
आई.ई.सी.	सूचना शिक्षा संचार
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.सी.आई.एस.आई.	राष्ट्रीय सागर विज्ञान सेवा केंद्र
आई.एन.एस.ए.टी.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली

इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आई.टी.सी.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई.टी.सी.एस.	सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली
एल.सी.जी.	स्थानीय संकट प्रबंधन समूह
एम.ए.एच.	मेजर दुर्घटना खतरे
एम.एफ.आर.	मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एम.ओ.ए.	कृषि मंत्रालय
एम.ओ.सी. व एफ.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
एम.ओ.सी. व आई.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
एम.ओ.डी.	रक्षा मंत्रालय
एम.ओ.ई.एफ.	पर्यावरण और वन मंत्रालय
एम.ओ.एफ.	वित्त मंत्रालय
एम.ओ.एल.ई.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
एम.ओ.पी. व एन.जी.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एम.ओ.एस.आर.टी. व एच.	जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एम.एस.जेड.	मकरन सबडक्शन ज़ोन
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति
एन.ई.आई.सी.	राष्ट्रीय भूकंप सूचना केंद्र
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.जी.आर.आई.	राष्ट्रीय भूगर्भ शोध संस्थान
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एन.आई.ओ.टी.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान
एन.एस.आर.ए.	नेवादा भूकंपीय अनुसंधान सहयोगी
एन.डब्ल्यू.आर.डब्लू.एस.	नर्मदा जल संसाधन जल आपूर्ति
पी.एम.ओ.	प्रधान मंत्री कार्यालय
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी भागीदारी
एस.ए.आर.	खोज और बचाव
यू.टी.सी.जी.	संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन समूह

यू.टी.सी.एम.सी.	संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन समिति
यू.टी.डी.एम.ए.	संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
यू.टी.डी.एम.पी.	संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन योजना
यू.टी.डी.आर.एन.	संघ प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क
यू.टी.ई.ओ.सी.	संघ प्रदेश आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर
एस.एम.एस.	लघु संदेश सेवा
एस.ओ.पी.	मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया
यू.एन.डी.पी.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यू.टी.	संघ प्रदेश

अध्याय 1: परिचय

इस योजना को दमण और दीव आपदा प्रबंधन योजना "(यू.टी.डी.एम.पी.) के रूप में जाना जाएगा और संघ प्रदेश दमण और दीव प्रशासन में लागू होगा।

1.1 लक्ष्य

आपदा प्रबंधन का लक्ष्य समग्र, सक्रिय, बहु आपदा और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित एवं आपदा तन्यक दमण एवं दीव बनाने का है। यह लोगों पर आपदा के प्रभाव को रोकथाम, शमन और तत्पर वातावरण के माध्यम से कम करने के लिए हासिल किया जाएगा। संघ प्रदेश दमण और दीव प्रशासन को इस प्रकार तैयार करना है जहां की समुदाय तात्कालिकता के साथ आपदाओं का सामना पर जान, माल और पर्यावरण के नुकसान को कम करते हुए योजनाबद्ध तरीके से कर सके।

1.2 नीति

लोगों के जान की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, हालांकि, संपत्ति और पर्यावरण के न्यूनतम नुकसान की भी योजना तैयार की जाएगी।

1.3 विषय

इसमें संघ प्रदेश में आपदाओं का जोखिम और भेद्यता मूल्यांकन शामिल है। यह रोकथाम और शमन के लिए योजना, विकास योजनाओं / कार्यक्रमों / परियोजनाओं, क्षमता निर्माण और तैयारी उपायों, प्रत्येक सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों, जोखिम हस्तांतरण तंत्र और भविष्य के आपदाओं के लिए प्रभावी कार्यक्रम प्रबंधन में मुख्यधारा की आपदा की योजना प्रदान करता है। यह वार्षिक योजना की समीक्षा और अद्यतनीकरण भी प्रदान करता है।

1.4 योजना का ध्येय

दमण और दीव आपदा प्रबंधन योजना के संघ प्रदेश प्रशासन का बुनियादी उद्देश्य को मानव जीवन और संपत्ति पर आपदा के प्रभाव को कम करना है, लोगों को राहत पहुँचाना" जल्द से जल्द सामान्य स्थिति को बहाल करना है।

इस उद्देश्य को निम्नलिखित कार्यवाही के माध्यम से हासिल किया जा सकता है: -

- आपदाओं से जीवन और संपत्ति / बुनियादी ढांचे के नुकसान की रक्षा और उसे कम करना।
- आपदा स्थिति में संसाधनों की तैनाती के लिए जिला प्रशासन में आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, पुलिस, अग्निशमन, तटरक्षक, नगरपालिका परिषद, पंचायत, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय के साथ उपलब्ध मौजूदा संसाधनों और सुविधाओं की स्थिति सुनिश्चित करना और सबसे प्रभावी तरीके से आपदा का सामना करना..
- संघ प्रदेश में संरचनात्मक ढांचागत और लोगों की आपदा जोखिम की भेद्यता को कम करना।
- पाठ्यचर्या संशोधन, सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) जागरूकता अभियान के माध्यम से रोकथाम और शमन की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु; आपदा प्रबंधन सभी स्तरों पर, मॉक-ड्रील, खतरनाक संचार, जोखिम स्तर और सामुदायिक स्तर पर भेद्यता और सुव्यवस्थित और संस्थागत तकनीकी-कानूनी ढांचे पर योजना बना रहा है।
- आपदाओं से निपटने और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए संघ प्रदेश में सभी हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना।

- विकास की योजना प्रक्रिया की मुख्यधारा में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को शामिल करना ।
- संघ प्रदेश में कुशल आपदा प्रतिक्रिया / राहत तंत्र का विकास ।
- आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी हितधारकों के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्टता लाना।
- आपदा प्रबंधन से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों जैसे सभी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय और उत्पादक साझेदारी को बढ़ावा देना ।
- जीवन और संपत्ति की रक्षा करना और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति की प्रभावित और पुनर्स्थापना को राहत के साथ अधिकतम सीमा तक आपदा की कमी सुनिश्चित करने के लिए ।
- कार्यक्रम में समुदाय को शामिल करके भविष्य में आपदा के मामले में बेहतर निर्माण के अवसर के रूप में पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम शुरू करें।

1.5 प्रेरक तंत्र और योजना सक्रियता :

आपदा प्रतिक्रिया संरचना आपदा चेतावनी / आपदा की घटना होने की जानकारी प्राप्त होने पर सक्रिय की जाएगी। सबसे तेज़ साधनों से राहत / यू.टी.डी.एम.ए. (एस.डी.एम.ए.) के आयुक्त को संबंधित निगरानी प्राधिकारी द्वारा आपदा की घटना की सूचना दी जा सकती है। राहत आयुक्त (सी.ओ.आर.) / कलेक्टर संघ प्रदेश (दमण) ई.ओ.सी., और जिला ई.ओ.सी. सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों को सक्रिय करेगें और संघ प्रदेश स्तर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष / प्रशासक को सूचित करेगें । साथ ही, वे निम्नलिखित विवरण शामिल करने के लिए निर्देश जारी करेंगे :

- संसाधनों की सटीक मात्रा (प्रमुख विभागों / हितधारकों से जनशक्ति, उपकरणों और आवश्यक वस्तुओं के मामले में) की आवश्यकता है ।
- प्रदान की जाने वाली सहायता का प्रकार।
- सहायता हेतु अपेक्षित समय-सीमा ।
- अन्य कार्य / प्रतिक्रिया बल का विवरण जिसके माध्यम से समन्वय होना चाहिए।

संघ प्रदेश (दमण) ई.ओ.सी. और संघ प्रदेश स्तर के साथ-साथ जिला नियंत्रण कक्षों के अन्य नियंत्रण कक्षों को पूर्ण क्षमता के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए। एक बार स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है और सामान्य स्थिति बहाल हो जाती है तो उस स्थिति में सी.ओ.आर. आपातकालीन कर्तव्यों में तैनात कर्मचारियों को वापस लेने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया के अंत की घोषणा करते हैं । और निर्देश जारी करते हैं ।

जिला स्तर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (कलेक्टर डी.डी.एम.ए. के अध्यक्ष हैं) संघ प्रदेश में आपदा प्रबंधन का कार्यात्मक नोड होगा और हमारे नियंत्रण कक्ष यानी ई.ओ.सी. में स्थापित किया जाएगा। इस ई.ओ.सी. में संबंधित जिलों सहित सभी संबंधित लोगों की दूरभाष संख्या और आई.आर.डी.एन. सूची द्वारा आपदा का सामना करने के लिए संसाधन से संबंधित जानकारी के बारे में डी.आर.एन. सूची और उनके द्वारा उपलब्ध संसाधनों पर सभी सूचनाओं और नियंत्रणों की संपूर्ण सूची होगी। प्राधिकरण इन रेखाओं पर काम करेगा ।

- संचार,

- सार्वजनिक / जन जागरूकता हेतु सूचनाओं का वितरण। हमने विभिन्न विभागों के निकटतम समन्वय के लिए वायरलेस सिस्टम का प्रस्ताव दिया है।

- **खोज एवं बचाव (एस.ए.आर.) :**

• **समुद्री एस.ए.आर.** – यह कार्य तटरक्षक द्वारा किया जाएगा ।

• **भूतल एस.ए.आर.**- यह पुलिस, अग्नि और नागरिक रक्षा द्वारा किया जाएगा।

• **कार्मिक और उपकरण** - हमारी संसाधन सूची के अनुसार, समन्वय समिति आवश्यकता कार्य सभी संसाधनों को संगठित करेगी।

• **चिकित्सा सुविधाएं** – यह कार्य निदेशक (स्वास्थ्य) द्वारा किया जाएगा ।

• **गैर-सरकारी संगठन** - विभिन्न गैर सरकारी संगठन उप जिला मैजिस्ट्रैट / उप-समाहर्ता के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे।

• **परिवहन** - यह विभाग निकासी के लिए और राहत सामग्री की आपूर्ति के लिए वाहन प्रदान करेगा।

• **नागरिक आपूर्ति** - यह सीधे उप-समाहर्ता द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस विभाग का सबसे बड़ा कार्य भोजन, पानी, राहत सामग्री प्रदान करना और विभिन्न चिन्हित स्थानों पर आपातकालीन आश्रय बिंदु चलाने के लिए होगा।

• **लोक निर्माण विभाग** - यह विभाग पेयजल सुविधा, सरकारी भवनों का अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा । इमारतों, अस्थायी शौचालयों के प्रावधान और सड़कों के संचार नेटवर्क को बनाए रखने के लिए कार्य करेगा।

• **विद्युत विभाग** - यह विभाग जेनरेटर सेट के माध्यम से विभिन्न आश्रय बिंदुओं, अस्पतालों और ई.ओ.सी. में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। सामान्य विद्युत आपूर्ति भी बहाल किया जाएगा....

• **विविध** - समन्वय प्राधिकरण निम्नलिखित मुद्दों के बारे में व्यवस्था करेगा:

- राहत निधि
- साफ-सफाई
- जल निकासी
- मृतकों का अंतिम संस्कार
- मृत पशुओं का निपटान।

1.6 आपदाओं का स्तर

संघ प्रदेश और जिलों में प्रतिक्रियाओं और सहायता को सुविधाजनक बनाने के लिए आपदाओं के विभिन्न स्तरों को परिभाषित करने के लिए 'एल' अवधारणा विकसित की गई है।

एल-0 स्तर सामान्य समय को दर्शाता है जिसका उपयोग निकट निगरानी, दस्तावेज़ीकरण, रोकथाम और प्रारंभिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए खोज और बचाव, अभ्यास, मूल्यांकन और सूची-अद्यतनीकरण पर प्रशिक्षण समय के दौरान किया जाएगा।

एल-1 स्तर आपदा को निर्दिष्ट करता है जिसे जिला स्तर पर प्रबंधित किया जा सकता है, हालांकि, यदि आवश्यक हो तो सहायता प्रदान करने के लिए संघ प्रदेश और केंद्र तत्पर रहेंगे।

एल-2 स्तर आपदा स्थितियां हैं, जिन्हें संघ प्रदेश की सहायता और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, आपदाओं के प्रबंधन के लिए अपने संसाधनों को जुटाना ।

एल-3 स्तर की आपदा स्थिति बड़े पैमाने पर आपदा के मामले में है जब संघ प्रदेश और जिला प्राधिकरण अभिभूत हो गए हों तो और संघ प्रदेश और जिला मशीनरी के बहाल करने के साथ-साथ बचाव, राहत, अन्य प्रतिक्रिया और वसूली उपायों के लिए केंद्र सरकार से सहायता की आवश्यकता है। ज्यादातर मामलों में, आपदा का पैमाना और तीव्रता आई.एम.डी. जैसी संबंधित तकनीकी एजेंसी द्वारा निर्धारित अनुसार एल-3 आपदा की घोषणा के लिए पर्याप्त है।

1.7 संस्थागत व्यवस्था

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 भारत में राष्ट्रीय, राज्य/संघ प्रदेश और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए विधिक और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। भारत की राष्ट्रीय नीति में आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार को निहित करती है। केंद्र सरकार नीतियों और दिशा-निर्देशों को बताती है और तकनीकी, वित्तीय और भोजन सहायता प्रदान करती है, जबकि जिला प्रशासन केंद्रीय और संघ प्रदेश स्तर एजेंसियों के सहयोग से अधिकांश परिचालन करता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

यह अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर संस्थागत, विधिक, वित्तीय और समन्वय तंत्र को निर्धारित करता है। ये संस्थान समांतर संरचनाएं नहीं हैं और निकट सद्भाव में काम करेंगे। नए संस्थागत ढांचे से आपदा प्रबंधन में राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से एक सक्रिय शासन के लिए एक आदर्श बदलाव की उम्मीद है जो तैयारी, रोकथाम और शमन पर अधिक जोर देता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में एन.डी.एम.ए. का नेतृत्व प्रधान मंत्री करते हैं और आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना उनकी ज़िम्मेदारी है। दिशानिर्देश केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को अपनी संबंधित आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने में सहायता करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन.डी.आर.एफ.) की सामान्य अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण एन.डी.एम.ए. में निहित है और इसके द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) एन.डी.एम.ए. द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों के ढांचे के भीतर काम करता है।

हालांकि, एन.डी.एम.ए., दिशा-निर्देश तैयार कर सकता है और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सी.बी.आर.एन.) आपात स्थिति के संबंध में प्रशिक्षण और तैयारी गतिविधियों को सुविधाजनक बना सकता है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ उपलब्ध संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम

हैं, आने वाले आपदाओं/आपदाओं के समय आपातकालीन समस्याओं से निपटने वाले नोडल मंत्रालयों/एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 8 में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन.ई.सी.) के गठन का अधिकृतपत्र है। इसमें केन्द्रीय गृह सचिव को अध्यक्ष और कृषि परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन मंत्रालय, वित्त (व्यय), स्वास्थ्य, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, विज्ञान मंत्रालयों / विभागों के सचिव और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन और स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा कर्मी के प्रमुख के प्रधान सदस्य शामिल है । विदेश मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान, मानव संसाधन विकास, खान, नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग और सचिव, एन.डी.एम.ए. सचिव एन.ई.सी. की बैठकों में विशिष्ट अतिथि होंगे ।

एन.ई.सी. एन.डी.एम.ए. की कार्यकारी समिति है, और एन.डी.एम.ए. को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करने और केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यू.टी.डी.एम.ए.)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 प्रत्येक राज्य/संघ प्रदेश को राज्य / संघ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करना अनिवार्य बनाती है। संघ प्रदेश स्तर पर प्रशासक की अध्यक्षता में संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यू.टी.डी.एम.ए.), दमण और दीव के संघ प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और योजनाओं को निर्धारित करता है। यू.टी.डी.एम. योजना के कार्यान्वयन को समन्वयित करने के लिए भी जिम्मेदार है, शमन और तैयारी उपायों के लिए धन के प्रावधानों की सिफारिश करें और निवारक, तैयारी और शमन उपायों के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए संघ प्रदेश के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करें।

संघ प्रदेश प्राधिकरण के अध्यक्ष, आपात स्थिति के मामले में, संघ प्रदेश प्राधिकरण की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति होगी, लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग संघ प्रदेश प्राधिकरण के वास्तविक पद के पूर्वोत्तर के अधीन होगा।

संघ प्रदेश प्राधिकरण की शक्ति और कार्य

क. संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन योजना का निर्धारित करता है;

ख. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संघ प्रदेश योजना को अनुमोदन देना ।

ग. केंद्र शासित प्रदेश के विभागों द्वारा तैयार संघ प्रदेश योजनाओं को अनुमोदन देना ।

घ. अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं और शमन की रोकथाम के लिए उपायों के एकीकरण के उद्देश्य के लिए संघ प्रदेश के विभागों द्वारा दिशानिर्देशों का पालन करना और आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना;

ङ. संघ प्रदेश योजना के कार्यान्वयन को समन्वयित करना;

च. शमन और तैयारी उपायों के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना ;

छ. संघ प्रदेश के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करना तथा सुनिश्चित करना कि शमन और तैयारी उपायों को एकीकृत किया गया है;

ज. संघ प्रदेश के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करना और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना ।

संघ प्रदेश कार्यकारी समिति

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, 2005 की धारा 20 प्रत्येक राज्य/संघ प्रदेश क्षेत्र को राज्य/संघ प्रदेश कार्यकारी समिति का गठन करने का आदेश देती है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, 2005 की धारा 22 एस.ई.सी./यू.टी.ई.सी. के कार्यों के बारे में बताती है। ये निम्नलिखित हैं:

1. संघ प्रदेश कार्यकारी समिति के पास राष्ट्रीय योजना और संघ योजना लागू करने और संघ प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी होगी ।

2. उप-धारा के प्रावधानों की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना संघ प्रदेश कार्यकारी समिति-

(क) राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और संघ प्रदेश योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी;

(ख) संघ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की आपदाओं के विभिन्न रूपों की सुभेद्यता की जांच करें और उनकी रोकथाम या शमन के लिए उपाय किए जाएं;

(ग) संघ प्रदेश और जिला प्राधिकरणों के विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगी ।

(घ) संघ प्रदेश और जिला प्राधिकरणों के विभागों द्वारा तैयार आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी ।

(ङ) संघ प्रदेश प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विकास योजनाओं और परियोजनाओं में विभागों द्वारा आपदाओं और शमन की रोकथाम के उपायों को एकीकृत करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की की जाए;

(च) किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा का जवाब देने के लिए सभी सरकारी या गैर-सरकारी स्तरों पर तैयारी का मूल्यांकन करें और ऐसी तैयारी को बढ़ाने के लिए जहां आवश्यक हो, निदेश दें;

(छ) किसी भी खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया हेतु समन्व करें ;

(ज) किसी भी खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के जवाब में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में संघ प्रदेश प्रशासन या किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के किसी भी विभाग को दिशा-निर्देश दें;

(झ) जिन आपदाओं के प्रकारों के संबंध में राज्य के विभिन्न हिस्से कमजोर हैं उनके बारे में सामान्य शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के बारे में और आपदा को रोकने, कम करने और इस तरह के आपदा का जवाब देने के लिए ऐसे समुदाय द्वारा किए जा सकने वाले उपाये ;

(ञ) आपदा प्रबंधन में लगे संघ प्रदेश प्रशासन, जिला प्राधिकरणों, सांविधिक निकायों और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के विभागों की गतिविधियों की सहायता, सहायता और समन्वय;

(ट) जिला प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करें या सहायता दें ;

(ठ) आपदा प्रबंधन के संबंध में सभी वित्तीय मामलों में राज्य सरकार को सलाह दें;

(ड) संघ प्रदेश के किसी भी स्थानीय क्षेत्र में निर्माण कार्य की जांच करें, और यदि इसकी यह राय है कि आपदा की रोकथाम के लिए इस तरह के निर्माण के लिए रखे मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है, तो जिला प्राधिकारी /स्थानीयनअधिकारी को जैसा भी मामला इस तरह के मानकों के अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश दे सकते हैं ;

(ढ) राष्ट्रीय प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी प्रदान करें;

(ण) राज्य स्तर की प्रतिक्रिया योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित, समीक्षा और अद्यतन करें और सुनिश्चित करें कि जिला स्तर की योजनाएं तैयार की गई हैं, समीक्षा की गई हैं और अपडेट की गई हैं;

(त) सुनिश्चित करें कि संचार प्रणाली सही हैं और आपदा प्रबंधन अभ्यास समय-समय पर किए जाते हैं;

(थ) ऐसे अन्य कार्यों को निष्पादित करें जिन्हें संघ प्रदेश प्राधिकरण द्वारा इन्हें सौंपा जा सकता है या जैसा कि यह आवश्यक समझे ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

राष्ट्रीय आपदा अधिनियम, 2005 की धारा 25 91) प्रत्येक राज्य/संघ प्रदेश को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का आदेश देती है और राष्ट्रीय आपदा अधिनियम, 2005 की धारा 30 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों के बारे में बताती है। ये कार्य निम्नलिखित हैं: -

(1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला नियोजन, समन्वय और कार्यान्वयन के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और संघ प्रदेश प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जिला प्राधिकरण-

(i) जिला के लिए जिला प्रतिक्रिया योजना सहित एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें;

(ii) **राष्ट्रीय नीति, संघ प्रदेश नीति, राष्ट्रीय योजना, संघ प्रदेश योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की समन्वय और निगरानी;**

(iii) सुनिश्चित करें कि आपदाओं के प्रति संवेदनशील जिले के क्षेत्रों की पहचान की जाती है और आपदाओं की रोकथाम के लिए उपाय और इसके प्रभावों के शमन के विभागों द्वारा किए जाते हैं। जिला स्तर के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों द्वारा सरकार;

(iv) आपदाओं की रोकथाम, इसके प्रभावों में कमी लाने, तैयारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण और संघ प्रदेश प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिक्रिया उपायों के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन जिला स्तर पर प्रशासन के विभाग और जिले के स्थानीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करें ;

(v) जिला स्तर पर और स्थानीय अधिकारियों के विभिन्न अधिकारियों को दिशानिर्देशों की रोकथाम या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दें जो आवश्यक हो;

(vi) जिलों के स्तर पर और स्थानीय प्राधिकरणों में प्रशासन विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करें ;

(vii) जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तैयार आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की संवीक्षा करें ;

(viii) जिला स्तर पर प्रशासन के विभागों द्वारा उनके विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं और शमन की रोकथाम के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए दिशानिर्देशों को निर्धारित करें और आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करें ;

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करें;

(x) जिले में आपदा या भयावह आपदा स्थिति का जवाब देने के लिए क्षमताओं की स्थिति की समीक्षा करें और जिला स्तर पर प्रासंगिक विभागों या अधिकारियों यथा आवश्यक हेतु को निर्देश दें।

(xi) तैयारी उपायों की समीक्षा करें और संबंधित विभागों को जिला स्तर या अन्य संबंधित प्राधिकरणों को जहां भी किसी भी आपदा या प्रभावी आपदा स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक स्तरों पर तैयारी उपायों को लाने की जरूरत है ;

(xii) जिला में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के हेतु निदेश दें। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और समन्वय करें ;

(xiii) स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के समर्थन के साथ आपदा या शमन की रोकथाम के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के बढ़ावा दें।

(xiv) प्रारंभिक चेतावनियों और जनता को उचित जानकारी के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना, रखरखाव, समीक्षा और उन्नयन करें ;

(xv) जिला स्तर की प्रतिक्रिया योजना और दिशानिर्देश तैयार करें, समीक्षा करें और अद्यतन करें;

(xvi) किसी भी खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए समन्वय प्रतिक्रिया दें ;

(xvii) सुनिश्चित करें कि जिला स्तर पर प्रशासन विभाग और स्थानीय प्राधिकरण जिला प्रतिक्रिया योजना के अनुसार कार्य करें ;

(xviii) किसी भी खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के संबंध में को प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए उपायों को अपनाने हेतु जिला स्तर की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिला स्तर या किसी अन्य प्राधिकरण के प्रशासन के संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दें, या दिशा दें ;

(xix) जिले में आपदा प्रबंधन में लगे स्तरीय सांविधिक निकायों और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों में प्रशासन के विभागों की गतिविधियों में सलाह, सहायता और समन्वय प्रदान करें ;

(xx) जिला में आपदा की स्थिति या आपदा की धमकी या रोकथाम के उपाय तत्काल और प्रभावी ढंग से अपनायें जाना सुनिश्चित करने हेतु जिला में स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय, और दिशानिर्देश प्रदान करें ;

(xxi) जिले के स्थानीय प्राधिकारियों को अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता या सलाह दें।

(xxii) आपदा की रोकथाम या इसके शमन के लिए आवश्यक प्रावधान बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय सांविधिक प्राधिकारियों या स्थारनीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार विकास योजनाओं की समीक्षा करें ;

(xxiii) जिले के किसी भी क्षेत्र में निर्माण की जांच करें और, यदि यह राय है कि ऐसे निर्माण के लिए आपदा या शमन की रोकथाम के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है, तो संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया जा सकता है।

1.8 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना

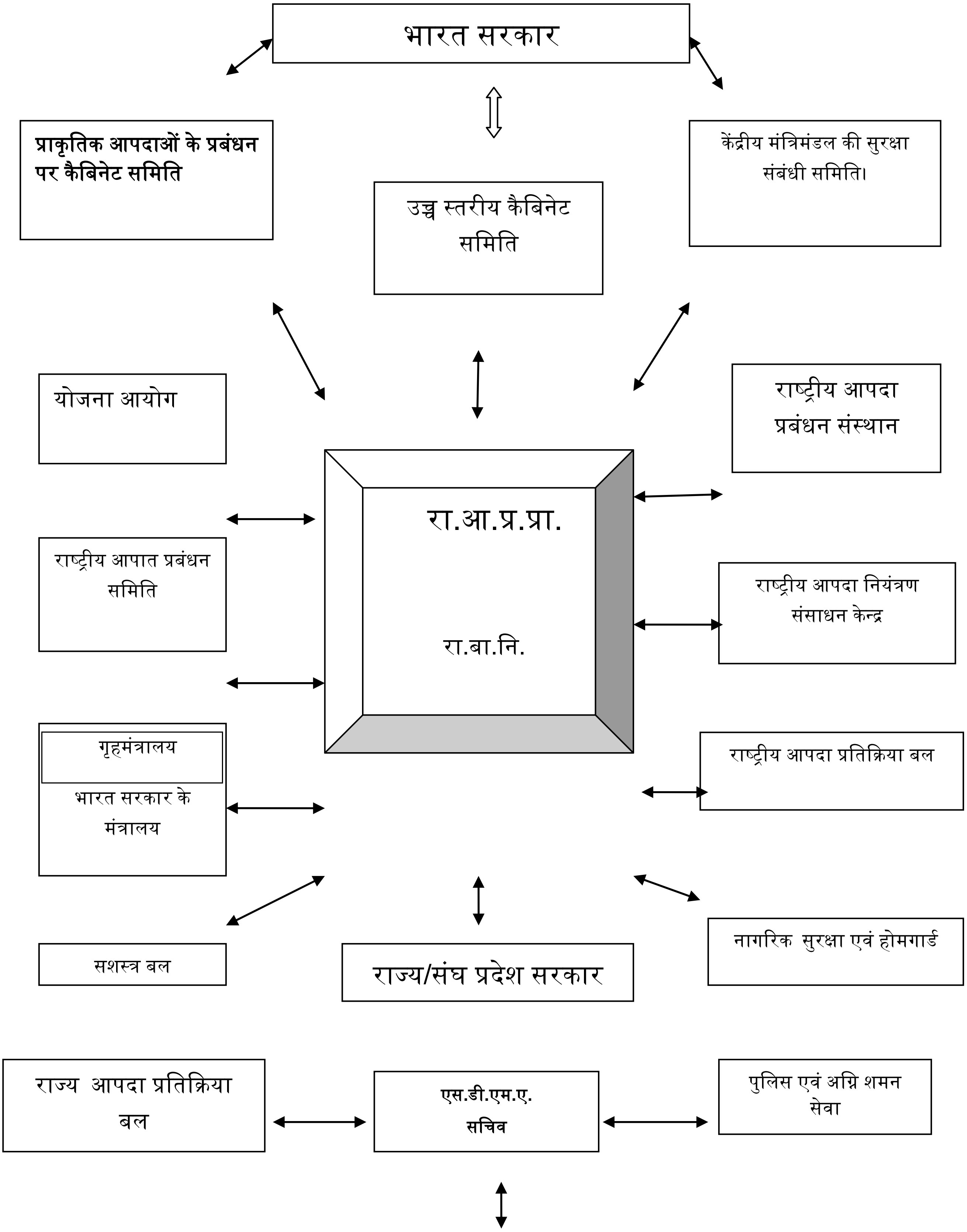

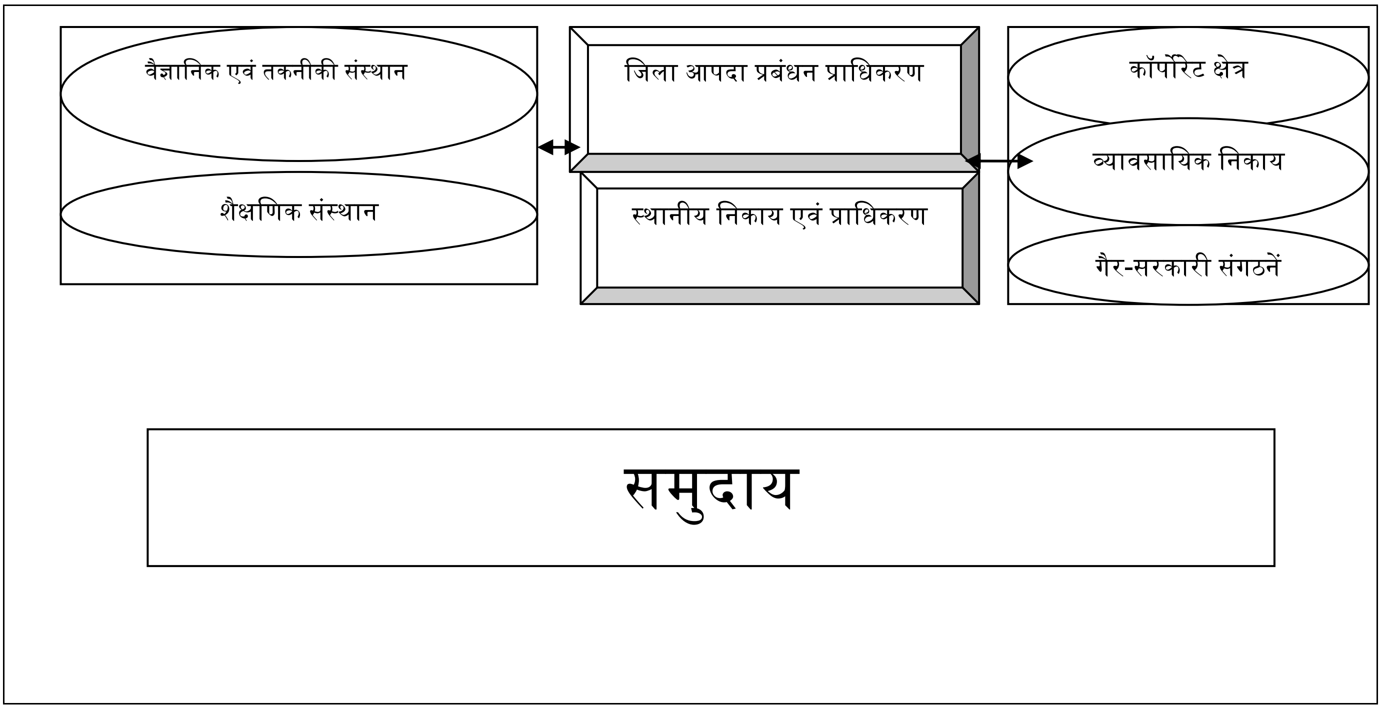

1.9 संघ प्रदेश की आपदा प्रबंधन संरचना

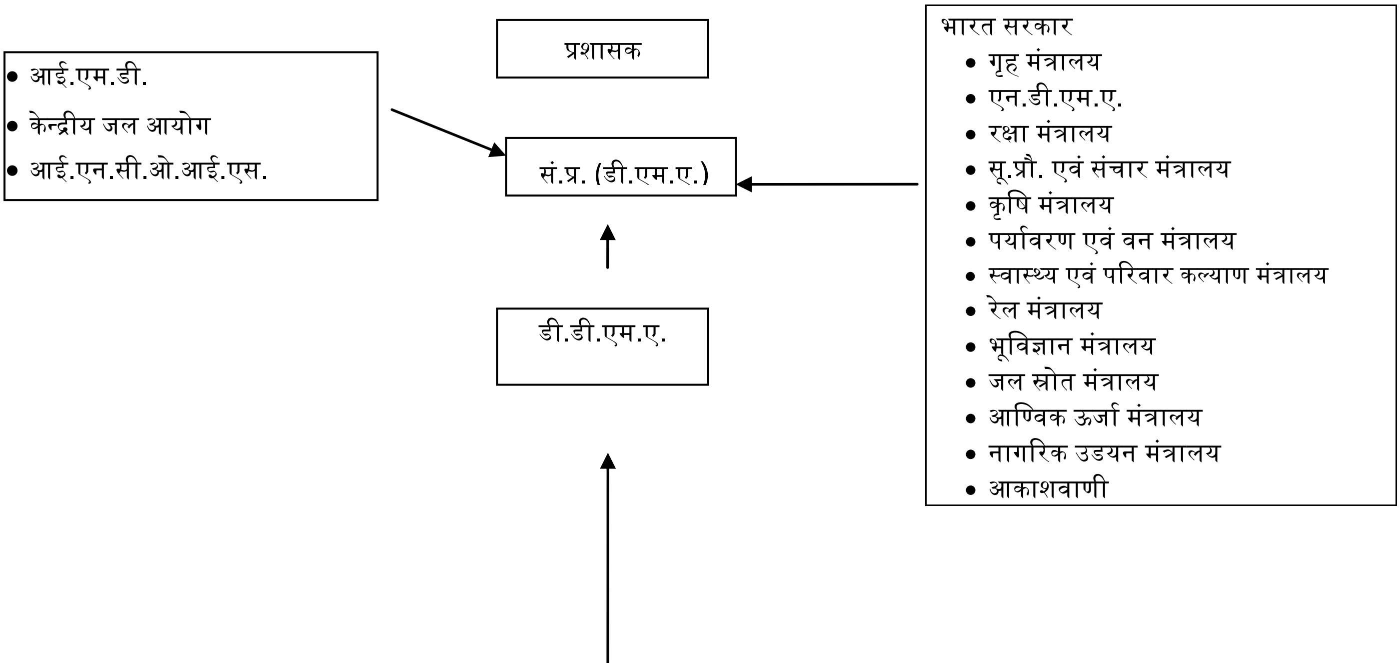

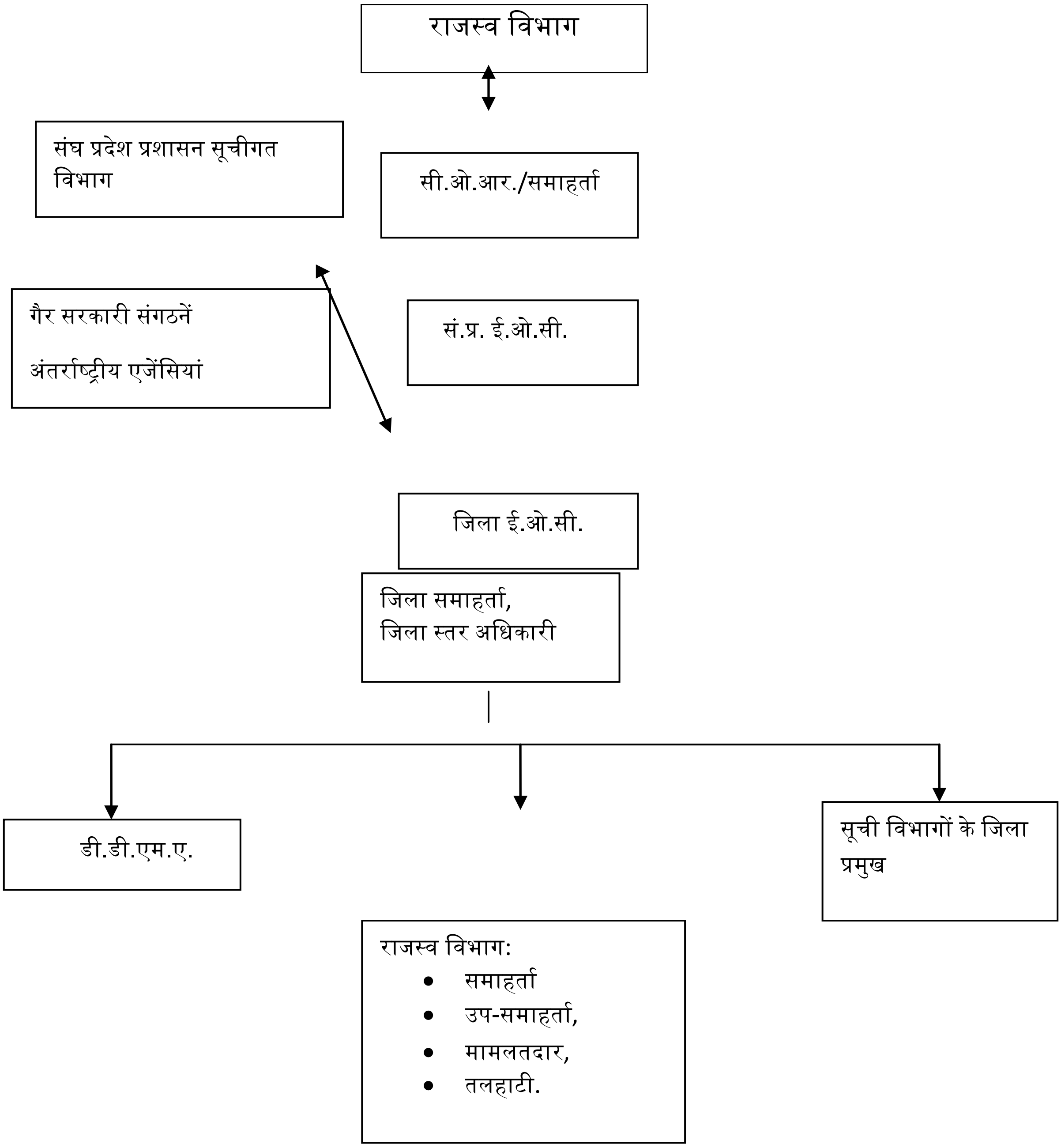

1.10 यू.टी.डी.एम. योजना के शेयरधारक

संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राहत आयुक्त/समाहर्ता, राजस्व विभाग का कार्यालय संघ प्रदेश में प्रमुख संस्थान हैं जो आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटने का कार्य करती है। संघ प्रदेश के सभी प्रमुख सूचीबद्ध विभाग, संघ प्रदेश प्रशासन, जिला समाहार्ताओं, अन्य तकनीकी संस्थानों, बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय, स्थानीय स्व-शाषित निकाय (जिला पंचायत और नगरपालिका परिषद), गैर सरकारी संगठन आदि आपदा प्रबंधन योजना के हितधारक हैं।

दमण और दीव में आपदाओं के शमन में जिला प्रशासन के निम्नलिखित भाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

दमण में आपदाओं के शमन में जिला प्रशासन के निम्नलिखित भाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

- **राजस्व विभाग**
- **नगर पालिका परिषद**
- **जिला पंचायत।**

राजस्व प्रशासन

• जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में समाहर्ता/जिला मैजिस्ट्रैट

• एक ए.डी.एम./उप-समाहर्ता/भू-अधिग्रहण समाहर्ता

• मामलतदार

• खण्ड विकास अधिकारी

• जांच अधिकारी शहर सर्वेक्षण

• तलाटी ।

उपर्युक्त संगठनों के अलावा, निम्नलिखित विभागों के अधिकारियों को भी आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी: -

1. अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग
2. कार्यकारी अभियंता, विद्युत,
3. स्वास्थ्य अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत
5. पुलिस प्रमुख,
6. मुख्य अधिकारी, नगरपालिका परिषद,
7. रेंज वन अधिकारी,
8. अधीक्षक, मत्स्यपालन विभाग,
9. पशु चिकित्सा अधिकारी,
10. पत्तन अधिकारी,
11. उप-निरीक्षक, नागरिक आपूर्ति,
12. मामलतदार,
13. खण्ड विकास अधिकारी,
14. क्षेत्रीय कृषि अधिकारी,

15. दूरसंचार विभाग,

16. अग्निशमन सेवाएं,

17. तट रक्षक।

1.11 भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

संघ प्रदेश प्रशासन

• सुनिश्चित करें कि सभी प्रमुख प्राधिकरण और भूमिका अदा करने वाले आपदाओं को कम करने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

• सुनिश्चित करें कि संघ प्रदेश प्रशासन और स्थानीय प्राधिकरण अपनी गतिविधियों की योजना बनाते समय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों पर विचार करेंगे।

• आपदा प्रबंधन के संबंध में सामग्री, उपकरण और सेवाओं के आपदा प्रबंधन से संबंधित खरीद को सुविधाजनक बनाना और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

• आपदाओं या इसके प्रभावों के शमन से उत्पन्न होने वाले आने वाले नुकसान से बचने के उद्देश्य के लिए एक दिशा जारी करना ।

• यदि कोई कार्यकारी आदेश आपदा से निपटने में किसी भी आवश्यक कार्रवाई को रोकता है, तो उसमें अगर कोई बाधा डालता है या देरी करता है तो किसी कार्यकारी आदेश के संचालन को निलंबित कर दें।

संघ प्रदेश स्तर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण [संघ प्रदेश (डी.एम.ए.)]

• संघ प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों और समुदायों द्वारा आपदा की रोकथाम या शमन सहित आपदा प्रबंधन की एक एकीकृत और समन्वित प्रणाली को बढ़ावा देना।

समाहर्ता

• जिले में आपदा से पूर्व और बाद में आपदा प्रबंधन गतिविधियां चलाई जाएं यह सुनिश्चित स्थानीय सरकारी निकायों को सहयोग तथा समन्वय करना ।

• स्थानीय प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के समर्थन से समुदाय प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना में सहायता करें।

• आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिक्रिया और राहत गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए उचित कार्रवाई करना ।

• आपदा की घोषणा के लिए राहत और संघ प्रदेश प्रशासन आयुक्त की सिफारिश करना ।

स्थानीय प्राधिकारी

• आपदा प्रबंधन गतिविधियों में संघ प्रदेश डी.एम.ए., सी.ओ.आर. और समाहर्ता को सहायता प्रदान करें ।

• अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा आपदा की स्थिति में आसानी से उपलब्धता हेतु संसाधनों का अनुरक्षणसुनिश्चित करना ।

• सुनिश्चित करें कि इसके तहत सभी निर्माण परियोजनाएं मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

• जिले में सरकार का प्रत्येक विभाग जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा। अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रभावित क्षेत्र में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों को पूरा करें।

निजी क्षेत्र

• निजी क्षेत्र को संघ प्रदेश डी.एम.ए. या समाहर्ता द्वारा विकसित समग्र योजना के साथ पूर्व आपदा गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

सामुदायिक समूह और स्वैच्छिक एजेंसियां

• स्थानीय समुदाय समूहों और गैर सरकारी संगठनों सहित स्वैच्छिक एजेंसियों को रोकथाम और शमन गतिविधियों में संघ प्रदेश डी.एम.ए. या समाहर्ता की समग्र दिशा और पर्यवेक्षण के तहत सक्रिय रूप से सहायता करनी चाहिए।

• उन्हें संगठित प्रबंधन के रूप में सभी प्रशिक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और आपदा प्रबंधन में अपनी भूमिका के साथ खुद को परिचित करना चाहिए ।

नागरिक

यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि जब भी आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सहायता की मांग की जाती है तो वे राहत आयुक्त या समाहर्ता या आपदा प्रबंधन में शामिल होने वाले अन्य व्यक्ति की सहायता करें।

1.12 वित्तीय व्यवस्था

यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन के धन की लंबी अवधि की निरंतरता और स्थायीता जारी की जाएगी और निरंतर आधार पर तैनात की जाएगी। जैसा कि नीचे वर्णित संघ प्रदेश में निधि को बढ़ाने के विभिन्न तरीके हैं;

संघ प्रदेश बजट

प्राधिकरण, अगले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित फॉर्म में एक बजट को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है, अनुमानित रसीदें और व्यय दिखाता है, और उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशासक से आवश्यक रकम।

संघ प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया निधि [संघ प्रदेश (डी.आर.एफ.)]

किसी भी आपदा के बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत गतिविधियों को पूरा करने के लिए संघ प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया निधि गठित की जानी चाहिए और यह प्रक्रियाधीन है ।

सहायता अनुदान

आगे संघ प्रदेश को आपदा प्रबंधन / शमन / क्षमता निर्माण से संबंधित विशिष्ट परियोजनाओं / योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, और/या अन्य विभागों/एजेंसियों से अनुदान सहायता मिल सकती है।

नोट: - संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संघ प्रदेश कार्यकारी समिति की संरचना पुस्तक-II में दी गई है।

अध्याय-2 : संघ प्रदेश की रूपरेखा

2.1 अवस्थिति मानचित्र

2.2 दमण एवं दीव का मानचित्र.

DIU
GUJARAT
N
Ghoghla Beach
Ambawadi
Bucharwada
Dangarvadi
Nagwa
Vanakbara
Diu
Malala
www.mapsofindia.com
ARABIAN SEA
LEGEND
Major Road
State Boundary
District HQ
Other Town
Major Town
DAMAN AND DIU
Diu
Daman
Map not to Scale
Copyright © 2013 www.mapsofindia.com
(Updated on 8th January 2013)

DAMAN
N
Kolak River
DAMAN AND DIU
Diu
Daman
Sandy Resort
Devka
Bhimpore
Petrol Pump
To Ahmadabad
Marwad
Janivankad
GUJARAT
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Daman Airport
Dunetha
NH-8
www.mapsofindia.com
Dilip Nagar
USV Ltd.
Electroplast India Pvt. Ltd.
Jain Temple
Moti Daman Fort
Varkund
Dabhel (CT)
Daman Ganga
Dabhel Check Post
To Mumbai
ARABIAN SEA
Collectorate
Magarwada
Kachigam
Dholar
Naila Pardi
LEGEND
National Highway
Major Road
Other Roads
Railway
State Boundary
Hotels
Religious Place
Landmark
Education
Siddhi Developers
Jampore
Zari
GUJARAT
Map not to Scale
Copyright © 2013 www.mapsofindia.com
(Updated on 7th May 2013)

2.3 दमण का मानचित्र

2.4 दीव का मानचित्र

Diu Island
To Una
GUJARAT
To Una
Ahmedpur Mandvi
To Veravar & Somnath
TAD Village
Bucharwada
Bird Sanctuary
Ghogla
Fortress of Panikot
SAlt
Pans
Vanakbara
Agricultural
Diu Town
Kevdi
Fudam
Reserve Forest
Malala Mines
Jallandhar Beach
Nagoa
Nagoa Beach
Gangeshwar
Sunset Point
Chakratirth Beach
Arabian Sea
Map not to Scale
Copyright (c) Compare Infobase Pvt. Ltd. 2001-02

2.5 अन्य विवरण
स्थान

संघ प्रदेश दमण और दीव में दो जिले अर्थात दमण और दीव शामिल हैं। दोनों जिले भारत के पश्चिमी तट पर 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दमण इस संघ प्रदेश का मुख्यालय है।
गुजरात राज्य के दक्षिणी हिस्से के पास दमण मुख्य भूमि पर है। वापी निकटतम रेलवे स्टेशन (13 किलोमीटर) है जो मुंबई और सूरत के बीच पश्चिमी रेलवे पर है। वापी मुंबई सेंट्रल से 167 किमी और सूरत से 95 किमी दूर है।

दीव गुजरात राज्य के जुनागढ़ जिले के ऊना के पास एक द्वीप है। दीव से 9 किलोमीटर की दूरी पर निकटतम रेलवे स्टेशन डेलवाड़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण ट्रेनें वेरावल से जुड़ी हैं जो दीव से 90 किलोमीटर दूर है। दीव जिले का एक हिस्सा मुख्य भूमि पर है जिसे घोघला नाम दिया गया है। दीव का एक छोटा सा हिस्सा सिमर के नाम से जाना जाता है जो दीव से 25 कि.मी. दूर गुजरात में स्थित है ।

इतिहास
19 दिसंबर, 1961 को चार शताब्दियों से अधिक पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद, भारत सरकार के अधीन दमण और दीव संघ प्रदेश का हिस्सा बन गए। गोवा, दमण और दीव । गोवा के विघटन के बाद, जो राज्य बन गया। दिनांक 30 मई 1987 को संघ प्रदेश दमण और दीव अस्तित्व में आए।

दमण एवं दीव की रूपरेखा

	दमण	दीव
1. स्थान	• 20-1722'00 अक्षांश पर दमगंगा नदी और अरब सागर के संगम में स्थित "एन से 20▪ 27'25" एन और रेखांश 72▪ 4 9 42 "**ई से 72▪54 ई 43" ई।** • उत्तर-दक्षिण लंबाई = 11 किलोमीटर. • पूर्व–पश्चिम लंबाई = 12 किलोमीटर.	• अक्षांश 20:1442'47 "एन और रेखांश 70▪ 5'47" ई में चैसी क्रीक चैनल और अरब सागर नदी पर स्थित है। • उत्तर-दक्षिण लंबाई = 4.6 किलोमीटर. • पूर्व–पश्चिम लंबाई = 13.8 किलोमीटर.
2. अभिगम्यता	• मुंबई-दिल्ली लाइन पर 13 कि.मी. की दूरी पर निकटतम रेल स्टेशन वापी है। • राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, मुंबई-वडोदरा - दिल्ली से जुड़ा हुआ है। • वलसाड से दूरी – 35 किलोमीटर. • सूरत से दूरी – 120 किलोमीटर. • मुंबई से दूरी – 192 किलोमीटर. • अहमदाबाद से दूरी – 367 किलोमीटर. • दिल्ली से दूरी – 1800 किलोमीटर.	• निकटतम रेल मुख्य अहमदाबाद-मुंबई लाइन पर 90 किलोमीटर की दूरी पर वेरावल है। • राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-ई, वेरावल-भावनगर-अहमदाबाद से जुड़ा हुआ। • अहमदाबाद से दूरी – 495 किलोमीटर. • दमण से दूरी – 675 किलोमीटर. • मुम्बई से दूरी – 980 किलोमीटर. • दिल्ली से दूरी – 2100 किलोमीटर.
3. क्षेत्रफल	• 72 वर्ग किलोमीटर.	• 40 वर्ग किलोमीटर.
4. ऊंचाई (समुद्र तल से ऊपर)	• 12 मीटर	• 06 मीटर.

मुख्य जलवायु विशेषताएं.

क्र. सं.	विवरण	इकाई	दमण जिला	दीव जिला
1.	जलवायु तापमान	-	हल्का और गर्म	उष्मीय
2.	तापमान i) अधिकतम औसत ii) न्यूनतम औसत	डिग्री सेंटीग्रेट	31 22	37 11
3.	वर्ष 2013 हेतु बारिश	मिमी	2529.1	वार्षिक वृष्टि = 1367 मिमी
4.	आद्रर्ता	% (मध्य)	26-100	-
5.	अधिकतम वायुगति	किलो/घंटा	30	-

प्रशासनिक ढांचा

क्र. सं.	विवरण	इकाई	दमण जिला	दीव जिला	दमण एवं दीव
1.	जिले	संख्या	1	1	2
2.	तालुका/तहसील	संख्या	1	1	2
3.	ब्लॉक	संख्या	1	1	2
4.	जिला पंचायत	संख्या	1	1	2
5.	ग्राम पंचायत	संख्या	10	4	14
6.	ग्राम	संख्या	21	4	25
7.	ग्रामीण जनगणना	संख्या	15	-	-
8.	नगरपालिका परिषद	संख्या	1	1	2
9.	संवैधानिक शहर	संख्या	1	1	2
10.	शहर जनगणना	संख्या	6	-	-
11.	नगरीय वार्ड	संख्या	15	13	28

(I) जनगणना 2011.

जनसंख्या सांख्यिकी

क्र. सं.	विवरण		इकाई	दमण जिला	दीव जिला	दमण एवं दीव
1.	क्षेत्रफल	ग्रामीण	वर्ग किमी	35.14	22.24	57.38
		शहरी	वर्ग किमी	36.86	17.76	54.62
	कुल		वर्ग किमी	72.00	40.00	112.00
2.	जनसंख्या	ग्रामीण	संख्या	32313	28080	60396
		शहरी	संख्या	158860	23976	182851
	कुल		संख्या	191173	52056	243247
		पुरूष	संख्या	124659	25639	150301
		महिला	संख्या	66514	26417	92946
	कुल		संख्या	191173	52056	243247
3.	जनसंख्या घनत्व 2011		प्रति वर्ग किमी	2655	1301	2172
4.	लिंग औसत		प्रति1000 पुरूष महिलाओं की संख्या	534	1030	618

जनसंख्या का वर्गीकरण:

क्र. सं.	विवरण	दमण जिला		दीव जिला		दमण एवं दीव	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
i)	अनुसूचित जाति (अ.जा.)						
	2001						
	कुल	3065	2.69	1773	4.01	4838	3.06
	पुरूष	1627	--	871	--	2498	--
	महिला	1438	--	902	--	2340	--
	2011						
	कुल	4262	2.23	1862	3.57	6124	2.52
	पुरूष	2224	1.78	927	3.62	3151	2.10
	महिला	2038	3.06	935	3.53	2973	3.19
ii)	अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)						
	2001						
	कुल	13881	12.18	116	0.26	13997	8.85
	पुरूष	7128	--	62	--	7190	--
	महिला	6753	--	54	--	6807	--
	2011						
	कुल	15240	7.97	123	0.24	15363	6.31
	पुरूष	7702	6.17	69	0.27	7771	5.17
	महिला	7538	11.33	54	0.20	7592	8.16

श्रमिकों और गैर-श्रमिकों की जनसंख्या (2011)

क्र. सं.	विवरण		इकाई	दमण जिला	दीव जिला	दमण एवं दीव	
1)	कुल श्रमिक	कुल	संख्या	105521	15750	121271	
		ग्रामीण	संख्या	14779	8524	23303	
		शहरी	संख्या	90742	7226	97968	
2)	मुख्य श्रमिक	कुल	संख्या	101717	14718	116435	
		ग्रामीण	संख्या	13492	7943	21435	
		शहरी	संख्या	88225	6775	95000	
i)	किसान	कुल	संख्या	1247	402	1649	
		ग्रामीण	संख्या	669	384	1053	
		शहरी	संख्या	578	18	596	
ii)	कृषि मजदूर	कुल	संख्या	302	189	491	
		ग्रामीण	संख्या	139	182	321	
		शहरी	संख्या	163	7	170	
iii)	घरेलू उद्योग श्रमिक		संख्या	332	48	380	
		ग्रामीण	संख्या	88	31	119	
		शहरी	संख्या	244	17	261	
iv)	अन्य श्रमिक	कुल	संख्या	99836	14079	113915	
		ग्रामीण	संख्या	12596	7346	19942	
		शहरी	संख्या	87240	6733	93973	
3)	सामान्य श्रमिक	कुल	संख्या	3804	1032	4836	
		ग्रामीण	संख्या	1287	581	1868	
		शहरी	संख्या	2517	451	2968	
i)	किसान	कुल	संख्या	598	69	667	
		ग्रामीण	संख्या	538	63	601	
		शहरी	संख्या	60	6	66	
ii)	कृषि मजदूर	कुल	संख्या	179	102	281	
		ग्रामीण	संख्या	128	102	230	
		शहरी	संख्या	51	--	51	
iii)	घरेलू उद्योग श्रमिक		संख्या	77	227	304	
		ग्रामीण	संख्या	45	168	213	
		शहरी	संख्या	32	59	91	
iv)	अन्य श्रमिक	कुल	संख्या	2950	634	3584	
		ग्रामीण	संख्या	576	248	824	
		शहरी	संख्या	2374	386	2760	
4)	गैर-श्रमिक	कुल		85652	36324	121976	
		ग्रामीण	संख्या	17534	19559	37093	
		शहरी	संख्या	68118	16765	84883	

स्रोत: जनसंख्या गणना

(II) **कृषि भूमि उपयोग करें**

विवरण	इकाई	दमण	दीव
सकल कृषि	हेक्टर	3153.13	705
स्थायी चरागाह और चरागाह	"	174	162
सकल सिंचित क्षेत्र	"	242.44	273
एच.वाई.ए. के तहत आनेवाले क्षेत्र	"	1000	235
सुरक्षित पेयजल आपूर्ति वाले गांव	%	100	100

अन्य बुनियादी ढांचे

क्र.सं.	विवरण		दमण	दीव	दमण एवं दीव
1.	पशुपालन एवं पशुचिकित्सा				
	पशु चिकित्सा औषधि		1	1	2
	सरकारी डेयरी उत्पादन केन्द्र		1	शुन्य	1
	सरकारी मुर्गीपालन फार्म		1	1	2
	बुचरखानों की संख्या	पंजीकृत	2	शुन्य	2
		अपंजीकृत	11	9	20
2.	**लाइव स्टॉक जनसंख्या**				
	स्वदेशी मवेशी		2037	1463	3500
	भैंस		512	105	617
	कुल बकरी		791	2521	3312
	कुल घोड़ा और टट्टू		26	4	30
	कुल कुत्ते		522	364	886
	कुल पक्षी		16499	5938	22437
3.	**वन एवं वन्यजीवन**				
	वनक्षेत्र (हैक्ट.)		91.25	516.70	607.95
	वन नाकों को कुल संख्या		4	2	6
4.	**मत्स्य पालन गियर्स शिल्प**				
	कुल गिल नेटर्स		419	160	579
	कुल पारंपरिक शिल्प		253	168	421
	मछली पकड़ने के जहाजों की कुल संख्या		1475	410	1885
5.	**परिवहन**				
	सड़क की लंबाई (सतह) (किलोमीटर)		191	18	209
	वाहनों की संख्या (दिनांक 31/03/2014 को)				
	दोपहिया - मोटरसाइकिल / स्कूटर / मोपेड		48829	16389	65218
	तीपहिया		2294	506	2800
	हल्के वाहन		26013	1169	27182
	मिनी बस / बस		461	96	557
	ट्रैक्टर		307	207	514
	ट्रेलर/क्रेन/उत्खनक यंत्र/फोर्क लिफ्ट/लोडर		286	135	421
	हल्के वाणिज्यिक वाहन/डिलिवरी वैन		2227	154	2381
	एच.जी.वी./एम.सी.वी./आर्टिक्यूलेटेड वाहन/टैंकर		3615	269	3884
	मोटर साइकिल पास (टी.आर.)		0	37	37
	कुल		**84032**	**18962**	**102994**
	हवाईअड्डा		**-**	**1**	**1**
6.	**संचार**				
	क) डाकघरों की संख्या		3	6	9
	ख) दूरभाष केन्द्र		5	3	8

क्र.सं.	विवरण	**दमण**	**दीव**	**दमण एवं दीव**
	ग) रेडियो प्रसारण केन्द्र	1	-	1
	घ) टी.वी. प्रसारण केन्द्र	1	1	2
7.	**विद्युत**			
	स्थापित क्षमता	340 एम.वी.ए.	20 एम.वी.ए.	360 एम.वी.ए.
	बिजली खरीदी	2185 लाख के.डब्लू.एच.	270 लाख के.डब्लू.एच.	2455 लाख के.डब्लू.एच.
8.	**उद्योग**	(दिनांक 31.03.2013)		
	पंजीकृत इकाइयों की संख्या	3232	38	3270
	पूंजीगत निवेश (करोड़ रुपये में)	4130.95	6.58	4137.53
	रोजगार (संख्या)	81365	276	81641
9.	**स्वास्थ्य**			
	अस्पताल (सरकार)	1	1	2
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	1	-	-
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	2	1	3
	उप-केंद्र	20	6	26
	अस्पताल (निजी)	8	-	-
	बिस्तर क्षमता (सरकार)	172	70	242
	रक्त बैंक (सरकार)	1	-	-
	एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र	3	-	-
	एस.टी.आई. क्लीनिक (सरकार)	2	-	-
	आयुष केंद्र	3	-	-
10.	**बैंकिंग**			
	अनुसूचित बैंक	14	7	21
	कोऑपरेटिव बैंक	2	1	3
	निजी बैंक	9	3	12
11.	**पर्यटन**			
	होटल एवं लॉज	88	53	141
	होटल में कुल बेड	5361	2048	7409
12.	जल खपत (मि^{3})			
	निजी निकाय	117248	-	-
	ग्राम पंचायत	229230	1500	230730
	नगरपालिका निकाय	127679	2000	129679
	कुल	474157	3500	477657

अध्याय: 3: - दमण एवं दीव के जोखिम और भेद्यता विश्लेषण

3.1: परिचय

आपदा एक ऐसी स्थिति है जो समुदाय की सामान्य कार्यप्रणाली में बाधा डालती है और तदर्थ आधार पर लगाये जाने वाले व्यापक मानव, भौतिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाती है और जिसे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों द्वारा नियंत्रित और रोका नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि आपदा एक संकट की स्थिति है जिसे प्रभावित समुदाय द्वारा अपने संसाधनों में नहीं निपटाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन का मतलब आपदा की स्थिति में समस्याओं को समझने और हल करने की स्थिति में योजनाबद्ध और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना है। व्यावहारिक अनुभव से यह संदेह से परे साबित हुआ है कि समुदाय में आपदा की तैयारी के लिए संसाधनों के प्रति प्रतिबद्धता, बचाव, राहत और पुनर्वास में संसाधनों की तुलना में अर्थव्यवस्था और प्रभावशीलता के की दृष्टि से बेहतर परिणाम देती है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपदा का हमला लोगों पर होते है तो संगठन और प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। न तो कार्य योजना तैयार की जाती है और न ही परिणामी क्षति को कम करने के लिए किए गए अभ्यास होते हैं। केवल आपदा के बाद विशेष क्षेत्र में आपदा घटित होने के बाद, उस क्षेत्र में समुदाय और प्रशासन संवेदनशील हो जाते हैं और योजना शुरू करते हैं। तब तक वे मानते हैं कि इससे बुरा नहीं होगा, और जब सबसे बुरी स्थिति आती है, तो वे असहाय मनुष्यों के जीवन और गुणों, फसलों और संपूर्ण विकास प्रक्रिया के भौतिक विनाश के रूप में और नुकसान झेलते हैं।

आपदाओं को व्यापक रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: -

क) प्राकृतिक आपदा

(i) सूखा

(ii) बाढ़

(iii) चक्रवात

(iv) भूकंप

(v) हिमस्खलन / भूस्खलन

ख) मानव निर्मित आपदाएं

i) रासायनिक

ii) जैविक / महामारी

iii) रेडियोलॉजिकल

iv) दुर्घटनाएं।

विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए, हमारे पास आपदाओं का एक अलग वर्गीकरण है;

क) जल और जलवायु से संबंधित आपदा, अर्थात्: -

i) चक्रवात

ii) बाढ़

iii) ओला-वृष्टि एवं और बादल फटना

iv) सागर-क्षरण

v) बवंडर एवं तूफ़ान

vi) हिमस्खलन

(ख) भूगर्भीय आपदा, अर्थात्: -

i) भूकंप

ii) बांध फट जाता है

iii) भूस्खलन और मृदा-बहाव

iv) खादानों में आग

ग) रासायनिक औद्योगिक और परमाणु आपदाओं, अर्थात्: -

i) रासायनिक और औद्योगिक आपदा

ii) परमाणु आपदा

(घ) दुर्घटनाओं से संबंधित आपदाएं, अर्थात्: -

i) शहर में लगनेवाली आग

ii) गांव में लगनेवाली आग

iii) जंगल की आग

iv) विद्युत आपदा

v) सीरियल बम विस्फोट

vi) प्रमुख इमारत पतन

ड.) जैविक रूप से संबंधित आपदाओं, अर्थात्: -

i) महामारी

ii) कीट हमले

iii) मवेशी महामारी

iv) खाद्य विषाक्तता

v) एड्स

3.2: चक्रवात

चक्रवात केंद्र से तीव्र कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं जिनमें से दबाव बढ़ता है। केंद्र में दबाव की मात्रा गिर जाती है और जिस दर पर यह बढ़ता है वह चक्रवात की तीव्रता और हवाओं की ताकत देता है। चक्रवात तूफान के दौरान होने वाली क्षति। चक्रीय तूफान से जुड़े विभिन्न परिमाणों की तेज हवाओं के कारण होने वाली क्षति के प्रकार निम्नानुसार हैं :

क्रम	अपेक्षित हवा की गति किमी/घंटा	Expected Damage
चक्रवात	60-90	वृक्ष की शाखाओं को तोड़ता है, कच्चे घरों को कुछ नुकसान पहुंचाता है
गंभीर चक्रवात	90-120	पेड़ों को उखाड़ फेंक देता है, पक्के घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, संचार बाधित हो जाता है।
तूफान	120 और अधिक	बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंक देता है, घरों और प्रतिष्ठानों को वृहत रूप से नुकसान पहुँचाता है, संचार में पूर्ण व्यवधान उत्पन्न होता है।

भारत अपनी लंबी तटरेखा के साथ उत्तरी हिंद महासागर में विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रभाव के प्रति संवेदनशील है (और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक चलता है)। चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र में विकसित होता है। इन प्रणालियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

• ncko,

• गहरी अवसाद,

• गहरा दबाव,

• चक्रवातीय चक्र और

• उनके साथ जुड़े सतही हवा के आधार पर तूफानह हवाओं के मूल के साथ गंभीर चक्रवात।

भारतीय मौसम विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग के बाद मानदंड बंगाल की खाड़ी में कम दबाव प्रणाली और विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यू.एम.ओ.) द्वारा अपनाए गए अरब सागरों में वर्गीकृत करने के मानदंड हैं:

क्र.सं.	बवंडर के प्रकार	परिसंचरण में एकीकृत हवा की गति प्रति घंटे किमी में
01	निम्नदाब क्षेत्र	31.5
02	अवसाद	31.5 से 50
03	गहरे अवसाद	50 से 61
04	चक्रवातीय तूफान	61 से 87
05	गंभीर चक्रवातीय तूफान	87 से 116.5
06	तूफानी हवाओं के मूल के साथ गंभीर चक्रवात तूफान	116.5 से ज्यादा

चक्रवाती निगरानी:

चक्रवात उच्च समुद्र में होने पर संयुक्त सारणी और आई.एन.एस.ए.टी. (भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह) के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं। जब चक्रवात तटीय क्षेत्रों तक पहुंचते हैं तो उन्हें चक्रवात का पता लगाने वाले रडार के माध्यम से ट्रैक किया जाता है जो पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों के तटीय स्टेशनों में स्थापित होते हैं।

चक्रवात चेतावनी प्रणाली:

चार चरणों में चक्रवात चेतावनी प्रदान की जाती है।

1.) चक्रवात-पूर्व घड़ी

यह तब जारी किया जाता है जब समुद्र तट से इसकी दूरी के बावजूद अरब सागर पर एक अवसाद बनता है और भविष्य में भारतीय तट को प्रभावित करने की संभावना है। प्री-चक्रवात घड़ी मौसम विज्ञान महानिदेशक के नाम से जारी की जाती है और प्रतिकूल मौसम के शुरू होने से कम से कम 72 घंटे पहले जारी की जाती है। यह दिन में कम से कम एक बार जारी किया जाता है।

2.) चक्रवात चेतावनी

यह खराब मौसम के शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जारी किया जाता है जब चक्रवात 500 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है। यह हर तीन घंटे जारी किया जाता है।

3.) चक्रवात चेतावनी

यह खराब मौसम के शुरू होने से कम से कम 24 घंटे पहले जारी किया जाता है जब चक्रवात 500 किलोमीटर के भीतर समुद्र तट से स्थित होता है। बुलेटिन के समय / स्थान के बारे में जानकारी बुलेटिन में इंगित की गई है। अनुमान में विश्वास बढ़ता है क्योंकि चक्रवात तट के करीब आता है।

4.) भूस्खलन के उपरांत की चेतावनी

यह चक्रवात भू-स्खलन होने से 12 घंटे पहले जारी किया जाता है, जब चक्रवात 200 किलोमीटर के भीतर तट से स्थित होता है। बुलेटिन के समय / स्थान के बारे में अधिक सटीक और विशिष्ट जानकारी बुलेटिन में संकेतित खराब मौसम। इसके अलावा, इस बुलेटिन में चक्रवात की चेतावनी के कारण आंतरिक व्याकुलता प्रभावित होने की संभावना है।

चेतावनी प्रसार प्रक्रिया

1. चक्रवात / बाढ़ पूर्वानुमान आम तौर पर भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की ज़िम्मेदारी है। चक्रवात चेतावनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएमडी नोडल एजेंसी है। आईएमडी की आईएनएसएटी उपग्रह आधारित चक्रवात चेतावनी प्रसार प्रणाली (सीडब्लूडीएस) वर्तमान में भारत में आईएमडी से चक्रवात चेतावनियों और समुदाय के महत्वपूर्ण अधिकारियों को सीधे और जल्दी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में चक्रवात चेतावनियों को संवाद करने के लिए उपयोग में सबसे अच्छी है।
2. आईएमडी से जानकारी प्राप्त करने के बाद, चेतावनी प्रसार संघ प्रदेश सरकार (सी.ओ.आर.) की ज़िम्मेदारी है। राजस्व विभाग के तहत सीओआर सार्वजनिक और रेखा विभागों को चक्रवात चेतावनियों को प्रसारित करने के लिए ज़िम्मेदार है।
3. प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने पर, सी.ओ.आर. का कार्यालय सभी लाइन विभागों, जिला प्रशासन और आईजी पुलिस को चेतावनी का प्रसार करता है। चेतावनी संदेश सभी जिलों और गांवों के लिए वायरलेस के माध्यम से प्रेषित होते हैं। प्रभावी संचार बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टरों को सैटेलाइट फोन और एक हैम रेडियो प्रदान किया जाता है, भले ही स्थलीय और सेलफोन संचार विफल हो।
4. संघ प्रदेश स्तर (ई.ओ.सी.) यानि संघ प्रदेश स्तर के साथ-साथ जिला स्तर के अन्य लाइन विभागों के नियंत्रण कक्ष भी चेतावनियां प्राप्त करते हैं। चेतावनी प्राप्त करने पर नियंत्रण कक्ष सक्रिय होते हैं।
   जैसे ही अरब सागर में एक चक्रवात का पता चला है, आकाशवाणी को प्रसारित करने के लिए चक्रवात पर सूचनात्मक संदेश जारी किए जाते हैं ।
   • दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण
   • आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारण
   • प्रेस के लिए बुलेटिन
   • सैटेलाइट आधारित आपदा चेतावनी प्रणाली (इसे चक्रवात आपदा चेतावनी प्रणाली के रूप में जाना जाता है)।
   उपर्युक्त के अतिरिक्त, चक्रवात चेतावनियों को टेलीप्रिंटर्स, टेलेक्स, फ़ेसिमिइल और टेलीफ़ोन के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है, जहां भी ऐसी सुविधाएं प्राप्तकर्ता के साथ मौजूद होती हैं। चेतावनी बुलेटिन आमतौर पर 3 घंटे के अंतराल पर जारी किए जाते हैं, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है तो अधिक बार। इन बुलेटिनों में चक्रवात, भारी वर्षा, और विनाशकारी हवाओं की परिमाण और तटीय क्षेत्र की सड़कों से घिरा हुआ क्षेत्रों पर जानकारी शामिल है। मछुआरों के लिए सलाह समुद्र में प्रवेश नहीं करना और निचले इलाकों से लोगों को निकालने के लिए भी शामिल हैं ।

चक्रवात चेतावनियों को प्रसारित किया जाता है -

• वाणिज्यिक शिपिंग और भारतीय नौसेना / तट रक्षक

• पत्तन प्राधिकरण

• मत्स्यपालन अधिकारी

• राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी

• वाणिज्यिक विमानन।

• सामान्य जनता

दमण और दीव परिदृश्य

दमण जिले को प्रभावित करने वाले गंभीर, मध्यम और तूफान प्रकार चक्रवात के पिछले रिकॉर्ड विवरणों को देखते हुए निम्नानुसार हैं:

क्र.	चक्रवात के प्रकार	माह	वर्ष
1.	तूफानीय चक्रवात	नवम्बर	1982
2.	मध्यम चक्रवात	जून	1983
3.	गंभीर चक्रवात	जून	1996
4.	मध्यम चक्रवात	अक्तूबर	1996
5.	मध्यम चक्रवात	दिसम्बर	1998
6.	गंभीर चक्रवात	मई	1999
7.	चक्रवातीय हैफ़ेन	अगस्त	2008

चक्रवात, भारत के मानचित्र के अनुसार, दमण मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र में स्थित है, संभवतः 44 मीटर / एस की अधिकतम हवा की गति के साथ। तटीय क्षेत्रों को गंभीर चक्रवात तूफानों के अधीन किया जाता है। तट के विभिन्न हिस्सों पर चक्रवात की घटना की आवृत्ति अलग-अलग रही है। उसी क्षेत्र में हवा की गति के समान डिजाइन के लिए, साल के लिए क्षति का जोखिम अधिक चक्रवात के अधीन क्षेत्रों में अधिक होगा। दमण 20 डिग्री से 21 डिग्री एन के बीच अक्षांश में निहित है। इस प्रकार, चक्रवात तूफान क्षेत्र में एक गंभीर प्राकृतिक खतरा बनता है। पिछले 150 वर्षों के दौरान, गुजरात को अंततः वर्ष 1 999 में अलग-अलग तीव्रता के 25 से अधिक चक्रवात का सामना करना पड़ा।

क्षेत्र	मानचित्र
• कडैया • देवका • मरवड • नानी दमण (जेट्टी) • मोटी दमण (किला क्षेत्र) •एलिफेंट बाग • ढोलर •जमपोर	

दीव परिदृश्य

दीव जिले को प्रभावित करने वाले गंभीर, मध्यम और तूफान के प्रकार चक्रवात के पिछले रिकॉर्ड विवरणों को देखते हुए निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	चक्रवात के प्रकार	माह	वर्ष
1	तूफानीय चक्रवात	नवम्बर	1982
2	मध्यम चक्रवात	जून	1983
3	गंभीर चक्रवात	जून	1996
4	मध्यम चक्रवात	अक्तूबर	1996
5	मध्यम चक्रवात	दिसम्बर	1998
6	गंभीर चक्रवात	मई	1999

दीव जिले में तूफानी आवेश से प्रभावित क्षेत्र

क्षेत्र	मानचित्र
• **वणाकवाडा** • **बूचरवाडा** • **दीव** • **घोघला**	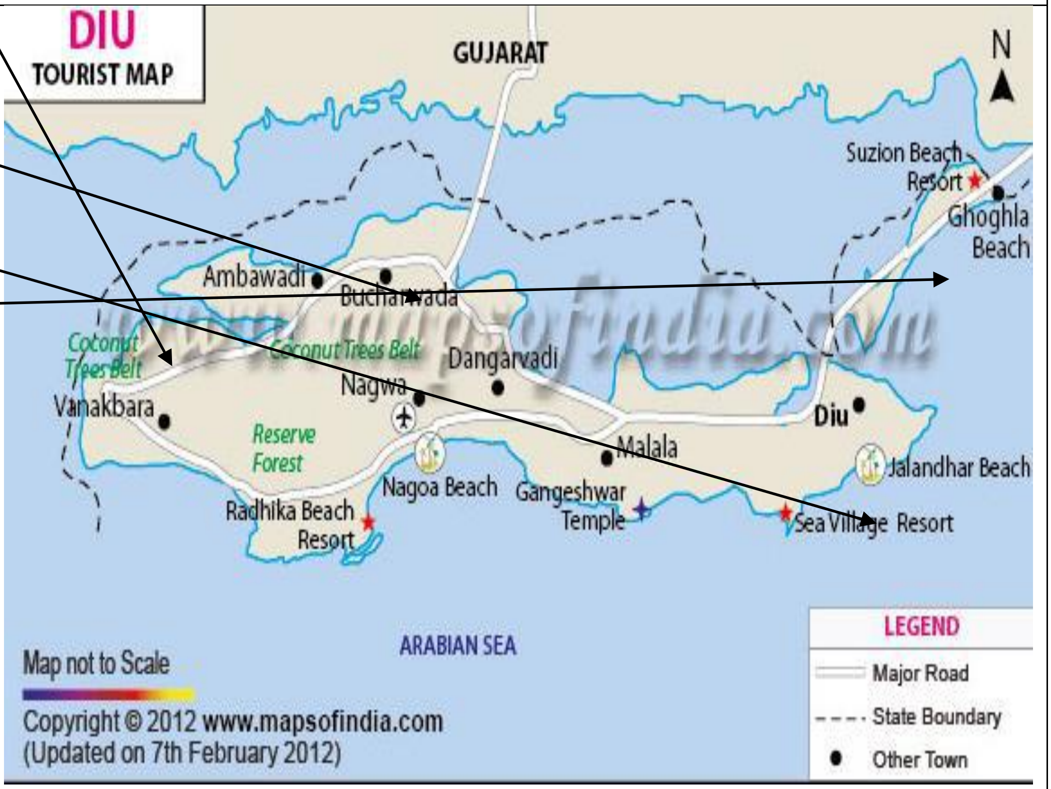

3.3 बाढ़

बाढ़ तब होती है जब सतह का पानी सामान्य रूप से सूखी भूमि को जलमग्न कर देता है। या जब पानी सामान्य परिरेखा से बाहर बहता है। किसी भी खतरे का सबसे व्यापक, बाढ़ स्कैन असामान्य रूप से उच्च वर्षा से उत्पन्न होता है, तूफान उष्णकटिबंधीय तूफान, बांध विस्फोट, और तेजी से बर्फ पिघला देता है या यहां तक कि पानी के मैदानों को भी तोड देता है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा लाए गए भारत के बाढ़ एटलस ने बाढ़ के लिए उत्तरदायी क्षेत्रों और बाढ़ संरक्षण उपायों की उपलब्धि को चित्रित किया है। नदी घाटी में बाढ़ की समस्या के अलावा, भारी तीव्रता बारिश कुछ क्षेत्रों में स्थानीय बाढ़ का कारण बन सकती है जहां जल निकासी या तो स्वाभाविक रूप से खराब होती है या नालियों में इनकार करने और रखरखाव की कमी जैसे लापरवाह डंपिंग जैसे विभिन्न कारणों से नालियों को दबाया जाता है। कस्बों और शहरों में बाढ़ की अधिकांश समस्याएं ऐसे कारणों से होती हैं।

बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी

बाढ़ का पूर्वानुमान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिकारियों को आने वाली स्थितियों के बारे में सतर्क किया जाता है जहां बाढ़ की संभावना हो सकती है। बाढ़ पूर्वानुमान के लिए मौसम संबंधी और जलविद्युत स्थितियों की समझ की आवश्यकता है, और इसलिए उचित सरकारी एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है, राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, लेकिन नदी बेसिन के पैमाने पर जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

राष्ट्रीय बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

• वास्तविक समय के ऑंकड़ें और बाढ़ गंभीरता की भविष्यवाणी और बाढ़ के विशेष स्तर की शुरुआत के समय का संग्रह।

• चेतावनी संदेशों की तैयारी, क्या हो रहा है, भविष्यवाणी क्या होगी और अपेक्षित प्रभाव की भविष्यवाणी। संदेश भी शामिल कर सकते हैं कि कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए।

• ऐसे संदेशों का संचार और प्रसार।

• समुदायों पर बाढ़ के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए भविष्यवाणियों और अन्य बाढ़ की जानकारी की व्याख्या।

• शामिल एजेंसियों और समुदायों द्वारा चेतावनियों का जवाब।

• चेतावनी प्रणाली की समीक्षा और बाढ़ घटना के बाद प्रणाली में सुधार।

• अगर भविष्यवाणियां विफल हो जाती हैं, तो विश्वास स्थापित करने के लिए भविष्यवाणी विफलता के कारणों को समुदायों को सूचित किया जाना चाहिए।

समुदाय आधारित बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली

यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक समुदाय के लोग अपने क्षेत्र में बाढ़ की संभावना के बारे में जितनी जल्दी हो सके जानकारी प्राप्त करें। आधिकारिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली से मूल्यवान जानकारी के अलावा, समुदायों को अपनी चेतावनी प्रणाली विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। सामुदायिक स्तर पर, यह महत्वपूर्ण है कि सभी व्यक्तियों द्वारा चेतावनियां प्राप्त हों। जिस तरह से संदेश समुदायों में प्रसारित किया जाता है, वह स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन इनमें से कुछ या सभी शामिल हो सकते हैं:

• मीडिया चेतावनियां (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक)

• सामान्य चेतावनी संकेतक, उदाहरण के लिए साइरेन

• समुदाय के नेताओं या आपातकालीन सेवाओं के क्षेत्रों में चेतावनी दी गई

• जोखिम वाले गुणों के लिए स्वचालित स्वचालित टेलीफोन चेतावनियां

• समुदायों में बाढ़ और बाढ़ की स्थिति के बारे में ऊपरी जानकारी । संदेश प्रसारित करने का एक दृष्टिकोण गांव से गांव से चेतावनी संदेश पास करना है क्योंकि बाढ़ नीचे की ओर बढ़ती है ।

• स्थानीय क्षेत्र में नदी के स्तर और तटबंध की स्थिति के बारे में नियमित रूप से सूचित रहें और नियमित रूप से सूचित रहें। पानी के स्तर में वृद्धि और महत्वपूर्ण खतरे के स्तर को पार करने के मद्देनजर नदी और तटबंध की निगरानी में वृद्धि की जानी चाहिए ।

• एक समुदाय आधारित चेतावनी प्रणाली प्रत्येक परिवार को आने वाली बाढ़ के बारे में किसी भी जानकारी को पास करने के लिए।

दूरदराज के इलाकों में चेतावनियों को प्रसारित करने की प्रक्रिया

दूरस्थ क्षेत्रों में समुदाय पिछले खंड में वर्णित विभिन्न चेतावनियों प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जिम्मेदारियों को प्रशासन के निचले स्तर और दूरदराज के क्षेत्रों में समुदायों के साथ पूर्वनिर्धारित लिंक रखने के लिए आपातकालीन सेवाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

इसमें शामिल होना चाहिए;

• स्थानीय रेडियो, जिसे स्पष्ट और सटीक जानकारी के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए

• चेतावनी देने का स्थानीय माध्यम, उदाहरण के लिए चर्च की घंटी, सायरन, जोरदार जयकर्मी, लाउडस्पीकर इत्यादि। इसके बाद की जिम्मेदारी चयनित व्यक्तियों या वार्डन की हो सकती है, जिन्हें उपकरण और परिवहन के साधन जैसे मोटा साईकिल या बाईसाईकल मुहैया करने की आवश्यकता है ।

• उच्च प्राथमिकता टेलीग्राम

• दूरदर्शन और स्थानीय केबल चैनल (टीवी चैनल और रेडियो चैनल सहित एफएम रेडियो)

• प्रेस में बुलेटिन

• सैटेलाइट आधारित आपदा चेतावनी प्रणाली

• फैक्स

• टेलीफोन

दमण परिदृश्य

दमण, दमणगंगा नाम की एक प्रमुख नदी है जो अरब सागर में मिल जाती है। दमण के पास कोलक और कालय नामक दो छोटी नदियां भी हैं। दमण गंगा नदी गुजरात से आती है और यह गुजरात में वापी से दमण में प्रवेश करती है।

अगस्त 2004 में, दक्षिण गुजरात में भारी बारिश और दमणगंगा नदी के मधुबन बांध से जारी पानी के कारण दमण जिले के कुछ इलाके में भी बाढ़ की चपेट में आ गए थे ।

वापी में मधुबन बांध के निर्माण के कारण, दमण में बाढ़ की संभावना कम है। यद्यपि दमण में बाढ़ की संभावना गुजरात में वापी में दमणगंगा नदी के मधुबन बांध के निर्माण के कारण कम हो गई है, संघ प्रदेश प्रशासन ने समाहर्तालय में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष खोला है, जो समय-समय पर मधुबन बांध से पानी के निकासी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।

समत्वय समिति तथा विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी बाढ़ और चक्रवात में एक समान होगी ।

कचीगाम, वरकुंड, खारीवाड़, घंचीवाड़ और खारावाड़ के गांवों और सड़कों को बाढ़ से प्रभावित होने के लिए पहचाना जाता है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र: एफ जी ए बी सी डी ई	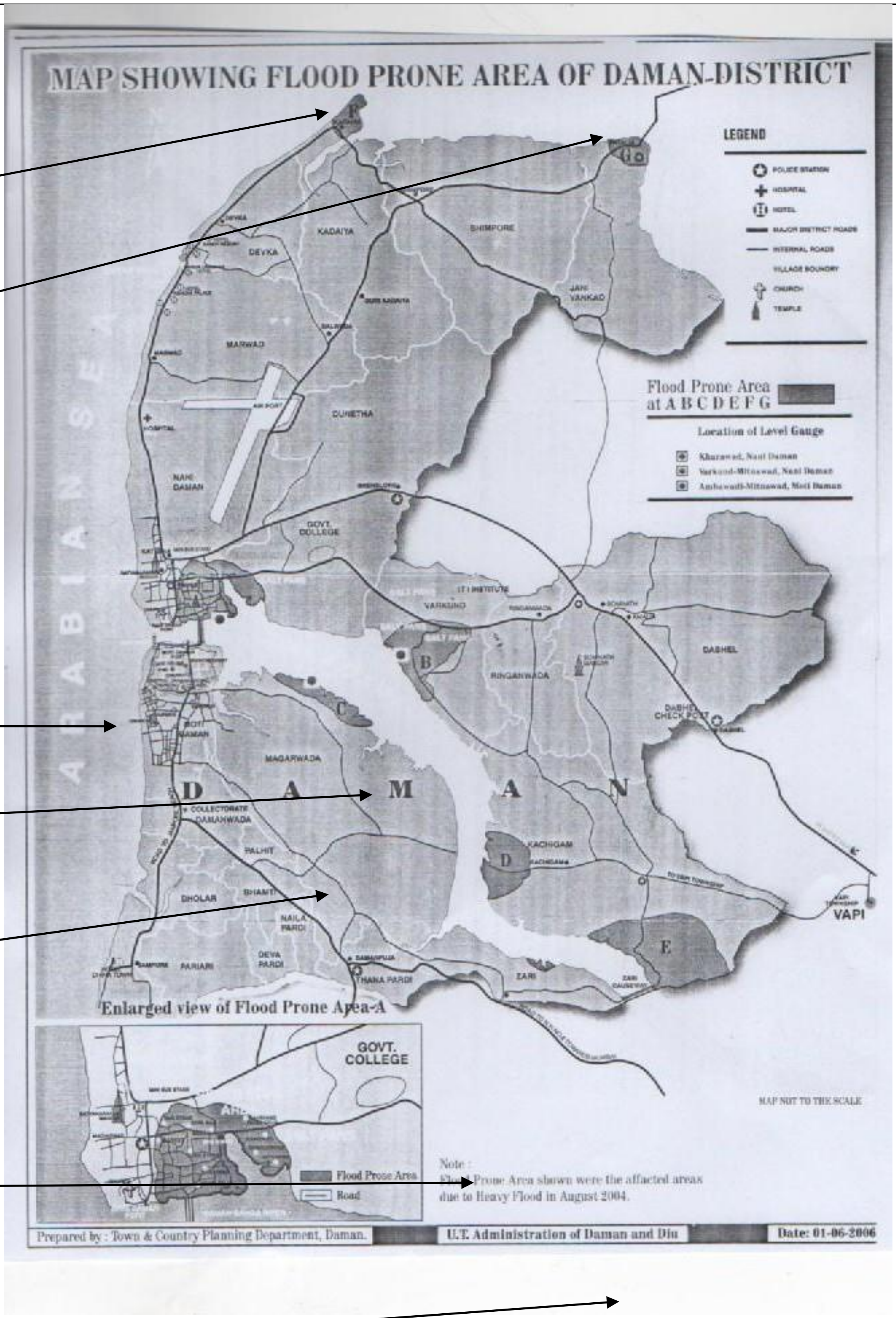

दीव परिदृश्य

दीव एक छोटा द्वीप है। उत्तरी सागर में अरब सागर और दक्षिणी तरफ नदी चेसी गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के उना के साथ पुल से हिनटर भूमि से जुड़ी हुई है। अब तक, दीव जिले में कोई भी बाढ़ की स्थिति नहीं मिली है। हालांकि, भारी बारिश और चक्रवात हवा के दौरान नीचले क्षेत्र पानी से भर जाते हैं ।

नवंबर 1982 में तूफान चक्रवात के दौरान और भारी पानी में गिरावट के चलते 1996 में गंभीर चक्रवात के कारण बाढ़ के कारण सॉल्ट पैन, मछली पकड़ने के जहाजों, सड़कों, बिजली के चुनाव, पेड़ों आदि का भारी नुकसान हुआ। जलाराम सोसाइटी के गांवों और सड़कों और वानाकबरा और पावती क्षेत्र के वादी शेरी क्षेत्र बुखारवाड़ा गांव की बाढ़ से प्रभावित होने की पहचान की गई है।

3.4 धरती

भूकंप अचानक चेतावनी के बिना आता है और अप्रत्याशित हैं। इसलिए भवनों, संरचनाओं, संचार सुविधाओं, जल आपूर्ति लाइनों, बिजली और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय अति महत्वपूर्ण प्राथमिकता हैं।

भूकंप प्राकृतिक रचना के परस्पर प्रभाव के कारण होते हैं।

भारत के भूकंप क्षेत्रीय मानचित्र के अनुसार, कम नुकसान जोखिम क्षेत्र के लिए उच्च क्षति के आधार पर पांच भूकंपीय क्षेत्र हैं। इस भूकंप क्षेत्रीय मानचित्र का उद्देश्य देश की साइट के क्षेत्र को कई क्षेत्रों को वर्गीकृत करना है, जिसमें कोई भूकंप के झटके की तीव्रता का अनुमान लगा सकता है जो भविष्य के भूकंप की स्थिति में होगा। भूकंप की परिमाण और तीव्रता को रिक्टर स्केल के अनुसार मात्राबद्ध किया जा सकता है। भूकंप की परिमाण एम को उस संख्या से दर्शाया गया है जो भूकंप घटना के दौरान जारी ऊर्जा का एक उपाय है।

दमण और दीव परिदृश्य

संघ प्रदेश दमण भौगोलिक रूप से अरब सागर तट पर गुजरात का हिस्सा है। पिछले 200 वर्षों के दौरान, गुजरात ने 1819, 1845, 1847, 1848, 1864, 1903, 1938, 1956, 2001 में मध्यम से तीव्र तीव्रता के 9 भूकंप दर्ज किए। इतिहास में सबसे बुरे भूकंपों में से एक 2001 में मृत्यु दर के साथ था 26 में से 4 अक्टूबर, 1851 को दमण को भूकंप का सामना करना पड़ा। एक रिकॉर्ड किए गए संस्करण के अनुसार, यह भूमिगत विस्फोट और भारी गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था जो कुछ सेकंड के लिए जारी रहा ।

भारत के भूकंप के खतरे के नक्शे के अनुसार, दमण मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र में स्थित है, जिसमें रिचटर स्केल पर 5.0 से 6.0 तीव्रता के संभावित भूकंप के साथ स्थित है।

2001 से पहले, दीव को गंभीर भूकंप का सामना करना पड़ा। एक रिकॉर्ड किए गए संस्करण के अनुसार, यह भूमिगत विस्फोट और भारी गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था जो कुछ सेकंड के लिए जारी रखा। 26 जनवरी 2001 को, लगभग 10 घरों और कई घरों की दीवार भी गिर गई।

भूकंप के खतरे के नक्शे के अनुसार, दीव मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र में स्थित है, जिसमें रिक्टर पैमाने पर 5.0 से 6.0 तीव्रता के संभावित भूकंप के साथ मामूली क्षति जोखिम क्षेत्र में स्थित है।

3.5: सुनामी

• दमण और दीव अपने समुद्र तट और अरब सागर में निकट और ऑफशोर पनडुब्बी भूकंप की घटना की संभावना के कारण सुनामी जोखिम से ग्रस्त हैं।

• मकरन सबडक्शन ज़ोन (एमएसजेड) - कराची का दक्षिण पश्चिम एक सक्रिय गलती क्षेत्र है जो समुद्र के नीचे एक उच्च तीव्रता के भूकंप का कारण बन सकता है जिससे सुनामी आ जाती है।

3.6 रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएं

एक "रासायनिक दुर्घटना या आपातकालीन" एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप मानव या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पदार्थ या पदार्थों को छोड़ दिया जाता है और / या लघु या दीर्घ अवधि में वातावरण होता है। ये घटनाएं बीमारी, चोट, विकलांगता या मानव की मौत का कारण बन सकती हैं, अक्सर बड़ी संख्या में, और परिणामस्वरूप मानव और आर्थिक लागत (ओईसीडी / यूएनईपी) के साथ पर्यावरण को व्यापक नुकसान हो सकता है।

रासायनिक और औद्योगिक आपात स्थिति कई तरीकों से उत्पन्न हो सकती है:

• पौधे को संभालने या जहरीले पदार्थों का उत्पादन करने में आपदा / विस्फोट।

• भंडारण सुविधाओं में दुर्घटनाएं, बड़ी और विभिन्न मात्राओं को संभालने वाले
रसायन।

• एक साइट से दूसरे स्थान पर रसायनों के परिवहन के दौरान दुर्घटनाएं।

• रसायनों का दुरुपयोग, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य भंडारों का संदूषण होता है या
पर्यावरण, अतिदेय या कृषि रसायन।

• जहरीले अपरिवर्तित डंपिंग जैसे अयोग्य अपशिष्ट प्रबंधन
अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली या दुर्घटनाओं में रसायन, विफलता।

• तकनीकी प्रणाली की विफलताएं ।

• पौधों की सुरक्षा डिजाइन या पौधों के घटकों की विफलता।

• आग, भूकंप और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरे।

• आर्सन और तबाही।

• मानव त्रुटि।

भारतीय परिदृश्य

पूरी दुनिया में, लोग औद्योगिक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं जो खतरनाक हो जाते हैं। पर्यावरण में पदार्थ। गाड़ियों को ले जाने वाली गाड़ियों और ट्रक उलटी हुई गाड़ियों। पाइपलाइनों टूटने और रासायनिक संयंत्र आकस्मिक रिसाव और रिलीज विकसित करते हैं। एक जिले में होने वाली दुर्घटनाएं अन्य जिलों की आबादी को गंभीर रूप से प्रभावित कर

सकती हैं या शायद पूरे क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए, ऐसी घटनाओं को रोकने या जवाब देने और हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण तैयारी की जानी चाहिए।

दमण और दीव परिदृश्य।

दमण और दीव के संघ शासित प्रदेश को देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में से एक माना जाता है। 1980 से, विशेष रूप से दमण में उद्योगों का वास्तविक प्रवाह रहा है।

दमण :

दमण के पास लगभग 2500 औद्योगिक इकाइयां हैं और लगभग 60000 कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रमुख उद्योग प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयां हैं, कपड़ा (टेक्सटाइजिंग / ट्विस्टिंग / स्पिनिंग / बुनाई / लूम इत्यादि), फार्मास्युटिकल्स (केवल फॉर्मूलेशन और थोक दवाएं नहीं), वायर ड्रॉइंग, नालीदार बक्से और अन्य पेपर उत्पाद, टाइल्स, इंजीनियरिंग, प्रसाधन सामग्री और डिटर्जेंट, डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज, तेल और ग्रीस, बुने हुए बोरे, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां, इकाइयों को इकट्ठा करना, लौह और गैर लौह इकाइयों आदि, रसायन (गैर खतरनाक - मिश्रण और केवल रसायनों का मिश्रण)। प्रदूषण नियंत्रण समिति की जानकारी के अनुसार, दमण और सीआईएफ / बी इन उद्योगों को निर्धारित सीमाओं के भीतर पहचान किए गए खतरनाक रसायनों को रखने की अनुमति है और इसलिए रासायनिक दुर्घटनाओं की संभावना कम है।

कई कारखानों में डीजी सेट और बॉयलर है और ये इकाइयां पेट्रोलियम ईंधन का उपयोग करती हैं, जो आम तौर पर टैंक में संग्रहित होती हैं। ये ईंधन फर्नेस ऑयल / एलडीओ / एचएसडी और विनिर्माण के तहत दहलीज मात्रा हैं; खतरनाक रसायन नियमों का भंडारण और आयात नियम, 1 9 8 9 (पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1 9 86 के तहत अधिसूचित पृथक भंडारण के लिए 15000 टन है। हालांकि, इन संघ प्रदेश में उद्योगों में बहाली गई सामान्य मात्रा 1 टन से 150 टन के बीच है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक डाइक दीवार पेट्रोलियम टैंक के आसपास प्रदान की जाती है ताकि रिसाव के मामले में। पेट्रोलियम उत्पाद फैल नहीं जाते हैं और खतरे का कारण बनते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभी पेट्रोलियम उत्पादों / खतरनाक पदार्थ मुख्य संयंत्र से सभी मामलों में अलग हो जाते हैं। इसके अलावा, उचित अग्निशमन उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा बक्से, नकली अभ्यास, नौकरी से संबंधित प्रशिक्षण इत्यादि प्रबंधन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कुछ कारखानों में जहां भी आवश्यक हो, साइट पर आपातकालीन योजनाएं तैयार की गई हैं, जो प्रबंधन को सौदा करने में सक्षम बनाती हैं फैक्ट्री परिसर के भीतर आपातकाल के समय सुरक्षा पहलू के साथ।

दमण में अब तक कोई रासायनिक दुर्घटना नहीं हुई है।

दीव:

दीव में लगभग 63 लघु उद्योग औद्योगिक इकाई है जिसमें क्षेत्र में रोजगार उत्पादन देने में 6.58 करोड़ निवेश है। उद्योग मुख्य रूप से टिन, बर्फ संयंत्र, तेल, प्लास्टिक इत्यादि हैं। सौभाग्य से, कोई भी उद्योग खतरनाक रसायनों से संबंधित नहीं है और तदनुसार रासायनिक दुर्घटनाओं का मौका न्यूनतम है। दीव में अतीत में कोई रासायनिक खतरा नहीं रहा है।

3.7: अग्निकांड संबंधी विनाश

उचित सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करने पर मानवीय संपर्क होने पर आग की घटनाएं आपदा बन जाती हैं; । यह एक आपदा है जो तेजी से फैलती है और इसके शमन और प्रबंधन हेतु तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। वृहद और सूक्ष्म दोनों स्तर पर योजना और कार्यान्वियन मशीनरी वृहद आपदा और सूक्ष्म-आपदा दोनों की तैयारी उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए। मानव और आर्थिक नुकसान व्यापक स्तर पर होता है ।

भारतीय परिदृश्य

शहरी क्षेत्रों के खतरनाक विकास और हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के अनियोजित विस्तार के कारण, आग की घटनाओं ने आपदा का रूप लिया था। आम तौर पर, यह एक छोटे से दुर्घटना के रूप में शुरू होता है और तुरंत नियंत्रित नहीं होने पर अग्निकांड का रूप धारण कर लेता है।

दमण परिदृश्य

'प्रदूषण नियंत्रण समिति दमण' से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, दमण में कोई उद्योग नहीं है जो कुल 2500 पंजीकृत बड़े / मध्यम / छोटे उद्योगों में खतरनाक रसायनों का उत्पादन करता है। उद्योग में हो सकने वाली प्रमुख संभावित दुर्घटना 'आग' है। हमारे सुभेद्यता विश्लेषण से पता चलता है कि आग के अलावा, किसी भी उद्योग में मानव निर्मित आपदा की कोई घटना नहीं हुई है।

दमण अग्नि सेवा की विस्तृत जानकारी के अनुसार, दमण में आग की घटनाओं की औसत संख्या प्रति वर्ष लगभग 40 है। इन घटनाओं में से लगभग 25-30% अग्नि कांड की घटनाएं गंभीर प्रकृति की हैं।

दमण अग्नि सेवा की विस्तृत जानकारी:

वर्ष	अग्निशमन कॉल				आपात कॉल	फॉल्स कॉल	कुल	घायल	जीवन बचाव	जनहानि	शुल्क/राजस्व की प्राप्ति
	लघु	मध्यम	प्रधान	घातक							
2006	39	09	20	00	42	00	**110**	01	02	06	246461/-
2007	48	15	14	00	38	00	**115**	04	00	00	143386/-
2008	41	08	13	01	30	01	**94**	02	00	02	142299/-
2009	42	13	14	00	37	01	**107**	00	00	01	33623/-
2010	52	12	21	01	52	01	**139**	02	05	04	27491/-
2011	**53**	06	19	00	41	00	**119**	01	00	01	65346/-
2012	**51**	12	24	00	47	01	**135**	00	04	00	134590/-
2013	**61**	08	15	00	54	01	**139**	03	00	02	27049/-

वर्ष	अग्निशमन कॉल				आपात	फॉल्स	कुल	घायल	जीवन	जनहानि	शुल्क/राजस्व
कुल	**387**	83	140	02	341	05	**958**	13	11	16	820245/-

जिला: मोटी दमण

वर्ष	अग्निशमन कॉल				आपात कॉल	फॉल्स कॉल	कुल	घायल	जीवन बचाव	जनहानि	शुल्क/राजस्व की प्राप्ति
	लघु	मध्यम	प्रधान	घातक							
2006	00	00	00	00	00	00	**00**	00	00	00	00
2007	13	01	03	00	15	00	**32**	00	00	00	00
2008	11	00	04	00	17	00	**32**	00	00	00	00
2009	08	02	01	00	10	00	**21**	00	00	00	00
2010	21	02	07	00	15	00	**45**	00	00	01	00
2011	29	03	04	00	15	00	**51**	**00**	**00**	**00**	**00**
2012	32	03	13	00	15	00	**63**	**00**	**00**	**00**	**00**
2013	29	05	07	00	18	01	**60**	**01**	**00**	**06**	**00**
कुल	**143**	**16**	**39**	**00**	**105**	**01**	**304**	**01**	**00**	**07**	**00**

जिला: दीव

वर्ष	अग्निशमन कॉल				आपात कॉल	फॉल्स कॉल	कुल	घायल	जीवन बचाव	जनहानि	शुल्क/राजस्व की प्राप्ति
	लघु	मध्यम	प्रधान	घातक							
2006	19	02	02	00	33	00	**56**	00	00	00	
2007	24	06	05	00	83	00	**118**	00	00	00	
2008	20	04	06	00	40	00	**70**	00	00	00	
2009	36	06	06	00	51	00	**99**	00	00	00	
2010	26	04	00	00	43	02	**75**	02	00	03	
2011	52	03	02	00	28	01	**86**	**00**	**04**	**01**	
2012	47	03	03	00	31	00	**84**	**00**	**00**	**00**	
2013	39	02	00	00	68	01	**110**	**00**	**00**	**00**	
कुल	**263**	**30**	**24**	**00**	**377**	**04**	**698**	**02**	**04**	**04**	

दीव परिदृश्य

दीव अग्नि सेवा की विस्तृत जानकारी के अनुसार, दीव में आग की घटनाओं की औसत संख्या प्रति वर्ष लगभग 50 है। इन घटनाओं में से लगभग 5-10% अग्नि घटनाएं गंभीर प्रकृति की हैं। लेकिन आग की किसी भी घटना में मनुष्यों और संपत्ति के नुकसान की कोई हानि नहीं हुई है।

3.8: महामारियां

एक महामारी को किसी बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना के घटित होने के रूप में परिभाषित किया जाता है जो असामान्य रूप से बड़ा या अप्रत्याशित होता है। महामारी आमतौर पर एक बीमारी के कारण होती है जिसे संक्रामक या

परजीवी उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है या आभरा की जाती है ; हालांकि, महामारी अन्य खतरों से जुड़ी हो सकती है। एक महामारी तेजी से एक आपदा में विकसित हो सकती है, इस प्रकार एक त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

महामारी शब्द को बीमारी की घटना में किसी भी स्पष्ट वृद्धि के लिए लागू किया जा सकता है और अचानक प्रकोप तक ही सीमित नहीं है। नई और अपरिचित महामारी कभी-कभी जैसे एड्स (तीव्र-इम्यूनोडेफिशियेंसी सिंड्रोम) जैसे उत्पन्न होती हैं, जिसे 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया गया था जब दवाओं के लिए अनुरोध बढ़ गए थे।

जब पर्यावरण संबंधी स्थितियों, मेजबान संवेदनशीलता, या मेजबान वाहक इस तरह से ट्रांसमिशन और संक्रमण के पक्ष में बदलते हैं, तो कई महामारी रोग महामारी का कारण बन सकते हैं।

दमण और दीव परिदृश्य

दमण और दीव में अतीत हामारी का कोई इतिहास नहीं है। हालांकि, वर्ष 199 4 में सूरत में एक आपदा हुई थी जो दमण से 120 किमी दूर है।

अध्याय: 4: - रोकथाम और तैयारी के उपाय

4.1 रणनीति

• पूर्व आपदा चरण में रोकथाम, शमन और तैयारी से जुड़े समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता हुआ आपदा प्रबंधन पर नीति ढांचा
• संघ शासित आपदा शमन निधि का निर्माण।
• सभी स्तरों पर आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना ।
• मीडिया और स्कूली शिक्षा का उपयोग करके समुदायों में आपदा से बचने की तैयारी में सुधार के लिए जागरूकता पैदा करना।
• विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विधायी और नियामक उपकरणों में उचित संशोधन।
• आपदा उपरांत स्थितियों में क्षति की प्रकृति और सीमा के तीव्र आकलन हेतु सर्वेक्षण और जांच के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर क्षमता निर्माण।
• अनुक्षेत्र वर्गीकरण सर्वेक्षण आयोजित करना।
• आपदा प्रतिरोधी निर्माण तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित करना ।
• कानून द्वारा और प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से समाज के सभी क्षेत्रों में आपदा प्रतिरोधी निर्माण से संबंधित आपदा प्रतिरोधी कोड और दिशानिर्देशों का उपयोग संवर्धन ।
• अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना ।

4.2 रोकथाम और कमी उपाय

कमी के उपाय दुहरा होगा:

• संरचनात्मक: - यह आम तौर पर भौतिक निर्माण या अन्य विकास कार्यों पर पूंजीगत निवेश का संदर्भ देता है, जिसमें इंजीनियरिंग उपायों और खतरे प्रतिरोधी और सुरक्षात्मक संरचनाओं और अन्य सुरक्षात्मक आधारभूत संरचना का निर्माण शामिल है।
• गैर संरचनात्मक: - यह जागरूकता और शिक्षा, नीतियों तकनीकी-कानूनी प्रणालियों और प्रथाओं, प्रशिक्षण, क्षमता विकास इत्यादि को संदर्भित करता है।

सभी खतरों हेड संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय ।

क्र.सं.	कार्य	गतिविधियां
1	भूमि उपयोग योजना	• क्षेत्र के खतरे, जोखिम और भेद्यता को देखते हुए संघ प्रदेश की भूमि उपयोग योजना। • विकास सुनिश्चित करने के लिए, खतरे, जोखिम, भेद्यता और सूक्ष्मता के संदर्भ में संघ प्रदेश की योजनाएं तैयार की जाती हैं। • किसी कारखाने / उद्योग की योजना अनुमति को संघ प्रदेश के खतरे, जोखिम और भेद्यता के संदर्भ में भूमि उपयोग योजना पर विचार करना चाहिए।
	भूकंप विशिष्ट योजना	• आवासीय / वाणिज्यिक संरचनाओं के निर्माण के लिए भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन सुविधाओं को विकसित करना। • उन संरचनाओं की पहचान करें जिन्हें रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता होती है। असुरक्षित इमारतों / संरचना की पहचान और निष्कासन।
2	विकास कार्यक्रमों में मुख्यधारा आपदा प्रबंधन	• सुनिश्चित करें कि संघ प्रदेश में प्रत्येक विकास कार्यक्रम / योजना को केवल तभी मंजूर किया जाना चाहिए जब वह आपदा प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करे। • सुनिश्चित करें कि आपदा प्रबंधन के पर्याप्त धन के प्रावधान के साथ कार्यक्रम/योजना/परियोजना की सुविधा है।
3	नई तकनीक का अनुकूलन	• बांध और जलाशयों, भवन निर्माण, निर्माण इत्यादि सहित आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग इनपुट का उपयोग।
4	तकनीकी-कानूनी व्यवस्था	• विधि निर्माण की समीक्षा और संशोधन। • कोड और नियमों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
5	सुरक्षा लेखा परीक्षा	• सभी महत्वपूर्ण जीवन रेखा संरचनाओं के संरचनात्मक सुरक्षा लेखा परीक्षा को ले जाना।
6	क्षमता निर्माण	• ऑनसाइट और ऑफ़साइट चेतावनी प्रसार के लिए आधारभूत संरचना स्थापित करें। • सभी स्तर पर ई.ओ.सी./ई.आर.सी. का निर्माण/सुदृढीकरण। • पीपीई समेत सभी आवश्यक उपकरणों की खरीद।
गैर-संरचनात्मक उपाय		
1	योजना	बहु-जोखिम आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें • खतरनाक आकस्मिक योजना तैयार करें। • खतरनाक विभागीय कार्य योजना और एसओपी सुनिश्चित करें। • नियमित अंतराल पर नकली अभ्यास का संचालन करें।

क्र.सं.	कार्य	गतिविधियां
		• आवश्यकता के अनुसार योजना अद्यतन करें। • जिला और तालुका स्तर पर इसी तरह की गतिविधियों की निगरानी करें।
2	क्षमता निर्माण	• प्रकाशन और वितरण के लिए बहु-खतरे आईईसी सामग्री का विकास। • आम जनता में जागरूकता निर्माण के लिए मीडिया अभियान। • प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन। • पाठ्यक्रम में आपदा संबंधित विषयों को शामिल करें। • आपदा बीमा को प्रोत्साहित करें। • अनुकूल कराधान/प्रोत्साहन प्रोत्साहित करें।
3	सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन	• सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानीय भेद्यता और जोखिम, आपदा निवारण आवश्यकताओं, तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को समझने के लिए स्थानीय स्वयं सरकारी संस्थाओं की क्षमता को सुदृढ़ बनाना।

4.3 विकासशील योजनाओं / परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन मुद्दों को मुख्यधारा में शामिल करना

- विकास योजना में आपदा जोखिम में कमी को मुख्यधारा में लाना संघ प्रदेश प्रशासन के लिए प्राथमिकता रही है।
- जोखिम में कमी लाने को मुख्यधारा में लाने के परिणामस्वरूप आपदा जोखिम को कम करने के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में नई भेद्यता तैयार न हों ।
- विशेष रूप से नई परियोजनाओं के लिए विकास योजना में आपदा प्रबंधन को एकीकृत करने के प्रयासों के साथ केंद्र सरकार ने **ई.एफ.सी.** (व्यय वित्त समिति) से पूर्व अनुमोदन और आपदा प्रबंधन चिंताओं को दूर करने लिए **डी.पी.आर.** तैयार करने (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) प्रारूपों में संशोधन किया है ।

प्रमुख क्षेत्रों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, ई.एफ.सी. प्रारूप और जिम्मेदार विभागों के लिए एक जॉच सूची नीचे दिखाया गया है।

कार्य	गतिविधियां	उत्तरदायित्व
विकास योजना में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में शामिल करना	1. यह पता लगाने के लिए कि परियोजना में संरचनात्मक / इंजीनियरिंग संपत्तियों का कोई निर्माण / संशोधन शामिल है या नहीं। 2. परियोजना साइटों के स्थान के कारण आपदाओं से संभावित जोखिम, संभावना और प्रभाव का पता लगाने के लिए। 3. यह पता लगाने के लिए कि संभावित जोखिमों को प्राथमिकता दी गई है और संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों दोनों पर विचार-विमर्श उपायों पर विचार किया जा रहा है। 4. यह पता लगाने के लिए कि संरचना के डिजाइन और इंजीनियरिंग ने राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, 2005, उपयुक्त बी.आई.एस. कोड, परियोजना के प्रकार और एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य लागू स्रोतों को ध्यान में रखा है या नहीं। 5. यह पता लगाने के लिए कि क्या आपदा उपचार / शमन उपायों की लागत समग्र परियोजना लागत में शामिल की गई है। 6. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपलब्ध जानकारी और माध्यमिक साक्ष्य के आधार पर जोखिम मूल्यांकन की प्रक्रिया की गई है या नहीं।	संघ प्रदेश प्राधिकरण डी.डी.एम.ए. स्थानीय निकाय ओ.आई.डी.सी. रेखा विभाग

प्रमुख क्षेत्रों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, डी.पी.आर. प्रारूप और जिम्मेदार विभागों के लिए एक जॉंच सूची नीचे दी गई है:

कार्य	गतिविधियां	उत्तरदायित्व
विकास योजना में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में शामिल करना	• परियोजना का प्रभाव आकलन (प्राकृतिक आपदाओं द्वारा परियोजना के कारण होने वाली क्षति, परियोजना का डिज़ाइन जो आपदाओं के क्षेत्र की कमजोरता को बढ़ा सकता है और / या जीवन, संपत्ति, आजीविका और आसपास के नुकसान / हानि में वृद्धि का कारण बन सकता है वातावरण), • परियोजना का जोखिम मूल्यांकन। • परियोजना की भेद्यता मूल्यांकन (संभावनाओं के संबंध में साइट का मूल्यांकन संभावित संभाव्य भूकंप, संभाव्य अधिकतम तूफान वृद्धि, संभावित अधिकतम हवा की गति, संभावित अधिकतम वर्षा, संभाव्य अधिकतम बाढ़ निर्वहन और स्तर, संभाव्य भूकंप तीव्रता के तहत मिट्टी की तरलता प्रवणता) की शिकायत ➢ भूमि उपयोग प्रबंधन ➢ बिल्डिंग कोड ➢ बिल्डिंग उपयोग विनियमन ➢ निर्देश और विधान ➢ रखरखाव की आवश्यकता। • परियोजना के स्थान के बारे में विवरण, परियोजना क्षेत्र की प्रकृति को विभिन्न खतरों और परियोजना की सुरक्षा पर प्रभाव के विश्लेषण के बारे में जानकारी। • परियोजना के प्रकार के संबंध में पर्यावरण और आसपास की आबादी पर परियोजना का प्रभाव और इसके प्रभाव को कम करने के लिए शमन उपायों को अपनाना।	• सं.प्र.आ.प्र.प्रा. • सूचीबद्ध विभाग के परियोजना की तैयारी • परियोजना को मंजूरी दे दी विभाग ➢ प्रशासनिक ➢ आर्थिक रूप से ➢ तकनीकी तौर पर • स्थानीय निकाय

4.4: तैयारी उपाय

4.4.1: संसाधन उपलब्धता

पिछली आपदा के दौरान, यह देखा गया है कि आपदा प्रबंधन से संबंधित सूची का एक व्यापक डेटाबेस एक संगठित प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है। अधिकांशतः, उचित और पर्याप्त जानकारी की कमी ने तेज और सुविचारित प्रतिक्रिया में बाधा डाली है जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई है जो ऐसी घटनाओं में विनाशकारी हो सकती है । इसलिए, ग्राम स्तर से संघ प्रदेश स्तर तक, ऐसे संसाधनों का डेटाबेस तैयार करने के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई थी।

कार्य	गतिविधियां	उत्तरदायित्व
संसाधन मानचित्रण	1. उपलब्ध संसाधनों की पहचान करें जैसे कि आपदा प्रबंधन के लिए मानव, वित्तीय और उपकरण - संघ प्रदेश स्तर। - जिला स्तर - गांव पनाचायत स्तर - नगर पालिका स्तर - सार्वजनिक क्षेत्र - निजी क्षेत्र - समुदाय स्तर 2. आवश्यकता के अनुसार संसाधनों के अंतराल की पहचान।	• Revenue Dept. • COR • Line dept. • Dist. Collectors • Local Bodies.

कार्य	गतिविधियां	उत्तरदायित्व
	3. संसाधनों की कमी की खरीद के लिए प्रक्रिया।	

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आई.डी.आर.एन.)

आई.डी.आर.एन., एक वेब आधारित सूचना प्रणाली, उपकरणों की सूची, कुशल मानव संसाधनों और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति के प्रबंधन के लिए एक मंच है। प्राथमिक फोकस निर्णय निर्माताओं को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता पर उत्तर खोजने में सक्षम बनाना है। यह डेटाबेस उन्हें विशिष्ट भेद्यता के लिए तैयारी के स्तर का आकलन करने में सक्षम बनाएगा।

संसाधन सूची में सूचीबद्ध कुल 226 तकनीकी आइटम। यह एक राष्ट्रव्यापी जिला स्तर संसाधन डेटाबेस है।

राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक उपयोगकर्ता को अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दिया गया है जिसके माध्यम से वे अपने जिले में उपलब्ध संसाधनों के लिए आईडीआरएन पर डाटा एंट्री, डेटा अपडेट कर सकते हैं।

आईडीआरएन नेटवर्क में विशिष्ट उपकरण, कुशल मानव संसाधन और उनके स्थान और संपर्क विवरण के साथ महत्वपूर्ण आपूर्ति के आधार पर कई क्वेरी विकल्प उत्पन्न करने की कार्यक्षमता है।

दमण और दीव के संघ प्रदेश प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि आईडीआरएन पोर्टल पर दोनों जिलों के डेटा का नियमित अपडेट किया जाएगा।

4.4.2: समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन

• किसी भी आपदा में समुदाय न केवल शिकार होता है बल्कि हमेशा में पहला अनुक्रियादाता है।
• किसी भी आपदा समुदाय की मुकाबला क्षमता के आसपास घूमती है।
• इसलिए, समुदाय को रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, प्रतिक्रिया, राहत, वसूली यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के साथ निकटता से जुड़ा होना चाहिए।

कार्य	गतिविधियां	उत्तरदायित्व
सामुदायिक तैयारी	1. कमजोर समुदाय और खतरे में सबसे कमजोर समूहों का चयन करना (लिंग के मुद्दों को ध्यान में रखें)।	•राजस्व विभाग • सं.प्र.आ.प्र.प्रा. •वित्त विभाग • स्थानीय निकाय • मामलतदार
	2. भेद्यता और समुदाय के लिए जोखिम के बारे में जानकारी प्रसारित करें।	
	3. सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानीय स्तर के आपदा जोखिम प्रबंधन योजना को बढ़ावा देना।	
	4. समुदाय आपदा रोकथाम, शमन और तैयारी के लिए जहां भी आवश्यक हो सलाह और मुद्दा दिशा।	
	5. समुदाय स्तर पर आपदा जोखिम में कमी के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करें।	

कार्य	गतिविधियां	उत्तरदायित्व
	6. समुदाय प्रबंधित कार्यान्वियन को बढ़ावा देना	
	7. समुदाय स्तर पर तैयारी की समीक्षा करें।	
	8. सामुदायिक तैयारी को बढ़ाने के लिए उचित कार्रवाई करें।	
	9. सामुदायिक शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।	
	10. समुदाय को आने वाली आपदा की भविष्यवाणी और चेतावनी के समय पर प्रसार के लिए सुरक्षित सुरक्षित तंत्र सुनिश्चित करें।	
	11. किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए समुदाय को जानकारी प्रसारित करें	

4.4.3 प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अन्य सक्रिय उपाय

कार्य	गतिविधियां	उत्तरदायित्व
	1. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में व्यक्तिगत स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण।	• सं.प्र.आ.प्र.प्रा.
	2. घर पर प्रशिक्षण खोज और बचाव सहित आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में व्यक्तिगत।	• एन.आई.डी.एम. • सं.प्र.आ.प्र.प्रा.
	3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में व्यक्तिगत और शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण।	• शिक्षा विभाग • सं.प्र.आ.प्र.
	4. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में नागरिक समाज और कॉर्पोरेट संस्थाओं को प्रशिक्षण।	• एन.आई.डी.एम. • सं.प्र.आ.प्र.प्रा.
	5. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में आग लगाना और आपातकालीन सेवा व्यक्तिगत	• एन.आई.डी.एम. • सं.प्र.आ.प्र.प्रा.
	6. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में पुलिस और यातायात व्यक्तिगत प्रशिक्षण	• गृह विभाग • पुलिस • एन.आई.डी.एम. • सं.प्र.आ.प्र.प्रा.
	7. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में मीडिया को प्रशिक्षण	• एन.आई.डी.एम. • सं.प्र.आ.प्र.प्रा. • सूचना विभाग
	8. सरकार को प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में अधिकारी	• एन.आई.डी.एम. • सं.प्र.आ.प्र.प्रा. • विभागीय प्रशिक्षण संस्थान
	9. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स, संरचनात्मक इंजीनियरों, बिल्डरों और मेसों को प्रशिक्षण	• एन.आई.डी.एम. • सं.प्र.आ.प्र.प्रा. • विभागीय प्रशिक्षण संस्थान

जागरूकता

कार्य	गतिविधियां	उत्तरदायित्व

कार्य	गतिविधियां	उत्तरदायित्व
सूचना शिक्षा और संचार	1. विज्ञापन, रिकॉर्डिंग, पुस्तिकाएं, पुस्तिकाएं, बैनर, शेक-टेबल, प्रदर्शन, लोक नृत्य और संगीत, चुटकुले, सड़क खेल, प्रदर्शनी, टीवी स्पॉट, रेडियो स्पॉट, ऑडियो-विज़ुअल और वृत्तचित्र, स्कूल अभियान, - योजना और डिजाइन - निष्पादन और प्रसार	• राजस्व विभाग • सूचना विभाग • सं.प्र.आ.प्र.प्रा. • शिक्षा विभाग • स्थानीय निकाय

4.4.5:- तकनीकी-विधिक

कार्य	गतिविधियां	उत्तरदायित्व
संस्थागत व्यवस्था	1. राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्माण।	• राजस्व विभाग
	2. आ.प्र. नीति और दिशानिर्देशों का गठन।	
	3. राहत मानदंडों और पैकेजों का विकास।	• राजस्व विभाग • वित्त विभाग • सं.प्र.आ.प्र.प्रा.
	4. आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास (सं.प्र.आ.प्र.सं. ने कुछ खतरे की विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं) • जोखिम-वार राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं • राज्य की कार्य योजनाएं • विभागीय आपदा प्रबंधन योजनाएं • जिला, शहर और गांव योजनाएं।	• राजस्व विभाग • समस्त सूचीबद्ध विभाग • सं.प्र.आ.प्र.प्रा. • मामलतदार
	5. योजनाओं का नियमित अभ्यास, समीक्षा और अद्यतनीकरण।	
	6. योजनाओं का प्रकाशन और प्रसार	
	7. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना • अध्ययन आयोजित करें • विश्लेषण करें • लागू करना	• राजस्व विभाग • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग • सं.प्र.आ.प्र.प्रा. • आई.एम.डी. • डी.डी.एम.ए. • समस्त सूचीबद्ध विभाग
	8. कई चेतावनी संदेशों के लिए सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ व्यवस्था।	
	9. सुरक्षा उपाय • स्थानों की पहचान •अलार्म व्यवस्था • कार्मिक सुरक्षा उपकरण • जीवन की बचत विधियों और तकनीकों का प्रचार	• राजस्व विभाग • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग • सं.प्र.आ.प्र.प्रा. • आई.एम.डी. • डी.डी.एम.ए. • समस्त सूचीबद्ध विभाग
	10. राज्य और जिला स्तर पर राहत वितरण और लेखा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना • राहत की रसीद, भंडारण और वितरण के लिए केंद्रीकृत प्रणाली की पहचान • • राहत सामग्री का अनुबंध, खरीद और भंडार दर	• राजस्व विभाग • दमण नगरपालिका परिषद • जिला पंचायत • सं.प्र.आ.प्र.प्रा. • डी.डी.एम.ए. • नागरिक आपूर्ति विभाग
	11. राज्य, क्षेत्र और जिला स्तर पर ई.ओ.सी. को सुदृढ़ बनाना। • मौजूदा इमारतों का पुनर्निर्माण • संसाधनों को सुदृढ़ बनाना ▪ कार्य बल ▪ उपकरणों	• राजस्व विभाग • दमण नगरपालिका परिषद • जिला पंचायत • सं.प्र.आ.प्र.प्रा. • डी.डी.एम.ए. • समस्त सूचीबद्ध विभाग

कार्य	गतिविधियां	उत्तरदायित्व
	▪ एस.ओ.पी. ▪ वित्तीयता • वैकल्पिक ई.ओ.सी. के लिए व्यवस्था • नकली अभ्यास की व्यवस्था • रसद की व्यवस्था • संचार को सुदृढ़ करने के साधन।	

4.4.6: चिकित्सा तैयारी

कार्य	गतिविधियां
चिकित्सा तैयारी	1. संघ प्रदेश में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी सुविधाओं के लिए प्रामाणिक चिकित्सा डेटाबेस की तैयारी। • डेटा का संग्रहण • अंतर विश्लेषण • सुदृढ़ीकरण
	2. संसाधन प्रबंधन • जनशक्ति, रसद, चिकित्सा उपकरण, दवाएं, एंटीडोट्स, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, कीटाणुशोधक, टीकाकरण
	3. चिकित्सा घटना कमांड सिस्टम की पहचान - घटना कमांडर • संघ प्रदेश स्तर • जिला स्तर • आपदा क्षेत्र - प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक अनुभाग प्रमुख की पहचान •कार्यवाई •योजना • उपस्कर • प्रशासन और वित्त • मीडिया और सार्वजनिक सूचना - विभिन्न कार्य बल के प्रमुख सदस्यों की पहचान। - नियंत्रण कक्ष व्यवस्था • विभागीय नियंत्रण कक्ष • संघ प्रदेश और जिला नियंत्रण कक्ष बदलावों में संपर्क अधिकारी की नियुक्ति। - योजना • चिकित्सा प्रबंधन योजना की तैयारी ○ संघ प्रदेश स्तर ○ जिला स्तर ○ अस्पताल तैयारी योजना - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण • अस्पताल की तैयारी, • पूर्व अस्पताल देखभाल, • मास दुर्घटना प्रबंधन, आदि

अध्याय: 5: - आपदा प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया उपाय वे हैं जो चोटों को सीमित करने, जीवन की हानि और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और आपदा से प्रभावित होने की संभावना रखने के उद्देश्य से तुरंत आपदा से पहले और बाद में किए जाते हैं। प्रतिक्रिया प्रक्रिया शुरू होती है जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि एक विनाशकारी घटना आसन्न होती है और यह तब तक चलती है जब तक आपदा खत्म नहीं हो जाती है।

प्रतिक्रिया में न केवल उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो सीधे तत्काल जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और आश्रयों, बल्कि ऐसे प्रयासों को समन्वय और समर्थन के लिए विकसित प्रणाली भी शामिल हैं। प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए, सभी हितधारकों को खतरों, इसके परिणामों और कार्यों के बारे में स्पष्ट धारणा / दृष्टि की आवश्यकता होती है, जिन्हें इसकी स्थिति में लेने की आवश्यकता होती है।

संघ प्रदेश प्रशासन का राजस्व विभाग बचाव, राहत और पुनर्वास के आयोजन के उपायों को नियंत्रित करने, निगरानी करने और निर्देशित करने के लिए नोडल विभाग है। जब भी ऐसा होता है तो आपदा के प्रतिक्रिया प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों में सभी अन्य संबंधित लाइन विभागों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। संघ प्रदेश स्तर के साथ-साथ जिला नियंत्रण कक्षों के नियंत्रण कक्षों को पूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए।

5.1 संस्थागत व्यवस्था

इस संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन योजना के तहत, सभी आपदा विशिष्ट तंत्र एक ही छतरी के नीचे आते हैं जो सभी प्रकार की आपदाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को परिभाषित करके मौजूदा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यह व्यवस्था संघ प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष में शाखा व्यवस्था के माध्यम से राहत आयुक्त / जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासक का प्रस्ताव समर्थित प्रमुख के रूप में करती है। अध्याय 1 में आपदा प्रतिक्रिया संरचना विवरण का उल्लेख किया गया है।

5.2 ट्रिगर तंत्र और योजना सक्रियण।

संघ प्रदेश प्रशासन का राजस्व विभाग बचाव, राहत और पुनर्वास के आयोजन के उपायों को नियंत्रित करने, निगरानी करने और निर्देशित करने के लिए नोडल विभाग है। जब भी ऐसा होता है तो आपदा के प्रतिक्रिया प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों में सभी अन्य संबंधित लाइन विभागों को पूर्ण सहयोग का विस्तार करना चाहिए।

आपदा प्रतिक्रिया संरचना आपदा चेतावनी / आपदा की घटना पर प्राप्त होने पर सक्रिय की जाएगी। सबसे तेज़ साधनों से कलेक्टर को संबंधित निगरानी प्राधिकारी द्वारा आपदा की घटना की सूचना दी जा सकती है। कलेक्टर संघ प्रदेश स्तर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष / प्रशासक को सूचित करेगा और संघ प्रदेश स्तर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला ईओसी सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों को सक्रिय करेगा। और, वे निम्नलिखित विवरण शामिल करने के लिए निर्देश जारी करेंगे:

• संसाधनों की सटीक मात्रा (प्रमुख विभागों/हितधारकों से जनशक्ति, उपकरणों और आवश्यक वस्तुओं के मामले में) की आवश्यकता है।

• मुहैया कराई जाने वाली सहायता का प्रकार।

• समय सीमा जिसमें सहायता की आवश्यकता है।

• अन्य कार्य / प्रतिक्रिया बल का विवरण जिसके माध्यम से समन्वय होना चाहिए।

जिला स्तर पर जिला ई.ओ.सी. और अन्य नियंत्रण कक्षों को पूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए। एक बार स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है और सामान्य स्थिति बहाल हो जाती है, सी.ओ.आर. आपातकालीन कर्तव्यों में तैनात कर्मचारियों को वापस लेने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया का अंत घोषित करता है और निर्देश जारी करता है।

आपातकालीन संचालन केंद्र

आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर (ई.ओ.सी.) एक भौतिक स्थान है और आम तौर पर संचार, सहयोग, समन्वय और आपातकालीन सूचना प्रबंधन के लिए आवश्यक स्थान, सुविधाएं और सुरक्षा शामिल है। वर्तमान में जिला आपदा कक्ष (डी.डी.सी.)/नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्टर/सी.ओ.आर. की देखरेख में जिला स्तर पर ई.ओ.सी. के रूप में काम कर रहा है।

सं.प्र.आ.प्र.प्र. संघ प्रदेश के साथ-साथ जिला स्तर पर ई.ओ.सी. विकसित करने की प्रक्रिया में है जो प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक नेटवर्क होगा जिसमें आपातकालीन संचार, संचालन और प्रतिक्रिया प्रबंधन शामिल है। ई.ओ.सी. आपदा की स्थिति में गतिविधि का केंद्र होगा। हालांकि, इसकी सामान्य समय गतिविधियों को कम से कम नहीं समझना है। ई.ओ.सी., महत्वपूर्ण संगठनात्मक संरचना, मांग बढ़ने पर विस्तार करने के लिए लचीला है, और स्थिति सामान्य होने पर अनुबंध होती है।

ई.ओ.सी. की सक्रियता

ई.ओ.सी. राहत कार्यों के समग्र समन्वय और नियंत्रण के लिए एक नोडल बिंदु है। एल 1 आपदा के मामले में डी.ओ.सी. सक्रिय किया जाएगा, एल-2 आपदा के मामले में यू.ई.टी.ओ.सी. डी.ई.ओ.सी. के साथ सक्रिय किया जाएगा।

ई.ओ.सी. का प्राथमिक कार्य:

• आपदा जानकारी प्राप्त करें, निगरानी करें और मूल्यांकन करें।

• उपलब्ध संसाधनों का ट्रैक रखें।

• प्रतिक्रिया इकाइयों और संसाधन अनुरोधों की निगरानी, आकलन और ट्रैक करें।

• इष्टतम उपयोग के लिए संसाधन परिनियोजन प्रबंधित करें।

• नीतिगत निर्णय लें और आवश्यकतानुसार स्थानीय आपात स्थिति का प्रचार करें।

• कानून प्रवर्तन, अग्नि, चिकित्सा, रसद इत्यादि सहित सभी प्रतिक्रिया इकाइयों के समन्वय संचालन।

• आवश्यक या उचित होने पर ई.ओ.सी. से किसी भी क्षेत्रीय संचालन के लिए व्यापक आपातकालीन संचार का विस्तार करें।

• ई.ओ.सी. सुरक्षा और अभिगम नियंत्रण बनाए रखें।

• स्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के जवाब में वसूली सहायता प्रदान करें

• वरिष्ठ, अधीनस्थ और किरायेदार अधिकारियों को सूचित रखें।

• स्थानीय क्षेत्राधिकार (गांव/शहर/शहर, जिला और राज्य) को सूचित रखें।
• सभी महत्वपूर्ण आपदा जानकारी लॉग और पोस्ट करने के लिए एक संदेश केंद्र संचालित करें।
• सार्वजनिक सूचना चेतावनियों और निर्देशों का विकास और प्रसार।

5.3: आपदा प्रतिक्रिया में संघ प्रदेश प्रशासन की भूमिका

5.3.1 जिला प्रशासन की भूमिका

जिला प्रशासन की क्षमता विश्लेषण के आधार पर, हमारे आदेश, नियंत्रण और समन्वय निम्नानुसार होंगे:

जिला, आपदा प्रबंधन समिति (डी.डी.एम.सी.)

अध्यक्ष:

• जिला समाहर्ता।

सदस्य:

1. पुलिस उपाधीक्षक
2. वन उप-संरक्षक
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत
4. उप-समाहर्ता
5. पुलिस प्रमुख
6. चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक
7. अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग
8. कार्यकारी अभियंता, विद्युत
9. कमांडिंग ऑफिसर, तटरक्षक
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत
11. अपर निदेशक शिक्षा
12. सहायक निदेशक परिवहन
13. मुख्य अधिकारी, दमण नगरपालिका परिषद
14. मामलतदार
15. खण्ड विकास अधिकारी।
16. पशु-चिकित्सा अधिकारी
17. क्षेत्रीय कृषि अधिकारी।
18. मत्स्यपालन अधीक्षक
19. अग्निशमन अधिकारी,
20. पत्तन अधिकारी
21. उप-निरीक्षक नागरिक आपूर्ति।
22. तटरक्षक के संबंधित कमांडिंग प्राधिकारी।

विशेष आमंत्रित:

• अध्यक्ष, औद्योगिक संघ

• विकास आयुक्त / आईजी (पुलिस)

• आयुक्त और सचिव (वित्त)

• अध्यक्ष, जिला पंचायत

• अध्यक्ष, दमण नगर परिषद

• संसद सदस्य, दमण और दीव

• अधीक्षक अभियंता - मधुबन बांध।

• प्रभागीय अभियंता - दूरसंचार

• गैर सरकारी संगठन, एन.एस.एस., स्काउट और गाइड

- वर्ष 2005 में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.) गठित किया गया है।
- संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सं.प्र.डी.एम.ए./एस.डी.एम.ए. को वर्ष 2005 में गठित किया गया है।

समाहर्ता द्वारा समन्वय बैठक (जिला आपदा प्रबंधन समिति) स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, बंदरगाह, शिक्षा, नगर पालिकाओं, तटरक्षक, पशुपालन, नागरिक आपूर्ति, प्रमुख गैर सरकारी संगठनों, राजनीतिक नेताओं और जिला के अभिमत श्रमिकों के प्रमुखों के साथ समाहर्ता द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर हर वर्ष अप्रैल और सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाए।

• विभिन्न आश्रयों और उपचार केंद्रों की कार्यक्षमता की स्थापना और सुनिश्चित करना।

• निगरानी और उपचार के लिए प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विभिन्न टीमों की पहचान।

• मोबाइल टीमों और उपचार केंद्रों को दवाएं और कीटाणुशोधक प्रदान करना।

• रोगी को निकटतम उपचार केंद्रों में परिवहन के लिए मोबाइल टीमों का आयोजन करना।

• आवश्यक बुनियादी ढांचे, सड़कों, जल निकासी, वाहनों, नौकाओं आदि की मरम्मत करने के लिए डीएमसी और पंचायत को जल निकासी व्यवस्था को सभी अवरोधों से मुक्त रखने के लिए विशेष निर्देश ताकि भारी बारिश की स्थिति में बारिश का पानी तेजी से निकल जाए।

• जहां भी आवश्यक हो, भोजन, आवश्यक वस्तुओं, प्राथमिक चिकित्सा किट, राहत सामग्री और जानवरों के लिए चारा आदि के स्टॉक को फिर से भरना, समिति आश्रय बिंदुओं और अन्य आवासीय क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

• चक्रवात के मामले में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को तैयार किया जाना चाहिए।

• संबंधित विभागों की समन्वय बैठक पूर्व-अनुबंधों और पूर्व समझौतों की समीक्षा का मुद्दा उठाएगी और सभी संविदात्मक दलों को घटना के लिए गियर करने के लिए कहेंगे।

• निकासी, बचाव और राहत की योजना।

• सार्वजनिक स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ संस्थानों की भागीदारी के लिए योजना।

• दमण की संसाधन सूची अद्यतन करना ।

समाहर्ता

• यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिले में पूर्व और बाद में आपदा प्रबंधन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। स्थानीय सरकारी निकायों के साथ सहयोग एवं समन्वय करना ।

• स्थानीय प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के समर्थन के साथ समुदाय प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना में सहायता करना ।

• आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिक्रिया और राहत गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए उचित कार्रवाई करना ।

• आपदा की घोषणा के लिए राहत और संघ प्रदेश प्रशासन आयुक्त की सिफारिश करना ।

5.3.2: लोक निर्माण विभाग की भूमिका

लोक निर्माण विभाग इस संघ प्रदेश के महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। यह विभाग संसाधनों और कुशल कर्मियों के संबंध में बहुत समृद्ध है। यह संगठन समाहर्तालय के सहायक अंग के रूप में काम करेगा। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग समाहर्ता, दमण की अध्यक्षता में समन्वय समिति द्वारा उठाए गए निर्णय रेखा पर अपने विभाग की तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लोक निर्माण विभाग प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार एक पूरक के रूप में भी कार्य करेगा। लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया मुख्य कार्य निम्नानुसार है:

1. पूर्व आपदा व्यवस्था

i) सड़क गैंग श्रमिकों और भवन रखरखाव के काम में लगे मजदूरों के साथ सभी तकनीकी सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं को बुलाया जाना चाहिए और ट्रक और सभी उपकरणों तथा उपस्करों सहित कार्यालयों में तैयार रखा जाना चाहिए।

ii) कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जाना चाहिए।

iii) सीमेंट बैग (खाली बैग) की व्यवस्था करनी है जिसका उपयोग आपदा के दौरान और बाद में किया जा सकता है।

2. मलबे को हटाना

3. दमण नगरपालिका परिषद, जिला पंचायत और वन विभाग की मदद से सड़कों, पुलों की सफाई और तैयारी।

4. सभी सरकारी इमारतों की मरम्मत करना और निजी भवन मालिकों की सहायता करना। इसके लिए एक पूर्व आपदा अभ्यास के रूप में, विभाग को सभी उपकरणों और उपकरणों के साथ सभी भवन, रखरखाव, मजदूरों को तैयार रखना होगा।

5. आपदा से पहले और बाद में पानी की आपूर्ति को बनाए रखना है। जल आपूर्ति रखरखाव और गैराज रखरखाव कर्मचारियों को कार्यालय / नियंत्रण कक्ष के पास तैयार रखा जाना चाहिए। निर्बाध जल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सभी पंप घरों पर जनरेटर सुविधा होनी चाहिए।

6. विभाग को न केवल लोक निर्माण विभाग के लिए बल्कि सरकार की अन्य एजेंसियों के लिए पहुंच के भीतर तेल, पेट्रोल, डीजल के लिए उचित व्यवस्था करना है ।

7. सभी वाहनों को कार्यरत स्थिति में रखा जाना चाहिए।

सरकारी इमारतों और सर्किट हाउस की विशेष देख-भाल बिल्डिंग रखरखाव संबंधी कनिष्ठ अभियंता के साथ लगातार निरीक्षण किए जाने हैं। सरकारी कार्यालयों और सर्किट हाउस में जेनरेटरों को को डीजल और अन्य वस्तुओं के स्टॉक के साथ ऑपरेटिव हालत में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कर्मचारियों के साथ खाद्य अनाज, सब्जियां, मोमबत्तियां, मेलबॉक्स, केरोसिन।

5.3.3: विद्युत विभाग की भूमिका

विद्युत विभाग से आकस्मिक योजना निम्नानुसार बनाई गई है:

क. प्रारंभिक तैयारी

1. सभी तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों को सतर्क रहना होगा।
2. सभी कनिष्ठ अभियंताओं को आपूर्ति लाइनों में किसी भी प्रकार की गलती को सुधारने के लिए सभी सामग्रियों को तैयार रखना है।
3 उप-स्टेशन बैटरी की जांच की जानी चाहिए और उपयोग करने के लिए तैयार स्थिति में होना चाहिए।
4. वाहन और उप-स्टेशन जनरेटर के लिए ईंधन स्टॉक में होना चाहिए।
5. सभी लाइन स्टाफ उप-स्टेशनों को मशालों और कोशिकाओं से लैस होना चाहिए।
6. वी.एच.एफ. कार्यरत स्थिति में रखा जाना चाहिए। वीएचएफ सेट के पर्याप्त सेट होने चाहिए।
7. कमजोर बिंदुओं को कम करने के लिए लाइनों की गश्त की जानी चाहिए और एच.टी. और एल.टी. लाइन ट्रांसफॉर्मर इत्यादि के लिए उप-स्टेशन में दर्ज किया जाना चाहिए।
8. सभी सहायता केंद्रों, उप-स्टेशनों और कार्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स प्रदान किए जाने चाहिए।
9. सभी अनुभाग/कनिष्ठ अभियंताओं के लिए या संबंधित क्षेत्र और उप-स्टेशनों को उपकरण और संयंत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रदान किया जाना चाहिए। सौंपे गए कर्तव्यों के बारे में जानकारी के साथ सभी तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों का पता और फोन नंबर सभी अनुभाग कार्यालय और उप-स्टेशन पर प्रदान किया जाना चाहिए।
10. संग्रहित सामग्री का आरक्षित स्टॉक प्राथमिकता के तौर पर बनाए रखना जाना चाहिए ।

ख. संग्रहित उपाय:

1. आपातकाल में बिजली आपूर्ति की बहाली: चक्रवात, तूफान और पृथ्वी के भूकंप के कारण विद्युत नेटवर्क के टूटने के मामलों में, विभाग तुरंत बाधित और प्रभावित विद्युत आधारभूत संरचनाओं को दुरूस्त करने हेतु तत्काल अपेक्षित कदम उठाएगा। इस उद्देश्य के लिए, दमण और दीव जिलों में विभिन्न शिकायत केंद्रों पर तैनात जूनियर अभियंता इस तरह के कार्यों में उनके लाइन स्टाफ क्षेत्र के साथ उपस्थित होंगे और तत्काल राहत के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

2. मगरवाड़ा में 220/के.वी. उप-केन्द्र और दमण में कचीगाम, वरकुंड और दलवाड़ा में 66 केवी उप-स्टेशन और दीव में मलाला में 66/11 केवी सब-स्टेशन रिले ब्रेकर और अन्य सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाता है ताकि स्वचालित रूप से 'बंद' करने के लिए कंडक्टर/ध्रुवों के स्नैपिंग के मामले में उनके क्रमिक क्षेत्र को सक्षम किया जा सके। जो घातक साबित हो सकता है।

3. बिजली विभागों के भंडारों में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों और उपकरणों की मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्रियों को हमेशा उपलब्ध रखा जाता है।

4. विभिन्न वर्गों के कनिष्ठ अभियंता अपने कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता के मार्गदर्शन में कथित राहत/मरम्मत कार्य कर रहे हैं।

5. विभाग अधिकृत विद्युत ठेकेदारों की मदद भी लेता है जो दमण और दीव के संघ प्रदेश के लिए पंजीकृत विद्युत चिकित्सक हैं और जब बुलाया जाता है वे विभाग को पुरुषों और सामग्रियों और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए सहायक प्रदान करते हैं और राहत कार्यों को पूरा करते हैं ।

ग. अतिरिक्त उच्च तनाव उपकरणों के लिए गतिविधियां:

विभाग में वापी, नवसारी और कंसारी में 220/110/66 केवी उप-स्टेशन पर स्थित जीईबी की टीम के माध्यम से अतिरिक्त उच्च तनाव रेखा और उपकरणों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के प्रावधान हैं।

6. संचार सुविधाएं:
विभाग में वी.एच.एफ. और विभिन्न उप-स्टेशनों और शिकायत केंद्रों के बीच संचार के लिए फोन सुविधाएं हैं।
7. वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था :
इस तरह के विनाशकारी स्थितियों में दमण और दीव के सोमनाथ, कचीगाम, दाभेल, रिंगणवाड़ा, भैंसलोर, भीमपोर, कडैया और दलवाड़ा क्षेत्रों के विभिन्न औद्योगिक क्षत्रों में स्थित औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए एल.टी. और एच.टी. के डीजल जनरेटिंग सेट का उपयोग करने के लिए विभाग के प्रावधान हैं।

5.3.4: निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, दमण की भूमिका

आपदा मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर काम का दबाव पैदा कर सकती है, लेकिन इस तरह की आकस्मिकताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जाता है।
स्वास्थ्य विभाग ने दमण के लिए संकट प्रबंधन योजना तैयार की है। इस योजना में स्वास्थ्य विभाग की विस्तार से भूमिका और जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए कुछ सामान्य प्रशासनिक उपाय यहां दिए गए हैं:

- **स्वास्थ्य शिक्षा:** - पूर्व आपदा अवधि के दौरान मास मीडिया पर रेडियो, समाचार-पत्र, पुस्तिकाएं, व्यक्तिगत स्वच्छता, पानी की खपत, उबले हुए पानी और क्लोरीन गोलियों के उपयोग पर छोटे-छोटे संदेशों को बार-बार दोहराए जाने की आवश्यकता होती है।
  खाद्य खपत - सस्ते आइसक्रीम, मोमबत्तियों, खुले में तैयार और संग्रहित भोजन, रात भर रखे भोजन का उपयोग करने से बचने के लिए संदेश मुद्रित कर जनसंख्या के बीच वितरित किया जाएगा।

- **रोग के खिलाफ निवारक उपाय : -**

• जल स्रोतों का कीटाणुशोधन।

• आबादी के उच्च जोखिम समूहों में किसी भी रोकथाम महामारी के लिए आवश्यक टीका, दवाएं और ओ.आर.एस. पैकेट तैयार रहेंगे।

• पानी और उत्सर्जन के उचित निपटान के लिए प्रभावित क्षेत्र में दमण नगर पालिका और ग्राम पंचायत को आवश्यक निर्देश और दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं।

• उच्च जोखिम समूह यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच, आंगनवाड़ी, बालवाडी, चेकनाका और स्कूल में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को किया जाना चाहिए और टीकाकरण उपचार की आवश्यकता है।

• प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला मुख्यालय में जनसंख्या को आवश्यक जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए।

- लक्ष्य समूहों की पहचान
- चिकित्सा भंडार की खरीद
- चिकित्सा शिविर की स्थापना
- महामारी विज्ञान निगरानी की स्थापना: - उप-केंद्र, पी.एच.सी. और सरकारी और निजी अस्पताल के माध्यम से महामारी विज्ञान निगरानी की स्थापना की जाएगी।

महामारी प्रवण रोगों के बारे में स्वास्थ्य प्राधिकरण को नियमित रूप से अधिसूचित किया जायेगा।

- निगरानी और समीक्षा: -

• जिला में प्रभावित क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की विशेष निगरानी और समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर के प्रभारी के तहत एक निगरानी कक्ष स्थापित किया जाएगा।

• स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय के महामारी प्रकोष्ठ को सतर्क कर दिया जाएगा और किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार रखने के लिए कहा जाएगा। यदि कोई महामारी वाली बीमारी फैल जाती है, तो इकाई को रोकने योग्य बीमारियों के महामारी प्रवण रोग टीकाकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के रूप में प्रत्याशित निवारक उपायों को अपनाने के लिए कहा जाएगा। आपातकालीन दवाओं, टीकों आदि खरीदे जाने चाहिए और तैयार रखे जाने चाहिए।

• जिला स्तर पर बाढ़/चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के लिए सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के समन्वय और निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर एक डॉक्टर की नियुक्ति की जाती है।

• स्वास्थ्य सेवा निदेशालय सभी सूचनाएं प्राप्त करने हेतु निर्धारित अधिकारी को नियमित जानकारी भेज देंगे और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के स्वास्थ्य वि भाग में इन सूचनाओं को प्रेषित करते हैं ।

5.3.5: पुलिस की भूमिका

चेतावनी प्रणाली:-

जैसे ही आपदा चेतावनी प्रणाली के माध्यम से आपदा के बारे में चेतावनी प्राप्त होती है, दमण और दीव यानी कलेक्टर, बंदरगाह अधिकारी, अधीक्षक कस्टम, मामलतदार आदि को सूचित किया जाता है और पुलिस द्वारा जिले में व्यापक प्रचार किया जाता है और सभी पदों को सतर्क किया जाता है तुरंत वायरलेस पर।

सुरक्षा बल की तैनाती: आपदा के समय पर आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए, किसी भी चोरी को रोकने, घर में सार्वजनिक रूप से प्रवेश करने से रोकने, कानून और व्यवस्था आदि के रखरखाव हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को तैनात किया जा सकता है :-।

पुलिस, रैंकवार संगत / वर्तमान शक्ति की सूची

दमण और दीव (आज तक 31/08/2013)

	डी.आई.जी./ आई.जी.	एस.पी.	ए.एस.पी.	सी.ओ.पी. /एस.डी.पी.ओ.	पु.नि.	पु.उ.नि.	स.उ.नि.	मु.को.	पु.को.	चालक
स्वीकृत कार्मिक संख्या	01	02	-	02	06	21	21	92	265	07
वर्तमान कार्मिक संख्या	01	04	01	02	06	12	21	77	132	08

	आशुलिपिक	प्रधान रसोईया	सहायक रसोईया	स्वीपर	मेस सेवक	स्कीपर मेट	सुखानी	प्र.श्रे.लि.	अ.श्रे.ल.	होमगार्ड
स्वीकृत कार्मिक संख्या	01	01	02	01	01	04	08	02	02	225
वर्तमान कार्मिक संख्या	01	01	02	01	01	03	05	02	02	225

आपदा समाप्ति के बाद नागरिक सुविधा के पुनर्वास का समाप्त होना:

आपदा के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्र में नजदिक सुविधा के पुनर्वास के लिए उपरोक्त बल का उपयोग किया जाएगा। वे आपदा प्रभावित क्षेत्र में दूध जैसे आवश्यक वस्तु, पेयजल की बहाली, दवा आदि की आपूर्ति के लिए मदद करेंगे।

5.3.6: नगरपालिका परिषद, दमण और दीव की भूमिका।

बरसात के मौसम के दौरान एहतियाती उपायों के लिए, दमण में नानी दमण और मोटी दमण नगरपालिका क्षेत्र में आपातकालीन कार्यों के लिए नगर क्षेत्र के श्रमिकों की चार टीमों का गठन किया गया है और दीव और घोघला नगरपालिका क्षेत्रों के लिए अलग-अलग बचाव दल का गठन मलबे / गिर गई संरचना आदि को हटाने के उद्देश्य से किया जाएगा। इन टीमों को हमेशा अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी और नगरपालिका अभियंता के संपर्क में रहना चाहिए और उन्हें निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा: -

चक्रवात-पूर्व या कोई अन्य आपदा योजना: -

• पानी की तेज जल निकासी की सुविधा के लिए सभी मौजूदा जल निकासी प्रणालियों और सड़क कल्वर की सफाई करना।

• वाहन का रखरखाव (भारी और हल्का)।

• सफाई उपकरणों के गजट को आवश्यकता के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।

• बाद के चरण में उपयोग के लिए स्ट्रीट लाइट के अच्छा स्टॉक रखा जाना चाहिए।

• खाली सीमेंट बैग एकत्र किए जाने हैं।

चक्रवात या किसी अन्य आपदा के संबंध में चेतावनी प्राप्त करने के दौरान :

• कुल कर्मचारियों को आपातकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, छुट्टी रद्द कर दी जाती है, यदि कोई हो।

• उपयोग के लिए रेत बैग का रख-रखाव ।

• कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू किया जाना ।

आपदा उपरांत -

• नालियों व सड़कों से विभिन्न स्लेज और अन्य अवरुद्ध सामग्री आदि की सफाई।

• सभी गिरे वृक्षों को हटाया जाना ।

• मृत शरीर का निपटान।

• उचित भोजन और अन्य सामग्रियों के परिवहन के लिए वाहन मुहैया कराना ।

• प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को आवश्यक कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ उनके लिए आजीविका पैदा करने के लिए रोजगार दें।

• सड़कों, सड़क की रोशनी और अन्य संपत्तियों की मरम्मत नगरपालिका बाजार, सब्जी बाजार, मछली बाजार आदि की उचित कार्यप्रणाली आदि। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिश्चित।

<u>5.3.7: वन विभाग के लिए वन विभाग, दमण और दीव की भूमिका।</u>

प्रारंभिक कार्य: -

जैसे ही आपदा चेतावनी का संदेश प्राप्त होता है, डी.सी.एफ. सभी संबंधित अधिकारियों और वन गार्डों से संवाद करेगा और संबंधित अधिकारी सूचित पंचायत या समाज के नेताओं को सूचित करेंगे कि किसी को पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए जिससे जान-माल को कोई नुकसान हो । साथ ही वे आगे भी ध्यान देंगे ।

आपदा के उपरांत

डी.सी.एफ. यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वनकर्मी तत्काल कार्रवाई करेंगे और क्षेत्र की गश्त लगायेंगे और सड़क पर गिरने वाले पेड़ों को हटा देंगे। काम की प्राथमिकता इस प्रकार होगी: -

• सड़कों की सफाई और सामग्री को डिपो में ले जाना।

• वन वृक्षारोपण और आगे के संचालन के कारण होने वाली क्षति की आकलन रिपोर्ट।

उपकरणों और श्रमिकों की भर्ती: -

• प्रत्येक जंगल गार्ड कुल्हाड़ी, आरी, रस्सी इत्यादि के साथ 10 मजदूर (पुरुष) प्रदान करेगा।

• विभाग में एक इलेक्ट्रिक आरी है और एक और (जेनरेटर सहित) खरीदने की आवश्यकता है। उपकरणों के लिए उपयुक्त लागत 60,000/- होगी।
• सड़क के किनारे निकासी का काम लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन दल और वन कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से लिया जाएगा।
• रेंज वन अधिकारी समग्र पर्यवेक्षण करेगा।

5.3.8: मत्स्योद्योग अधीक्षक की भूमिका.

मत्स्यपालन विभाग मुख्य रूप से चक्रवात और सुनामी से संबंधित है। तटीय क्षेत्रों में उच्च हवा और भारी समुद्री तरंगों की स्थिति हो सकती है लेकिन पेड़ों के उचित वृक्षारोपण (कैसुरिनस) के कारण प्रभाव कम हो जाएगा और मानव जीवन और गुणों पर कम प्रभाव पड़ेगा। हाल के दिनों में, चक्रवात संबंधी जानकारी के प्रसार में नवीनतम तकनीकी विकास के साथ, जीवन की हानि भूमि पर नगण्य हो गई थी। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि चक्रवात के बारे में जानकारी उन मछुआरों तक पहुंचनी चाहिए जो चक्रवात के समय समुद्र पर होंगे ।

1. मत्स्य पालन जहाजों में लाईफ जैकेट और रेडियो ट्रांजिस्टर का प्रावधान: -

मत्स्यपालन विभाग मछुआरों को लाईफ जैकेट प्रदान करता है। विभाग यह कोशिश कर रहा है कि प्रत्येक मछली पकड़ने के जहाज में ट्रांजिस्टर रेडियो होना चाहिए ताकि उन्हें चक्रवात की चेतावनी के बारे में समय पर जानकारी मिल सके।

2. वी.एच.एफ. नेटवर्क और मछली पकड़ने के जहाजों की स्थापना: -

रेडियो ट्रन्स रिसीवर कई आवृत्ति बैंड में उपलब्ध थे और उन्हें व्यापक रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता था, जैसे। लघु रेंज संचार (वी.एच.एफ. और यू.एच.एफ.) मध्यम रेंज संचार (एम.एफ. और एच.एफ. कम शक्ति) और लंबी रेंज संचार (एच.एफ. उच्च शक्ति)। संचार मंत्रालय में वायरलेस योजना और समन्वय कक्ष ने मछुआरों के जीवन की सुरक्षा के लिए चैनल 15 और 16 आवंटित किए थे, जब वे समुद्र में थे, आपातकालीन स्थिति के दौरान मौसम बुलेटिन और चक्रवात बचाव अभियान प्रसारित करते थे। प्रभावी संचार के लिए मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं में 25W या 50W वी.एच.एफ. मोबाइल रेडियो ट्रांस रिसीवर की स्थापना। हमने मछली पकड़ने वाले जहाजों के मछुआरों/मालिकों को वी.एच.एफ. सेट रखने के लिए आग्रह किया और मछुआरों को अपने मछली पकड़ने के जहाजों में वायरलेस/वी.एच.एफ. उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए 20% सब्सिडी का प्रावधान किया और वी.एच.एफ. नेटवर्क के प्रत्येक हवाई मास्ट और नियंत्रण टावर को अधीक्षक मत्स्योद्योग के कार्यालय में स्थापित करने की योजना बनाई।

3. छोटे ट्रॉलरों के लिए समुद्र में सुरक्षा में सुधार: -

निम्नलिखित सिफारिशें की जानी चाहिए :-

(क) छोटे मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों की अधिकतम ओएएल सीमा 24 मीटर तक की जा सकती है। और मर्चेंट शिपिंग और मत्स्यपालन अधिनियमों के साथ पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया जाना चाहिए कि जीवन फ्लोट, जीवन जैकेट, जीवन बॉय, मशाल, फ्लेरेस, आग बुझाने वाले यंत्र, एक प्राथमिक चिकित्सा किट, एक दो बैंड ट्रांजिस्टर रेडियो, एक सुरक्षा उपकरण जिसमें कंपास, एक एन्रोयड बैरोमीटर और एक आपातकालीन पतवार मरम्मती किट शामिल है।

(ख) सुरक्षा उपकरणों से संबंधित नियमों के समुद्र में उपयुक्त कार्यान्वयन के साथ एक साथ आवश्यक कानूनी ढांचा।

(ग) 20 मीटर से नीचे के सभी छोटे मशीनी मछली पकड़ने ओ.ए.एल. के जहाजों। सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत और बीमित होना चाहिए।

(घ) सुरक्षा सागर के सभी पहलुओं के संबंध में जागरूकता निर्माण और व्यावहारिक प्रशिक्षण मछुआरों के संगठनों, सहकारी के माध्यम से मत्स्यपालन विभाग, तटगाड़ी और अन्य इच्छुक संगठनों द्वारा उचित मीडिया और प्रदर्शन उपकरण का उपयोग करके छोटे मशीनीकृत मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों के मालिकों, ऑपरेटरों और चालक दल को सामाजिक और संस्कृति संगठन के जरिये प्रदान किया जाना चाहिए।

(ड.) छोटे मशीनीकृत मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों को एक वी.एच.एफ. रेडियो सेट प्रक्रियाओं से लैस होना चाहिए और एक वी.एच.एफ. लाइसेंस आवंटन की सुविधा के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) मत्स्य पालन सहकारी समितियों, मछुआरे संघों, स्थानीय मंडल इत्यादि के स्वयंसेवकों के साथ तूफान सुरक्षा कार्य समूह जिला के मछली पकड़ने के गांवों में राहत उपायों को व्यवस्थित करने और आपदा तैयारी कौशल से लैस होने के लिए स्थापित किए जाने हैं।

5.3.9: पशु चिकित्सा कार्यालय की भूमिका

• पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षित सभी कार्यवाही खत्म हो गई है।

• अधिकतम संख्या कर्मचारी आपदा अधिसूचना के 10 मिनट के भीतर उपलब्ध होंगे।

• पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सा सहायक सभी क्षेत्रों में कुपोषित जानवरों के साथ-साथ घायल जानवरों की देखभाल करने के लिए एक चक्कर लगायेंगे । उनका इलाज एक ही समय में किया जाएगा।

• किसी भी मृत शव के बारे में डीएमसी या ग्राम पंचायत या एनजीओ को उचित निपटान के लिए सूचित किया जाएग, ताकि बीमारी और न फैले ।

• जानवरों के आगे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आपदा के बाद टीकाकरण आवश्यक है। हम एचएस और एफएम.डी.के खिलाफ टीकाकरण कर सकते हैं ।

• विभाग सभी पशु चिकित्सा संबंधी कार्मिकों को सभी प्राथमिक चिकित्सा आपातकालीन उपचार के साथ तैयार रखेगा जैसे कि टाइन, आयोडीन, बीसॉइन, वोकाडिन, प्लास्टर बैंडेज, बैंडेज, कपास, पेल जैसी दवाएं। जिंक ऑक्साइड, बोरिक एसिड, इंज। Terramycin, इंजे। नोवेलिन, इंज। ऐविल, इंज जेंशमाईसिंन ।े

5.3.10: पत्तन कार्यालय, मैरीन विभाग की भूमिका

पत्तन कार्यालय मुख्य रूप से चक्रवात और सुनामी से संबंधित है।
पहली चेतावनी के दौरान
तूफान संकेतों को **प्रसारित करने**के लिए आई.एम.डी., अहमदाबाद से प्राप्त टेलीग्राफिक रूप से संदेश भेजा गया है, जो दिन और रात के उद्देश्य के लिए दमण जेटी में मास्ट पर आयोजित किया जाएगा और मछली पकड़ने के लिए नहीं जाने के लिए इलाकों में मछुआरों को जानकारी प्रसारित करेगा। बंदरगाह अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मछुआरों को विशेष रूप से चक्रवात अवधि के दौरान अप्रैल से जून और अक्टूबर से नवंबर तक मछली पकड़ने वाली नौकाओं में रेडियो रखना चाहिए।

जिम्मेदार व्यक्तियों और फोन नंबर:

श्री के. वाघेला, (पत्तन अधिकारी) - फोन नंबर 230301515 (एम), 98257350 9 8

श्री पी. के. सोलंकी, पत्तन अधिकारी - 252263, 271004।

दूसरी चेतावनी के दौरान: -

दूसरी चक्रवात चेतावनी प्राप्त करने के बाद, निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है:

• उचित मछलियों के साथ सुरक्षा स्थल में अपने मछली पकड़ने के जहाजों के उचित शिकार के लिए सभी मछुआरों को सतर्क करना ।

• जब कभी भी कोई खतरा बाढ़ / बारिश हुई , आश्रय क्षेत्र के लिए तैयार रहने के लिए निचले क्षेत्र में रहने वाले सभी मछुआरों को सतर्क करना ।

• चक्रवात की स्थिति और तीव्रता के बारे में जानने के लिए नियंत्रण कक्ष के साथ लगातार संपर्क में रहें ताकि हम अपना आगे बचाव कार्य जारी रख सकें।

• यदि कोई जहाज समुद्र में है, तो उस बारे में जानकारी स्थानीय जनता से एकत्र की जानी चाहिए और कलेक्टर को उन्हें बचाने के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है।

• बंदरगाह अधिकारी समुद्रतट के साथ सभी क्षेत्र की निगरानी करेंगे और चक्रवात संदेश प्राप्त करने और तूफान संकेतों से अवगत होने के लिए पत्तन कार्यालय के कर्मचारियों को क्रमानुसार दायित्व का आबंटन करेंगे।

• चक्रवात के बाद, मछली पकड़ने के जहाजों के नुकसान, और जीवन के नुकसान आदि के लिए विभिन्न मछली पकड़ने के क्षेत्र के निरीक्षण के लिए एक टीम सुनिश्चित की जाएगी। बंदरगाह क्षेत्र में झोपड़ियों / घरों को भी नुकसान पहुंचाएगा।

• एक छोटे मशीनीकृत मछली पकड़ने के ट्रैवलर के मछली पकड़ने के गांव के बंदरगाह से प्रस्थान से पहले एक प्रमाणित दल के सदस्य को पत्तन कार्यालय, दमण द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड में एक प्रस्थान रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए।

पत्तन कार्यालय, दमण मछुआरे सोसाइटी के माध्यम से अप्रैल महीने में पत्तन चेतावनी सिग्नल के संबंध में मछुआरों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।
पत्तन कार्यालय का उद्देश्य दीपघर और दीपयान के मामले में प्रारंभिक चेतावनी के लिए दीपघर और दीपयान, मुंबई के निदेशक के परामर्श से हल्के घर के टॉवर पर या पोर्ट चेतावनी सिग्नल मास्ट पर कम से कम 7 के.एम. की त्रिज्या डालना है।

<u>5.3.11: क्षेत्रीय कृषि अधिकारी, दमण की भूमिका।</u>

जैसे ही इस विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की आपदा की चेतावनी प्राप्त होती है, यह कार्यालय किसी भी प्रकार के बचाव अभियान को लेने के लिए सतर्क होगा। जेड.ए.ओ. यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी प्राकृतिक आपदाओं के समय सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करेंगे।

आपदा के दौरान निवारक उपाय किए जाएंगे: -

• कुल कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के बचाव अभियान के लिए नियुक्त किया जाएगा।

• जैसे ही संबंधित विभाग से संदेश प्राप्त होता है, संबंधित क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने संबंधित क्षेत्र में तैनात किया जाएगा ताकि किसानों को सूचित किया जा सके कि किसानों को कारणों को सीमित करने के लिए अपने क्षेत्र में नहीं जाना है।

• गिरे हुए पेड़ के त्वरित निपटान के लिए विभागीय ट्रैक्टर की सेवा प्रदान की जाएगी।

• इस कार्यालय में आरामदायक मजदूर हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में बचाव अभियान के लिए तैनात किए जाएंगे।

• प्रभावित परिवारों को सूचीबद्ध किया जाएगा और फसल उत्पादन के नुकसान पर विचार किया जाएगा और आवश्यक सहायता के लिए कृषि निदेशालय, दमण को सूचित किया जाएगा।

• आपदा के दौरान काम को समन्वयित करने के लिए कार्यालय कर्मचारी अन्य कार्यालयों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेंगे।

<u>5.3.12: दूरसंचार विभाग, दमण एवं दीव की भूमिका</u>

जब आवश्यक हो तब निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

• आउटडोर नेटवर्क को बहाल करने के लिए 24 घंटे के लिए सभी लाइन-स्टाफ को कर्तव्य पर बुलाया जाता है।

• बिजली की विफलता के दौरान लगातार चलने वाले इंजन (टेलीफोन सेवा) के लिए स्टोर में पर्याप्त डीजल रखा जाता है।

• सभी तकनीकी कर्मचारियों को 24 घंटों के लिए कर्तव्य पर बुलाया जाता है।

• जिला मुख्यालय केन्द्र में नियंत्रण कक्ष खुलेगा।

<u>5.3.13: नागरिक आपूर्ति की भूमिका</u>

खाद्य और आवश्यक वस्तुओं का भंडारण:

आवश्यक वस्तुएं/सामान:- आपदा चेतावनी प्राप्त होने पर, नागरिक आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:-

वस्तुओं के अनुसार उसकी समीक्षा: -

i) खाद्य अनाज जैसे चावल, गेहूं ।

ii) चीनी

iii) केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस।

iv) आलू का भंडारण।

v) खाद्य तेल/वनस्पति घी।

vi) मोमबत्तियाँ/सूखी बैटरी।

vii) नमक।

viii) दूध, बेबी फूड/मिल्क पाउडर।

(क) खाद्य अनाज: - सरकारी अनाज गोदाम के साथ-साथ दमण और दीव की उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त मात्रा में में चावल और गेहूं स्टॉक होगा। हालांकि, खुदरा बाजार में, चावल और गेहूं की स्टॉक स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता है।

दमण और दीव में तीन सरकारी खाद्य अनाज गोदाम हैं जिसमें दो दमण में और एक दीव में हैं। हमारे पास दमण और दीव के सरकारी खाद्य अनाज गोदामों में सदैव एक महीने का न्यूनतम स्टॉक होता है।

(ख) चीनी: - चीनी के संबंध में दमण और दीव के लिए कोटा को निजी डीलरों के माध्यम से खरीदा जा रहा है।

(ग) केरोसिन तेल: - दमण जिले में केरोसिन तेल के संबंध में, केरोसिन तेल का मासिक आवंटन 96 के.एल. है और यह तीन एजेंटों द्वारा उठाया जा रहा है अर्थात् (1) मैसर्स राजू ऑइल, डोरी-कदैया सिग्नल, नानी दमण (2) मैसर्स सी.पी. शाह एंड संस, मेन रोड, नानी दमण और (3) मैसर्स नसरवनजी एंड संस, मेन रोड, नानी दमण। ये तीन एजेंट जिला में

चालीस अन्य खुदरा विक्रेताओं को सार्वजनिक वितरण के लिए केरोसिन तेल की आपूर्ति करते हैं। चूंकि केरोसिन दिन-प्रतिदिन उपभोग की वस्तु है, आमतौर पर किसी भी समय, हमारे पास खुदरा विक्रेताओं और एजेंटों के साथ केरोसिन का स्टॉक लगभग 5,000 लीटर होता है। दीव जिले में केरोसिन तेल का मासिक आवंटन 130 के.एल. से 140 के.एल. है और इसे दो एजेंटों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है अर्थात् श्री दीव सहकारी भंडार लिमिटेड, दीव और मैसर्स नारायण एस. फुग्रो, दीव। ये दोनों एजेंट जिले में दस अन्य खुदरा विक्रेताओं को सार्वजनिक वितरण के लिए उन्हें केरोसिन की आपूर्ति कर रहे हैं। चूंकि केरोसिन दिन-प्रतिदिन उपभोग की वस्तु है, आमतौर पर किसी भी समय, हमारे पास खुदरा विक्रेताओं और एजेंटों को मिलाकर केरोसिन का स्टॉक लगभग 5,000 लीटर होता है।

केरोसिन तेल की आपूर्ति हजीरा, सूरत (190 किलोमीटर) से प्राप्त की जाती है। पी.डी.एस. (राशन कार्ड) के तहत दमण जिले के केरोसिन तेल की मासिक आवश्यकता 120 के.एल. है। केरोसिन का मासिक आवंटन 96 के.एल. है। हम मछुआरों (विभिन्न प्रकार के लगभग 900 जहाजों के लिए) को केरोसिन तेल की भी आपूर्ति कर रहे हैं । केरोसिन तेल परम आवश्यक वस्तुओं में से एक है और इसपर निरंतर अवलोकन/निगरानी की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो, तो मछुआरों को केरोसिन तेल का वितरण सामान्य स्थिति की बहाली तक रोक दिया जा सकता है।

(घ) रसोई गैस: - दमण जिले में, एल.पी.जी. के दो डीलर हैं (1) मैसर्स रोमा गैस एजेंसी, धोबी तालाब के पास, नानी दमण और (2) मैसर्स सी.पी. गैस सर्विस, रेड क्रॉस भवन, नानी दमण। एजेंट के पास आमतौर पर 400 से 600 सिलेंडरों का स्टॉक होता है। दीव जिले में, एल.पी.जी. के एक डीलर अर्थात् सोमनाथ गैस सर्विस, दीव है। एजेंट के पास आमतौर पर लगभग 50 सिलेंडरों का स्टॉक होता है।

(ङ.) मोटर स्प्रिट और डीजल तेल: - दमण में, सात डीजल और एम.एस. पंप संचालित पंप डीलर हैं। कोई कोटा सिस्टम नहीं है और डीलर उपरोक्त पेट्रोलियम उत्पादों को आवश्यकता के अनुसार लाते हैं। नानी दमण में, मैसर्स मसाया उद्योग सहकारी समिति द्वारा संचालित एक डीजल पंप है जो केवल अपने सदस्यों के लिए डीजल उपलब्ध करवाता है। आम तौर पर, एजेंट के पास 3 से 4 दिन का स्टॉक होता है।

दीव में, मैसर्स नारायण एस फुग्रो, दीव द्वारा संचालित एक डीजल और एमएस पंप है। कोई कोटा सिस्टम नहीं है और डीलर उपरोक्त पेट्रोलियम उत्पादों को आवश्यकता के अनुसार लाता है। इसके अलावा, महासागर मत्स्य सहकारी समिति, वणाकबाडा में केवल अपने सदस्यों के लिए डीजल आउटलेट भी है। आम तौर पर एजेंट के पास 2 से 3 दिन का स्टॉक होता है।

(च) मोटर स्प्रिट/एच.एस.डी.: - दमण में मोटर स्प्रिट एच.एस.डी. की आपूर्ति हजीरा, सूरत (190 किमी) और साबरमती (650 किमी) से दीव में है। चूंकि, कोई कोटा सिस्टम नहीं है, एतदर्थ एजेंट आवश्यकतानुसार उपरोक्त पेट्रोलियम उत्पादों को लाते हैं। आपदा चेतावनी मिलने पर स्टॉक स्थिति की समीक्षा की जा सकती है और अधिकतम स्टॉक स्टोर करने के प्रयास किए जा सकते हैं। उपलब्ध स्टॉक से, दमण में 6000 लीटर और एच.एस.डी. 4000 लीटर हैं और 2000 लीटर और एच.एस.डी. 1000 लीटर एमएस को सरकारी प्रयोजन हेतु आरक्षित रखा जा सकता है। यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो इन उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

(छ) आलू और प्याज के भंडारण की स्थिति: - दमण और दीव के प्रमुख व्यापारियों को आलू और प्याज के पर्याप्त स्टॉक रखने की सलाह दी जा सकती है। (मेसर्स मोहनलाल एन. राणा और जितेंद्र ट्रेडर्स, नानी दमण के साथ-साथ गायत्री आलू

केंद्र और ठाकोर ओम प्रकाश, वापी और मेसर्स हसन उस्मान व नुरूद्दीन, मेसर्स अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल लतीफ, वसंतलाल शोभागचंद शाह, दीव) ।

(ज) खाद्य तेल/वनस्पति घी: - खाद्य तेल/वनस्पति घी को दमण और दीव में पी.डी.एस. के तहत आपूर्ति नहीं की जाती है, लेकिन इसे मुक्त बाजार में व्यापारियों के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। खाद्य तेल की मासिक आवश्यकता लगभग 300 एम.टी. है। व्यापारियों को 500 एम.टी. तक दमण जिले और 20 एम.टी. दीव में पर्याप्त स्टॉक रखने की सलाह दी जाती है।

(झ) दुग्ध: - यदि चक्रवात के कारण वाहन यातायात/परिवहन में व्यवधान होता है, तो क्रीमयुक्त दूध की आपूर्ति स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि वलसाड-गुजरात (50 किमी) और मुंबई (200 किमी) से प्राप्त किया जा रहा है।)। उस मामले में आम तौर पर जनता के साथ-साथ अन्य प्रतिष्ठानों को विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे दूध पर निर्भर रहना होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दमण और दीव से जुड़ी पशु चिकित्सा स्टाफ के साथ-साथ दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए सेवा में लगाया जा सकता है। व्यापारियों के साथ-साथ सहकारी समिति को स्किम्ड दूध पाउडर के साथ-साथ शिशु भोजन की पर्याप्त मात्रा में स्टॉक करने की सलाह दी जा सकती है।

(ट) आटा मिलों की निरंतरता: - यदि चक्रवात के कारण बिजली कट जाती है और दो दिनों के भीतर बहाली की कोई संभावना नहीं है तो दमण एवं में कम से कम दो आटा मिलों को विद्युत विभाग के माध्यम से शुरू करने की कार्रवाई की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो आटा मिलों को भी बेल्ट के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।

(ठ) विविध: - व्यापारियों को मोमबत्तियों के साथ-साथ ड्राई सेलों और आयोडीनयुक्त नमक के पर्याप्त स्टॉक रखने की सलाह दी जा सकती है।
सर्वोपरि विपणन स्थिति, स्टॉक की उपलब्धता, आवश्यकता और जमाखोरों/काला बाजारी करने वालों को रोकने के लिए सख्त सतर्कता रखने हेतु कदम उठाए जा सकते हैं। आम तौर पर जनता को सलाह दी जा सकती है कि वे घबराकर कोई भी खरीदारी न करें और उनकी आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का भंडारण भी न करें।

5.3.14: अग्निशमन सेवा, दमण की भूमिका

अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग एक आवश्यक सरकारी संगठन है जो अग्नि और विविध आपदाओं से जानमाल की रक्षा करता है तथा संघ प्रदेश दमण एवं दीव में आपातकालीन सेवाएं प्रदान करता हैं । अग्निशमन और आपातकालीन सेवा का मुख्य दायित्व संपूर्ण संघ प्रदेश दमण एवं दीव में प्रथम उत्तरदायी के तौर पर विभिन्न आपदाओं अग्निशमन, अग्निरोधी और बचाव अभियान को संपादित करना है ।

अग्नि शमन स्टेशन का पत्राचार पता, दूरभाष संख्या

क्र.सं.	अग्निशमन स्टेशन/कार्यालय का नाम	पत्राचार का पता	संपर्क सं.
1.	अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मुख्यालय (अग्निशमन स्टेशन, सोमनाथ)	अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, प्लॉट सं.51, सी.आई.डी.सी. रिंगणवाडा, सोमनाथ, नानी दमण, दमण – 396 215.	दूरभाष सं.0260-2242666 0260-2241101 0260-2241666/101
2.	अग्निशमन स्टेशन, मोटी दमण	भामटी, बामणपूजा मुख्यमार्ग, मोटी दमण, दमण 396 220.	दूरभाष सं.0260-2230201
3.	अग्निशमन स्टेशन, दीव	बी.ओटले के समीप, मुख्यमार्ग, जिला न्यायालय के सामने, दीव – 362 520.	दूरभाष सं.02875-253039 02875-252475/101

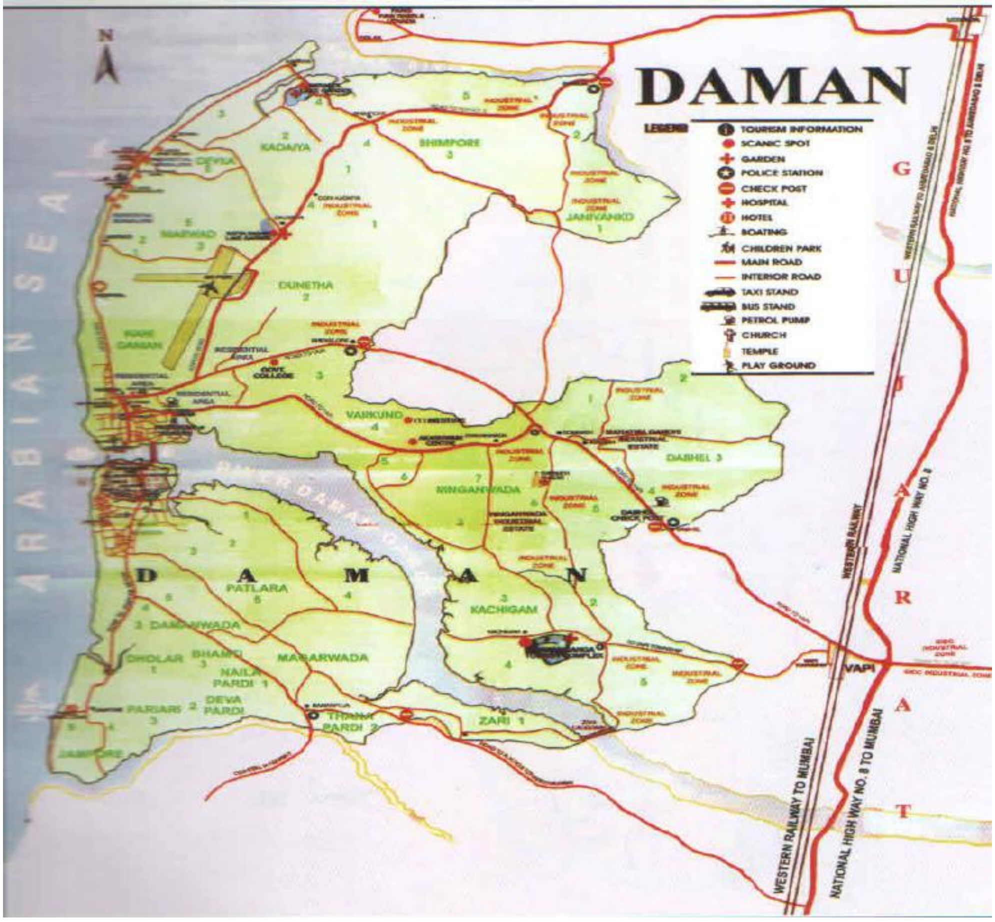

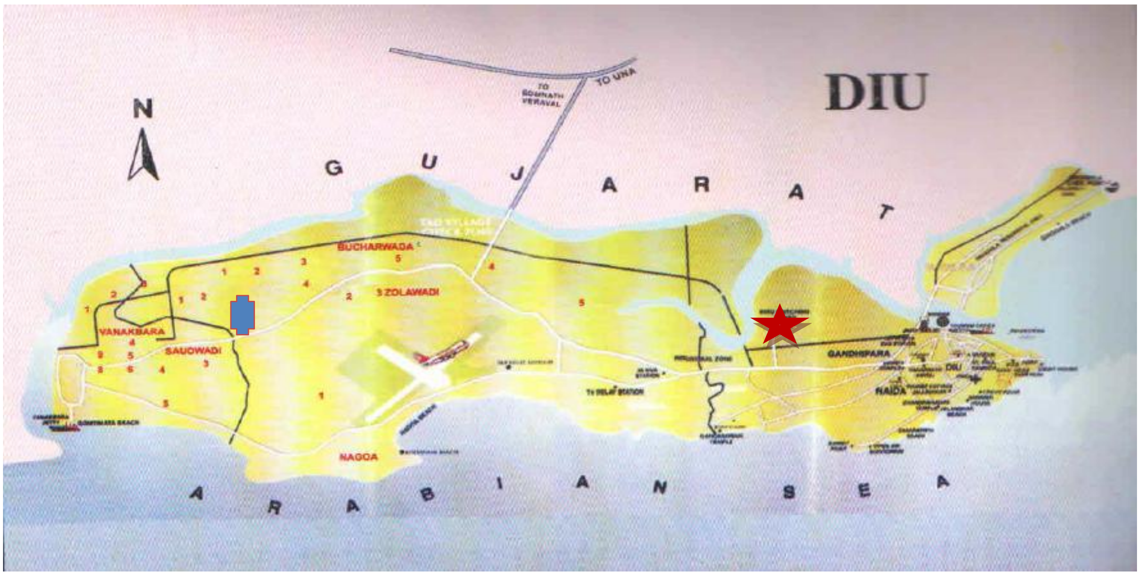

स्वीकृत अग्निशमन स्टेशन ★

प्रस्तावित अग्निशमन स्टेशन

अग्निशमन स्टेशन की संख्या एवं क्षमता

क्र.सं.	पदों का नाम	समूह	अग्निशमन स्टेशन				
			सोमनाथ	मोटी दमण	दीव	भीमपोर	कुल
01.	सहायक प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी	'ख'	01	--	--	--	01
02.	स्टेशन अग्निशमन अधिकारी	'ग'	01	--	--	03	04
03.	सहायक स्टेशन अग्निशमन अधिकारी	'ग'	02	04	01	06	13
04.	मुख्य फायरमैन	'ग'	04	04	04	04	16
05.	चालक संचालक	'ग'	03	04	03	16	26
06.	स्टोर कीपर	'ग'	--	01	--	--	01
07.	फायरमैन	'ग'	12	15	09	15	51
08.	स्वीपर	'ग'	01	01	01	--	03
	कुल		**24**	**29**	**18**	***44**	**115**

नोट: अग्निशमन स्टेशन, भीमपोर ने वर्ष 2011 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न रैंकों और प्रभागों में 44 पदों के साथ मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

अग्निकांड या आपदा मामले में अग्निशमन सेवा की मानक संचालन प्रक्रिया।

1. आग/आपात बचाव कॉल:
नियंत्रण कक्षा प्रभारी दूरभाष या संदेश से संबंधित प्राप्त पते और अन्य जानकारी के विवरण के साथ संचार के अन्य माध्यम से अग्निकांड/आपातकालीन कॉल प्राप्त करता है और प्रभारी नियंत्रण कक्ष के ड्यूटी प्रभारी को सूचित करता है, इसके बाद, ड्यूटी प्रभारी स्टेशन प्रभारी को सूचित करते है।

2. टर्न आऊट :
जल उत्सर्जक और ड्यूटी कर्मियों के साथ ड्यूटी प्रभारी एम्बुलेंस के साथ अग्नि स्टेशन निकल जाते हैं ।

3. अग्निकांड स्थल पर पहुंचना:
अग्निकांड स्थल पहुंचने पर शुरूआत में चालक दल अग्निशमन अभियान शुरू करेगा फिर उपस्थिति किसी जिम्मेदार व्यक्ति से उपयोगी सेवाएं जैसे पुलिस, जलापूर्ति, एम्बुलेंस सेवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बिजली स्थानीय परिवहन उपक्रम, गैस प्राधिकारी, फैक्ट्री निरीक्षक, बंदरगाह प्राधिकारी और अन्य संगत सरकारी वि भागों को

4. सूचनात्मक संदेश:
प्रभारी अधिकारी अग्नि / आपदा के प्रकार और अन्य विवरण आदि के बारे में नियंत्रण कक्ष को सूचित करेगा।

5. बहाली संदेश:

यदि, आवश्यकता हो, तो ऑपरेशन प्रभारी द्वारा द्वितीय बार के लिए बहाली संदेश नियंत्रण कक्ष को भी भेजा जाएगा और सहायता के लिए अन्य पड़ोसी अग्नि सेवाओं के लिए कॉल भी किया जाएगा।

इस बीच फायर सर्विसेज अस्पताल में आग/आपदा के कारण होने पर बचाव अभियान चलाएगी और दुर्घटनाओं को स्थानांतरित कर देगी।

6. आग / आपदा समाप्ति संदेश :

अग्निशमन अभियान के पूरा होने पर प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष को सूचित करेगा कि ऑपरेशन खत्म हो गया है।

7. स्टेशन पर वापस लौटें:

8. ऑपरेशन पूरा होने के बाद, डयूटी कर्मी दल वापस - स्टेशन पर लौट आएंगे और दूसरी एजेंसियों को भी वापस भेज दिया जाएगा।

9. अग्रशिमन केंद्र स्टेशन पर वापस आना:

फायर स्टेशन पर वापस पहुंचने के बाद, चालक दल सभी उपकरणों / उपकरणों को साफ और धो देगा और वाहनों के ईंधन और तेल की जांच करेगा और फिर स्टेशन फायर अधिकारी को यह रिपोर्ट करेगा कि उपकरण अगली कॉल के लिए तैयार है।

5.3.15: स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका

आपदा प्रबंधन गतिविधियों में सं.प्र.आ.प्र.प्रा., सी.ओ.आर. और समाहर्ता को सहायता प्रदान करें।

• अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और संसाधनों के रख-रखाव को सुनिश्चित करना ताकि आपदा की स्थिति में उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके।

• सुनिश्चित करें कि इसके तहत सभी निर्माण परियोजनाएं मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

• जिले में सरकार के प्रत्येक विभाग जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा। अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रभावित क्षेत्र में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों को पूरा करें।

5.3.16: निजी क्षेत्र की भूमिका

• निजी क्षेत्र को यूटीडीएमए या कलेक्टर द्वारा विकसित समग्र योजना के साथ पूर्व आपदा गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

5.3.17: सामुदायिक समूह और स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका

स्थानीय समुदाय समूहों और गैर सरकारी संगठनों सहित स्वैच्छिक एजेंसियों को सं.प्र.आ.प्र.प्रा. या समाहर्ता की समग्र दिशा और पर्यवेक्षण के तहत सक्रिय रूप से रोकथाम और शमन गतिविधियों में सहायता करनी चाहिए।

• उन्हें संगठित प्रबंधन के रूप में सभी प्रशिक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और आपदा प्रबंधन में अपनी भूमिका के साथ खुद को परिचित करना चाहिए।

5.3.18: नागरिक की भूमिका

• हर नागरिक का राहत कर्तव्य प्रबंधन के उद्देश्य से आम तौर पर उनकी सहायता की मांग होने पर राहत या समाहर्ता या आपदा प्रबंधन में शामिल अन्य व्यक्ति को सहायता करने के लिए कर्तव्य है।

5.4: - आपदा के दौरान मीडिया के साथ काम करना

किसी भी आपात स्थिति पर नियमित आधार पर मीडिया के साथ संपर्क महत्वपूर्ण है, ताकि अफवाहें छीन ली जा सकें और सार्वजनिक जागरूकता सही ढंग से उत्पन्न हो।

मीडिया संबंधों को प्रतिकूल नहीं होना चाहिए और वास्तव में नहीं होना चाहिए। आपात स्थिति के दौरान मीडिया से निपटना किसी अन्य आपातकालीन कार्य से अलग नहीं है, परिणाम बेहतर होगा। यह सुझाव देना नहीं है कि प्रभावी मीडिया प्रबंधन बुरी खबरों को बदल देगा, लेकिन यह बुरी खबरों को और भी खराब होने से रोक सकता है।

आपातकालीन घटना के तुरंत बाद, या जितनी जल्दी हो सके, मीडिया को अधिसूचित किया जाना चाहिए, यदि आप अन्य स्रोतों से घटना के बारे में सीखने से पहले मीडिया से बात करते हैं तो आपको आगामी और विश्वसनीय होने का अनुमान लगाया जाएगा। मीडिया को जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रभावी उपकरण प्रेस विज्ञप्ति है। इसे व्यक्तिगत रूप से या टेलेक्स / टेलीग्राम या मेल द्वारा वितरित किया जा सकता है। वितरण का सबसे तेज़ माध्यम आमतौर पर सबसे वांछनीय है।

एक अच्छी आपातकालीन प्रेस विज्ञप्ति घटना से संबंधित इन आधार सवालों के जवाब देती है।

• कौन शामिल है?

• क्या हो रहा है?

• यह कहा हुआ?

• यह कैसे हुआ?

• यह क्यों हुआ?

फिर विवरण और पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करने के लिए रिलीज जारी होना चाहिए। साथ ही, अपने संगठन के लिए अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होने पर नाम और टेलीफोन नंबर शामिल करना सुनिश्चित करें।

अध्याय 6: - आपदा विशिष्ट योजना

6.1:- चक्रवात

योजना सक्रियण

चक्रवात प्रतिक्रिया संरचना भारतीय मौसम विभाग (आई.एम.डी.) द्वारा चक्रवात चेतावनी की प्राप्ति पर सक्रिय की जाएगी। चक्रवात की घटना आई.एम.डी. द्वारा राहत / यूटीडीएमए के आयुक्त को सबसे तेज़ माध्यमों द्वारा रिपोर्ट की जा सकती है। राहत आयुक्त (सी.ओ.आर.) संघ प्रदेश और जिला नियंत्रण कक्ष सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों को सक्रिय करेगा। वह निम्नलिखित विवरण शामिल करने के लिए निर्देश जारी करेगा:

• सटीक संसाधन निर्दिष्ट करने (मानव शक्ति, उपकरणों और महत्वपूर्ण विभागों/आवश्यक हितधारकों से आवश्यक वस्तुओं के मामले में) आवश्यक है।

• प्रदान की जाने वाली सहायता का प्रकार

• समय सीमा जिसमें सहायता की आवश्यकता है

• अन्य कार्य / प्रतिक्रिया बल का विवरण जिसके माध्यम से समन्वय होना चाहिए ।

राज्य स्तर के साथ-साथ जिला नियंत्रण कक्षों के नियंत्रण कक्षों को पूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए। समन्वय बैठक (जिला आपदा प्रबंधन समिति) सार्वजनिक रूप से मछुआरे समुदाय की सतर्कता को बढ़ाने के लिए प्रसार

के स्थानीय तरीकों के माध्यम से चक्रवात का विस्तृत प्रचार सुनिश्चित करेगी। समिति लाइन विभागों के माध्यम से उपर्युक्त कार्रवाई को लागू करेगी।

चक्रवात-पूर्व चरण के लिए उठाये जानेवाले कदम

चक्रवात के दौरान कार्रवाई के पाठ्यक्रम की निगरानी करने के लिए कलेक्टर जिला प्रशासन के केंद्र में होते हैं । जिला स्तर पर, निरंतर काम करनेवाले टेलीफोन और वायरलेस सिस्टम के साथ **एक नियंत्रण कक्ष / डीडीसी कार्यरत हो** । यदि संभव हो, तो दूरस्थ क्षेत्रों में हैम रेडियो ऑपरेटरों के साथ लिंक स्थापित किए जाने चाहिए। दिन के अंत में, स्थिति की समीक्षा के लिए राहत चिकित्सा बचाव और निर्माण टीमों को समाहर्ता से मिलना चाहिए। जिला स्तर पर कार्य करने वाले विभिन्न विभाग निरंतर निगरानी में रहेंगे और समाहर्ता प्रशासन के वास्तविक आंकड़ों को मुहैया के लिए राज्य प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे ।

* लोगों और पीड़ितों के वितरण के लिए अनाज, केरोसिन और अन्य सूखे खाद्य वस्तुओं के पर्याप्त भंडार रखें?
* क्या चिकित्सा और पशु चिकित्सा विभाग चक्रवात के बाद निवारक कदम उठाने और महामारी के फैलाव की रोकथाम हेतु आवश्यक दवाओं और टीकों से पूरी तरह सुसज्जित हैं?

* क्या सभी सरकारी वाहनों को सड़क पर चलने लायक स्थिति में रखा जाता है ताकि उन्हें आपातकालीन स्थिति में उपयुक्त कार्य हेतु चालकों के साथ उपयोग में लाया जा सके?

* पर्याप्त मात्रा में निम्नलिखित सामग्री प्रदान करने के लिए चक्रवात भंडार खोलना।
• मलबे की सफाई के लिए अग्निशमन सेवा विभाग के पास उपलब्ध हुक।
• पानी में तैरने हेतु उपयोग में लाने के लिए रबड़ टायर और ट्यूब।
• तम्बू।
• केरोसिन लालटेन।
• राहत शिविरों में खाना पकाने के लिए बड़े आकार के बर्तन।
• राहत शिविरों में पीड़ितों को पहचान पर्ची जारी की जाएगा।
• नक्शे की प्रतियां।
• रस्सी, तार, चेन, तार फिटिंग के साथ लाईट-यंत्र, मुख्य तार, मशाल इत्यादि।
• स्टील के खंभे, बांस, जी.सी. शीट्स और धातु के स्लॉट पट्टियों (बेहतर परिवहन के लिए कीचड़युक्त रोड सतह पर रखा जाना चाहिए)।
• डबल हैंडल आरे (गिरने वाले पेड़ों को काटने के लिए), फावड़े, मोमबत्तियां, बड़े कील, हॉज-पाइप, प्राथमिक चिकित्सा किट, चक्रवात ड्युटी साइन-बोर्ड, रस्सी, एस्बेस्टस चादरें, टॉर्चलाईट, तेल की टंकी, खाली तेल ड्रम, गुनी बैग और रेत की थैलियां, पॉलिथिन शीट्स, वी.एच.एफ. उपयोग के लिए बैटरी के साथ सेट।
• पानी को बाहर निकालने के लिए पंप के साथ हॉज पाईप, फावड़े, दंतरे, दस्ताने, नीलगिरी तेल, नेफ्थालेन बॉल, बांस की चटाई, फिनॉल, स्लेट चूने आदि मृत शरीरों को दफनाने के लिए उपयोगी होते हैं।

चक्रवात के बाद - जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

• उन लोगों को बचाएं जो फंसे हुए हैं या अन्यथा प्रभावित हैं।

• बिजली की आपूर्ति बहाल करें, और सड़कों को, जितनी जल्दी हो सके, साफ़ करें (गिरने वाले पेड़ आदि को हटाएं) ।

• फंसे लोगों और आश्रयों में रहने वाले लोगों को भोजन और पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए।

• यदि आवश्यक हो, तो लोगों के लिए खोज और बचाव अभियान शुरू किया जाना चाहिए (विशेष रूप से, मछुआरों सहित लापता होने के मामले में)।

• महामारी के प्रकोप हेतु जाँच की जाए। महामारी के किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए संरोपण और टीकाकरण के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।

• यदि नियमित संचार प्रणाली में गंभीर व्यवधान होता है, तो एच.ए.एम. रेडियो और/या वायरलेस सेट के माध्यम से संचार सेवा में तीव्रता लाया जा सकता है।

• टूटे हुए तारों, गिरे हुए या क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों और अन्य स्विचगियर्स को दुरूस्त करके विद्युत आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए।

• सुरक्षा पहलू के नजरिये से स्वैच्छिक संगठनों की सुरक्षा को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक और गैर-सामाजिक तत्वों के प्रवेश को रोका जा सके। (पहचान पत्र जारी करें)।

• विस्थापित मवेशियों को चारा प्रावधान के साथ पशु चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

• प्रभावित जिलों में न्यूनतम सड़क संचार युद्ध स्तर पर बहाल किया जाना चाहिए।

• साईकिल और दुपहिया वाहनों-बाईकों का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाना चाहिए।

• चावल, गेहूं, दाल, नमक, मैच-बॉक्स, केरोसिन, डीजल इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवासों को रियायती दरों पर या मुफ्त में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

• जलमग्न भूमि को नष्ट होने से बचाना चाहिए।

• यदि पीने के पानी के कुएं नमकीन पानी से गंदे होते हैं, तो चापाकल खोदे जाने चाहिए; लोगों को जलापूर्ति के लिए पंप लगाये जाने चाहिए।

• क्या राहत अभियान प्रभावी ढंग से शुरू हो गए हैं?

• मृत शरीरों और जानवरों के शवों को हटाने और अपशिष्ट निपटान के लिए व्यवस्था करें। (मृत शरीरों-पहचान हेतु तस्वीरें ली जाए)।

• यातायात बहाल करने के लिए कदम उठायें?

• घायल लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना।

"दमण में की गई कार्रवाई"

हमारी योजना में हम आपदा के समय **पांच राहत शिविर** स्थापित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। ये निम्नलिखित स्थानों पर होंगे: -

• नवोदय विद्यालय, दुनेठा

• शिक्षा निदेशालय भवन

• दाभेल बहुउद्देशीय आश्रय केन्द्र (प्रस्तावित)

• झरी आश्रमशाला

• बाल भवन, मोटी दमण

आश्रय केन्द्र के रूप में पहचाने गए सभी स्थानों में प्रभावित क्षेत्रों से निकाले गए लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह है। इन आश्रय केन्द्रों में भोजन, केरोसिन, तम्बू सामग्री, दवाइयों और अन्य सामग्रियों, जिनकी जरूरत होगी, को भंडारित करने के लिए पर्याप्त कमरे और स्थान हैं। ये सभी आश्रय केन्द्र जेनरेटर सुविधाओं और पेयजल की सुविधा से युक्त हैं।

आश्रय केन्द्रों के उत्तरदायी अधिकारी

1. नवोदय विद्यालय
   - प्रभारी मामलतदार
   - प्राचार्य, नवोदय विद्यालय
   - उप-निरीक्षक, नागरिक आपूर्ति
   - तलाटी

2. शिक्षा निदेशालय
   - प्रभारी सहायक शिक्षा निदेशक
   - अनुभाग अधिकारी, रेड क्रॉस
   - अधीक्षक, शिक्षा विभाग
   - एक प्रवर श्रेणी लिपिक, शिक्षा विभाग

3. बाल भवन
   - प्रभारी शहरी सर्वेक्षण अधिकारी
   - निदेशक, बाल भवन
   - वरिष्ठ निरीक्षक, ए.आर.सी.एस.
   - एक प्रवर श्रेणी लिपिक, कार्मिक विभाग

4. दाभेल
   - प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी
   - वरिष्ठ लेखा-परीक्षक, ए.आर.सी.एस.
   - प्रबंधक, ओ.आई.डी.सी.
   - एक तलाटी

5. झरी आश्रमशाला
   - **प्रभारी सामाजिक कल्याण** अधिकारी
     श्रम निरीक्षक
   - **सचिवालय** से एक प्रवर श्रेणी लिपिक
   - एक तलाटी

इन अधिकारियों के अतिरिक्त सभी आश्रय केन्द्रों पर निम्नलिखित कर्मियों का प्रावधान है:
1. लोक निर्माण विभाग से एक कनिष्ठ अभियंता
2. विद्युत विभाग से एक कनिष्ठ अभियंता

3. तीन डॉक्टर (एक महिला)
4. दो कॉन्सटेबल के साथ एक हेड कांस्टेबल।

दमण में चिन्हित चक्रवात आश्रय केन्द्रों की सूची

i) पंचायत घर/सामुदायिक भवन, कडैया

ii) भीमपोर आश्रमशाला

iii) प्राथमिक विद्यालय, जानी वाकड

iv) नवोदय विद्यालय, दुनेठा

v) राजकीय महाविद्यालय

vi) माछी महाजन विद्यालय

vii) शिक्षा निदेशालय

viii) रेड क्रॉस भवन

ix) बाल भवन, मोटी दमण

x) प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय, अंबावाड़ी

xi) सर्किट हाउस एनेक्सी, ढोलर

xii) उच्च विद्यालय, परियारी

xiii) झरी आश्रमशाला

xiv) पंचायत घर, कचीगाम

xv) तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान

xvi) दाबेल बहुउद्देशीय आश्रय केन्द्र (प्रस्तावित)

"दीव में की गई कार्रवाई"

योजना के तहत हम आपदा के समय राहत कार्यों के लिए **पांच आश्रय केन्द्र** स्थापित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। ये निम्नलिखित स्थानों पर होंगे: -

• वणाकबाडा प्राथमिक विद्यालय, बस स्टैंड के समीप, वणाकबाडा

• बुचरवाड़ा उच्च विद्यालय, पुरानी बिल्डिंग, बुचरवाड़ा

• बालिका विद्यालय, भावसरवाड़ा के समीप, दीव

• प्राथमिक विद्यालय, कोलीवाड़, मुख्य मार्ग, दीव

• सरकारी उच्च विद्यालय (बालक), ज़म्पा बहार, घोघला

इन स्थानों के अलावा निम्नलिखित स्थानों पर **राहत शिविर** स्थापित किए जाएंगे:

1. प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केंद्र वणाकबाड़ा

उत्तरदायी अधिकारी:

i) चिकित्सा अधिकारी, वणाकबाड़ा

ii) पत्तन अधिकारी, वणाकबाड़ा निवासी

iii) तलाटी, वणाकबाड़ा निवासी

iv) कनिष्ठ अभियंता, विद्युत

v) संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रधान कांस्टेबल

vi) मत्स्यपालन अधिकारी, दीव

गैर सरकारी संगठनें (वणाकबाड़ा):

i) सागर सम्राट युवक मंडल

ii) खंढ़न युवक मंडल

iii) राधाकृष्ण युवक मंडल

2. पुलिस चौकी, बुचरवाड़ा

उत्तरदायी अधिकारी:

i) चिकित्सा अधिकारी, वणाकबाड़ा निवासी

ii) ग्राम सचिव

iii) तलाटी

iv) कनिष्ठ अभियंता, विद्युत

v) संबंधित पुलिस चौकी के प्रधान कांस्टेबल

गैर सरकारी संगठनें (बुचरवाड़ा):

i) बुचरवाड़ा युवक मंडल

ii) पटेलवाड़ी युवक मंडल

3. सरकारी अस्पताल दीव

उत्तरदायी अधिकारी:

i) कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दीव

ii) सहायक अभियंता, विद्युत, दीव

iii) पत्तन अधिकारी, दीव

iv) मुख्य अधिकारी, दीव नगरपालिका परिषद, दीव

स्वास्थ्य अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घोघला, दीव

गैर सरकारी संगठनें (दीव):

i) दीव नागिक समिति, दीव

ii) क्रीड़ा परिषद, दीव

iii) रेड क्रॉस सोसाइटी, दीव

iv) वाणिज्य मंडल, दीव

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घोघला।

उत्तरदायी अधिकारी:
i) स्वास्थ्य अधिकारी, पी.एच.सी., घोघला
ii) मामलतदार, दीव
iii) पुलिस प्रमुख, दीव
iv) पत्तन अधिकारी, दीव
v) तलाटी, घोघला

गैर सरकारी संगठनें (घोघला):
i) माछीमार कल्याण मंडल, घोघला
ii) विश्व मत्स्य सहकारी समिति, घोघला।
iii) बजरंग मंडल, घोघला।
iv) महात्रा समूह, घोघला

चक्रवात आने के स्थिति में लोगों द्वारा किए जाने वाले उपाय

चक्रवात गुजरने के बाद, लोगों को निम्नलिखित सुरक्षा उपायों को अपनाने की सलाह दी जाती है: -

• उन्हें आश्रय केन्द्रों में रहना चाहिए जब तक कि प्रभारी द्वारा सूचित न किया जाए कि वे घर जा सकते हैं।

• वे तत्काल अपने निकटतम अस्पताल में जाकर रोग प्रतिरोधक टीका लगवाना चाहिए और घायलों एवं बीमारों की चिकित्सा देखभाल करनी चाहिए।

• लैंप-पोस्ट से लटकते तारों के चपेट में आने से बचना चाहिए । (एक व्यक्ति को निगरानी हेतु रखा जाना चाहिए ताकि तार के पास कोई भी न जाए और निकटतम विद्युत अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए)।

• लोगों को आपदा क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए, जब तक उन्हें सहायता करने की आवश्यकता न हो।

• गैर-समाजी तत्वों को उपद्रव करने से रोका जाना चाहिए।

• मकानों और घरों के मलबे को साफ़ किया जाना चाहिए।

• नुकसान की जानकारी राजस्व प्राधिकरणों को दिया जाना चाहिए (जिला प्रशासन से प्राप्त प्रपत्र में)।

• आपदा क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के बारे में तत्काल सूचित किया जाना चाहिए।

• निकासी निर्देश

- ➢ आपके क्षेत्र में यथा-संकेतित उचित शरण-स्थल या निकासी केन्द्रों के लिए प्रमुख।
- ➢ अपनी बची संपत्ति की चिंता न करें, क्योंकि निकालेगये क्षेत्रों को लूट से बचाने के लिए पुलिस व्यवस्था किया जाएगा। - समुदाय पुलिस व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ➢ शरणार्थी शिविर में, प्रभारी कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।
- ➢ तब तक शरणार्थी शिविर में रहें जबतक आपको शिविर छोड़ने के लिए सूचित न किया जाए।
- ➢ सदैव शांति बनाये रखें। अगर तत्काल आधार पर निर्देशों का पालन किया जाता है, तो इस खतरा न्यूनतम होता है।

6.2 बाढ़

दमण

दमण गंगा नदी दमण की एक प्रमुख नदी है जो अरब सागर में जाकर मिलती है। दमण में **कोलक और कलाई** नामक दो छोटी नदियां हैं। दमण गंगा नदी गुजरात से आती है और यह गुजरात में वापी से दमण में प्रवेश करती है। वापी में मधुबन बांध के निर्माण के कारण, दमण में बाढ़ की संभावना कम है। यद्यपि दमण में बाढ़ की संभावना गुजरात में वापी में दमणगंगा नदी के मधुबन बांध के निर्माण के कारण कम हो गई है, संघ प्रदेश प्रशासन ने समाहर्तालय में **बाढ़ नियंत्रण कक्ष** खोला है, जो समय-समय पर मधुबन बांध से पानी छोड़े जाने के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ।

कचीगाम, वरकुंड, खारीवाड़, घांचीवाड़ और खारावाड़ के गांव और सड़क को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एफ जी ए बी सी डी ई	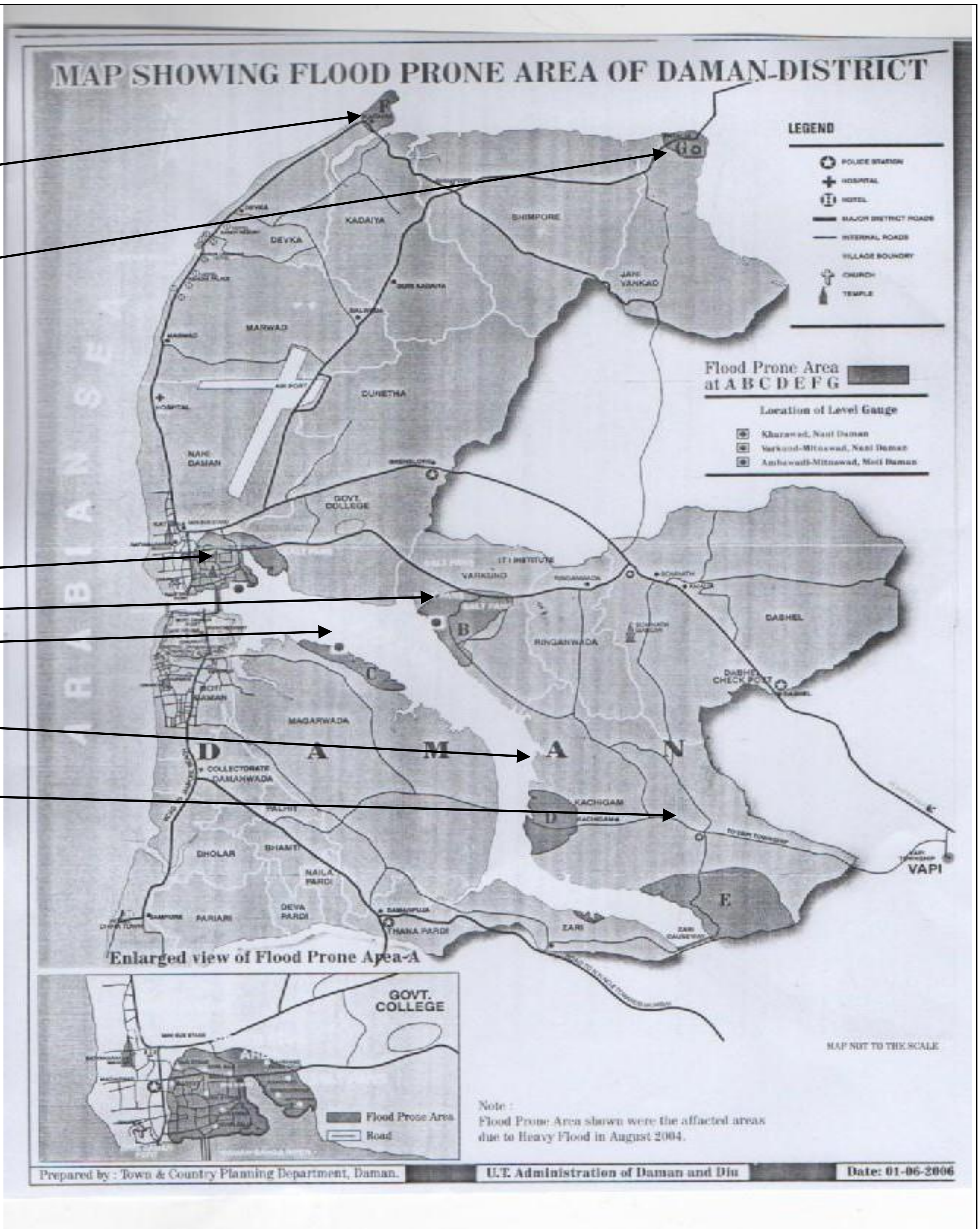

दमण जिले के सभी विभाग मई के महीने से बाढ़ के लिए तैयार होंगे।

समाहर्ता कार्यालय दमण में नियंत्रण कक्ष 15`x' जून से खुला होगा और चौबीस घंटे काम करेगा। ए.डी.एम./उप-समाहर्ता मधुबन बांध के कार्यकारी अभियंता के साथ बातचीत करेगा। जैसे ही मधुबन बांध से पानी छोड़े जाने की चेतावनी प्राप्त हो जाती है, नियंत्रण कक्ष उसे पुलिस, मत्स्यपालन विभाग, बंदरगाह अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को सूचित करेगा। मत्स्योद्योग अधीक्षक माछी महाजन और अन्य गैर सरकारी संगठनों की मदद से पानी छोड़े जाने की जानकारी घोषित करेगा।

दीव

दीव में, जलारा सोसाइटी के गांवों और सड़कों और वणाकवाड़ा के वाडी शेरी क्षेत्र और बुचरवाड़ा गांव के पावती क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित किया जाता है। हालांकि गुजरात में कोडिनार में चोडी नदी कोडिनार बांध के निर्माण के कारण दीव में बाढ़ की संभावना कम हो गई है, संघ प्रदेश प्रशासन ने समाहर्तालय में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष खोला है, जो समय-समय पर कोडिनार बांध से पानी के निर्वहन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।
जलारा सोसाइटी के गांवों और सड़कों और वणाकवाड़ा के वाडी शेरी क्षेत्र और बुचरवाड़ा गांव के पावती क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित किया जाता है।

दमण और दीव में बाढ़ के लिए कार्य योजना में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी:

1. बाढ़ आपदा
2. बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी
3. ट्रिगर तंत्र
4. भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ संबंधित लाइन विभागों का प्रतिक्रिया तंत्र
5. राहत

अध्याय 3 के पैरा 3.3 में पूर्वानुमान, चेतावनी और प्रसार विवरण के बारे में बताया गया है।

योजना सक्रियण

भारी बारिश की घटना पर बाढ़ प्रतिक्रिया प्रणाली सक्रिय की जाएगी। राहत आयुक्त (सी.ओ.आर.)/जिला समाहर्ता संघ प्रदेश नियंत्रण कक्ष सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों को सक्रिय करेगा। वह निम्नलिखित विवरण शामिल करने के लिए निर्देश जारी करेगा:

- आवश्यक सटीक संसाधन निर्दिष्ट करें
- प्रदान करने के लिए सहायता का प्रकार
- समय सीमा जिसमें सहायता की आवश्यकता है
- सहायता के प्रावधान के लिए संघ प्रदेश, जिला या अन्य संपर्क व्यक्ति/एजेंसियां
- अन्य कार्य बल जिसके साथ समन्वय होना चाहिए।

संघ प्रदेश और जिला नियंत्रण कक्ष और अन्य नियंत्रण कक्षों को पूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए।
एक बार स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है और सामान्य स्थिति बहाल हो जाती है, सी.ओ.आर. आपातकालीन कर्तव्यों में तैनात कर्मचारियों को वापस लेने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया का अंत घोषणा करता है और निर्देश जारी करता है।

भूमिका और जिम्मेदारियां

क्र.सं.	प्रतिक्रिया लेने के लिए	जिम्मेदार विभाग
1.	सी.ओ.आर., सं.प्र.आ.प्र.प्रा., और लाइन विभागों के प्रमुख, प्रशासक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और भारत सरकार के लिए बाढ़ की घटना की रिपोर्ट करना।	जिला समाहर्ता
2.	फोन जैसे वैकल्पिक संचार उपकरण द्वारा संचार लिंक स्थापित करें; रेडियो आदि राज्य/जिला नियंत्रण कक्ष में।	जिला समाहर्ता
3.	संचार लिंक स्थापित करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल आपातकालीन संचार इकाइयों की तैनाती।	रा.आ., राजस्व आयुक्त.

क्र.सं.	प्रतिक्रिया लेने के लिए	जिम्मेदार विभाग
4.	आई.एम.डी. जैसी एजेंसियों और जिलों के नियंत्रण कक्ष से बाढ़ की प्रामाणिकता की पुष्टि करना।	रा.आ., राजस्व आयुक्त.
5.	नियंत्रण कक्ष तक पहुंचने के लिए सभी लाइन विभागों के प्रमुखों से संपर्क करें	रा.आ., राजस्व आयुक्त.
6.	प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव दल का प्रेषण।	रा.आ., राजस्व आयुक्त.
7.	प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए व्यवस्था करें।	रा.आ., राजस्व आयुक्त.
8.	पीड़ितों को सुरक्षित साइटों पर निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दें।	रा.आ., राजस्व आयुक्त.
9.	प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन टीमों और संसाधनों के त्वरित जुड़ाव के लिए सड़क और रेल नेटवर्क की स्थिति का आकलन करें और अनुवर्ती कदम उठाएं।	रा.आ., राजस्व आयुक्त., परिवहन विभाग.
10.	राष्ट्रीय / जिला नियंत्रण कक्ष के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें	रा.आ., राजस्व आयुक्त.,

राहत के दौरान संघ प्रदेश प्रशासन में विभिन्न राज्य एजेंसियों के बीच गतिविधियों का वितरण।

क्र.सं.	प्रतिक्रिया लेने के लिए	जिम्मेदार विभाग
1.	निकाले गए लोगों को अस्थायी आश्रय प्रदान करना	रा.आ., राजस्व आयुक्त., लोक निर्माण विभाग
2.	पीड़ितों को खाद्य सामग्री प्रदान करना	रा.आ., राजस्व आयुक्त., नागरिक आपूर्ति विभाग.
3.	पीड़ितों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना	रा.आ., राजस्व आयुक्त., लोक निर्माण विभाग
4.	स्वच्छ स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान	स्वास्थ्य विभाग. गैर सरकारी संगठनें, सामुदायिक समूह
5.	स्वास्थ्य सहायता का प्रावधान	स्वास्थ्य विभाग.
6.	वस्त्र और बर्तन	लोक निर्माण विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग.
7.	राहत शिविर	रा.आ., राजस्व आयुक्त.,
8.	आश्रय स्थलों को परिवहन सेवाएं प्रदान करना	रा.आ., राजस्व आयुक्त., परिवहन विभाग

राहत: - चक्रवात के दौरान एवं बाढ़ की स्थिति में समन्वय समिति और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी समान होगी। चक्रवात के शरणार्थी राहत शिविर ही बाढ़ के लिए शरणार्थी राहत शिविर के रूप में काम करेंगे।

<u>अल्पकालिक राहत उपाय</u>

• **<u>खाद्य और पोषण: -</u>** अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में, लोग तैयार फसलों और भंडारित अनाज गवां देते हैं। ऐसे मामलों में, भूख और कुपोषण से बचने के लिए खाद्य पदार्थों का मुफ्त वितरण किया जाएगा। जहां भी संभव हो, घरेलू खाना पकाने के लिए सूखी राशन वितरित की जानी चाहिए।

• **<u>पानी: -</u>** प्राकृतिक आपदाओं में जलापूर्ति हमेशा प्रभावित होती है। विशेष रूप से बाढ़ के दौरान सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता बहुत चुनौतीपूर्ण है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रभावित लोगों के पास पीने, खाना पकाने और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पानी एकत्र करने, भंडारित करने और उपयोग करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं और आपूर्ति हो।

• **<u>स्वास्थ्य: -</u>** आपदा के उपरांत अत्यधिक भीड़, अपर्याप्त और गुणवत्ता रहित पेयजल, खराब पर्यावरण और स्वच्छता स्थिति, जैविक पदार्थोंका क्षरण, जल-जमाव तथा अपर्याप्त शिविर और खाद्यापूर्ति के कारण कई हानिकारक बीमारियां फैलती है और महामारी के खतरे को बढ़ाती है। महामारी के प्रकोप की जांच के लिए दवाइयों, कीटाणुशोधक, धूमकेतु आदि की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी दवाएं वहां पहुंचे जिसके उपभोग की तिथि समाप्त नहीं हुई हो।

• **<u>वस्त्र और बर्तन: -</u>** आपदा से प्रभावित लोगों को उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कपड़े, कंबल इत्यादि प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को खाना पकाने और खाने बनाने का बर्तन प्रदान किया जाएगा।

• **<u>आश्रय: -</u>** बाढ़ के मामले में, बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में शरणार्थी शिविर प्रभावित आबादी के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए, जिन लोगों ने बाढ़ के चलते अपने घर को खो दिया है, उन्हें आश्रय हेतु पर्याप्त स्थल प्रदान किया जाएगा।

• **<u>राहत शिविर: -</u>** राहत शिविर भी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अच्छी अस्थायी व्यवस्था प्रदान करते हैं। इमारतों या खुली जगह की पर्याप्त संख्या में पहचान की जानी चाहिए जहां आपातकाल के दौरान राहत शिविर स्थापित किए जा सकते हैं। राहत शिविरों की स्थापना के लिए शैक्षणिक संस्थानों के परिसर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राहत शिविरों के संचालन के लिए आवश्यकताओं को पहले से विस्तारपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। अस्थायी राहत शिविरों में पेयजल और स्नान, स्वच्छता और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए।

• **<u>स्वच्छता एवं आरोग्यता: -</u>** आपदा के उपरांत महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्वच्छता सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। एतदर्थ ऐसी किसी भी संभावना की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपदा प्रभावित परिवारों के पास पर्याप्त स्वच्छता उपाय पहुंच रहे हों।

<u>अंतरिम राहत उपाय</u>

- प्रभावित क्षेत्रों (**लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्राधिकरण**) में मृत शरीरों के निपटान हेतु त्वरित पहचान और रिकार्ड के रखरखाव के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

- लापता होने वाली सभी व्यक्तियों की शिकायतों को रिकॉर्ड करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। रिपोर्ट के सत्यापन के मामले में कार्रवाई का पालन करने की भी आवश्यकता है। (**गृह विभाग, राजस्व विभाग**)

- जिला मजिस्ट्रेट और उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को सामूहिक हताहतों के मामले में पहचान और पोस्ट-मॉर्टम की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए। राजस्व विभाग मृत शरीरों के निपटान में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को नियुक्त कर सकता है। (**राजस्व और गृह विभाग**)

- अनधिकृत/अज्ञात मृतकों को अपने रिकॉर्ड में रखने के बाद जल्द-से-जल्द पूर्व निर्धारित स्वैच्छिक एजेंसियों की मदद से निपटान किया जाना चाहिए। (**गृह विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय**)

- स्थानीय प्रशासन के प्रयासों को समर्थन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। (**जी.ए.डी.**)।

- विभिन्न हितधारकों/विभागों की नियमित बैठकें सूचना साझा करने, राहत कार्यों के लिए रणनीतियों के विकास के लिए संघ प्रदेश स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए। (**जिला स्तर पर राहत आयुक्त और समाहर्ता**)।

- **सूचना एवं जनसंपर्क विभाग** मीडिया के साथ समन्वय करेगी ताकि वह लोगों को और सरकार को उचित जानकारी प्रसारित करते हुए स्थिति में तीव्र सुधार हेतु सकारात्मक भूमिका निभाये।

<u>नुकसान/हानि और राहत जरूरतों का आकलन</u>

- प्रशासक द्वारा जिला समाहर्ताओं को **'आकलन रिपोर्ट की आवश्यकता'** प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने चाहिए। राहत आयुक्त को इसे समेकित करना चाहिए और **"संघ प्रदेश की आवश्यकता आकलन रिपोर्ट"** तैयार करना चाहिए।

- प्रशासक द्वारा जिला समाहर्ताओं को **"क्षति और हानि आकलन रिपोर्ट"** प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने चाहिए। प्रशासक इसे समेकित करेगा और **"राज्य की क्षति और हानि आकलन रिपोर्ट"** तैयार करेगा जो आपदा पीड़ितों के लिए राहत कार्यों की योजना बनाने और कार्यान्वित करने में उपयोगी होगा।

- आवश्यकता / हानि मूल्यांकन के प्रयासों के पूरक के लिए पर्याप्त जनशक्ति, वाहन, स्टेशनरी इत्यादि प्रदान की जानी चाहिए। (**राहत और राजस्व विभाग के आयुक्त**)

- राहत आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट संग्राहक द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। (**राहत आयुक्त एवं समाहर्ता**)।
- प्रभावित क्षेत्रों में जोखिम भरे ढांचों की पहचान और विध्वंस, जीवन और चोटों के और नुकसान को कम करने के लिए। (**राजस्व विभाग और स्थानीय निकाय**)।

- जनहानि के सर्वेक्षण और मृत व्यक्तियों के परिवारों को पूर्व-अनुग्रह राहत के वितरण के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। (**राजस्व विभाग**)

- घरों और संपत्ति क्षति के विस्तृत मूल्यांकन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में टीमों का गठन और प्रेषण किया जाना चाहिए। (**राजस्व विभाग और स्थानीय प्राधिकरण**)।

6.3 सुनामी

संघ प्रदेश का राजस्व विभाग बचाव, राहत और पुनर्वास के आयोजन के लिए उपायों को नियंत्रित करने, निगरानी करने और निर्देशित करने के लिए **नोडल विभाग** है। जब भी ऐसा होता है तो सुनामी आपदा के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों में अन्य सभी संबंधित विभागों को पूर्ण सहयोग का विस्तार करना चाहिए। राजस्व, परिवहन, पत्तन और मत्स्यपालन, और आर.एंड.बी., विद्युत, वित्तीय सहायता, सूचना और प्रसारण इत्यादि जैसे विभाग सुनामी आने पर या सुनामी के किनारे से टकराने पर भूकंप आने की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया में एक प्रमुख भूमिका होगी।

अग्रिम चेतावनी

प्रारंभिक चेतावनी केंद्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भूकंपीय स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से हिंद महासागर के दो जिनी सुनामी स्रोत क्षेत्रों में भूकंपीय गतिविधि पर लगातार नजर रखता है। यह नेटवर्क हमें घटनाओं के 10 मिनट की अवधि के

भीतर किसी भी सुनामी जिनी भूकंप का पता लगाने में सक्षम बनाता है। सुनामी बुलेटिन को पूर्व निर्धारित निर्णय समर्थन नियमों के आधार पर उत्पन्न किया जाता है और मानक संचालन प्रक्रियाओं के बाद संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्रसारित किया जाता है।

भूकंप मानकों के आधार पर तट के किसी विशेष क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के सलाहकार बुलेटिन संदेशों (चेतावनी/सचेतन/निगरानी) को नीचे दिए गए मानदंडों के अनुरूप, तटीय आधार पर भूकंप पैमाने, उपलब्ध चेतावनी समय (यानी सुनामी लहर द्वारा विशेष रूप से प्राप्त करने के लिए समय तट) और पूर्व निर्धारित मॉडल परिदृश्यों से अपेक्षित रन-अप के आधार पर तैयार किया जाता है।

चेतावनी/सावधानी/निगरानी:

चेतावनी मानदंड इस बात पर आधारित हैं कि सुनामी उत्पन्न भूकंप स्रोत से 60 मिनट के भीतर यात्रा करने वाले तटीय क्षेत्रों को पूरी तरह से भूकंप की जानकारी के आधार पर चेतावनी दी जानी चाहिए, क्योंकि बी.पी.आर. और ज्वार पैमाना से पानी के स्तर की पुष्टि के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है। सूनामी जेनेरिक भूकंप स्रोत से यात्रा के 60 मिनट के बाहर आने वाले उन तटीय क्षेत्रों को निगरानी की स्थिति में रखा जाता है और केवल पानी के स्तर के आंकड़े की पुष्टि के बाद चेतावनी में उन्नयन किया जाता है, उदाहरण के लिए यदि उत्तरी इंडोनेशिया के तट पर सुनामी युक्त भूकंप होता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में 60 मिनट के भीतर सुनामी को "चेतावनी" स्थिति में रखा जाता है। अन्य क्षेत्रों को "निगरानी" स्थिति के तहत रखा जाता है और यदि यदि बी.पी.आर. या ज्वार पैमाना पानी के स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रकट करते हैं तो, सिर्फ "चेतावनी" में उन्नयन किया जाता है । इसका तात्पर्य है कि भूकंप स्रोत के नजदीकी क्षेत्रों के लिए मिथक अलार्म की संभावना अधिक है; हालांकि अन्य क्षेत्रों के लिए चेतावनी केवल जल-स्तर के आंकड़ों की पुष्टि के बाद जारी की जाती है, मिथक अलार्म का मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है। निकट स्रोत क्षेत्रों में भी मिथक अलार्म की दर को कम करने के लिए, प्री-रन मॉडल परिदृश्यों का विश्लेषण करके अलर्ट उत्पन्न होते हैं, ताकि चेतावनी केवल उन तटीय स्थानों पर जारी की जा सके जो खतरे में हैं।

<u>योजना सक्रियण</u>

सूनामी प्रतिक्रिया संरचना एक प्रमुख सुनामी की घटना पर सक्रिय हो जाएगी। राहत आयुक्त (सी.ओ.आर.) नियंत्रण कक्ष सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों को सक्रिय करेगा। वह निम्नलिखित विवरण शामिल करने के लिए निर्देश जारी करेगा:

- आवश्यक सटीक संसाधन निर्दिष्ट करें।
- प्रदान करने के लिए सहायता का प्रकार।
- समय सीमा जिसमें सहायता की आवश्यकता है।
- सहायता के प्रावधान के लिए राज्य, जिला या अन्य संपर्क व्यक्ति/एजेंसियां।
- अन्य कार्य बल जिसके साथ समन्वय होना चाहिए।

राज्य स्तर के साथ-साथ जिला नियंत्रण कक्षों में संघ प्रदेश ई.ओ.सी. और अन्य नियंत्रण कक्षों को पूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए।

सी.ओ.आर., राजस्व विभाग और अन्य सभी सूचीबद्ध विभागों की भूमिका और जिम्मेदारी विस्तार से दी गई है, वे निम्नलिखित कार्य करेंगे।

समय सीमा	**कार्य**
0 से (-) 60	1. चेतावनी प्राप्ति और प्रसार

समय सीमा	कार्य
मिनट	2. अंतर-विभागीय समन्वय 3. संचार के सभी लाइनों की स्थापना अर्थात उपग्रह फोन, एच.एफ./वी.एच.एफ. सेट, हैम रेडियो, संघ प्रदेश ई.ओ.सी. में वी.एस.ए.टी.।
0 से (-) 50 मिनट	1. स्थिति और रिपोर्टिंग की समीक्षा 2. ई.ओ.सी. और नियंत्रण कक्ष का प्रबंधन। 3. तटीय क्षेत्रों को सुनामी प्रतिक्रिया (प्रभावित होने की संभावना) 4. निकासी के लिए सुरक्षित स्थानों/आश्रयों की पहचान। 5. यदि आवश्यक हो तो मछुआरों को निकालने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। 6. सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों के संगठित करने के लिए परिवहन व्यवस्था करें। 7. सुनिश्चित करें कि आवधिक अंतराल पर सुनामी की प्रगति के बारे में सार्वजनिक और मीडिया को जानकारी जारी की गई है। 8. सुनिश्चित करें कि प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां (मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन) बंद हो सकती हैं। 9. प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।
0 से (-15) मिनट	1. स्थिति और रिपोर्टिंग की समीक्षा। 2. आपातकालीन राहत प्रबंधन। 3. निकासी/राहत केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं (नीचे दिखाया गया) के लिए व्यवस्था। 4. एम.एच.ए./राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सहायता (यदि आवश्यक हो) के लिए अनुरोध।
समय = 0 घंटे	1. प्रभावित क्षेत्र के विवरण के साथ आपदा घोषणा। 2. प्रभावित क्षेत्रों का प्रारंभिक मूल्यांकन। 3. सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित टीमों की तैनाती: • आपातकालीन संचार टीम • आपातकालीन चिकित्सा सेवा टीम • खोज और बचाव टीम (उपकरणों के साथ) • प्रारंभिक क्षति आकलन टीम • आकलन टीम की आवश्यकता है
समय = 0 + 24 घंटे.	1. सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित इकाइयों / टीमों का तत्काल जुड़ाव • अग्नि और आपातकालीन सेवाओं के एस एंड आर टीम • त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया टीम • त्वरित क्षति और हानि आकलन टीम • त्वरित आवश्यकता आकलन टीम • सड़क निकासी टीम • मृत शरीर के निपटान के लिए टीम • शवों के निपटान के लिए टीम • मलबे निकासी के लिए टीम (यदि कोई हो) • प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए टीम • वायुसेना की एस एंड आर टीमों की व्यवस्था करें (यदि आवश्यक हो)। 2. प्रभावित क्षेत्रों की साइटों तक पहुंचने के लिए पहुंच सड़कों की निकासी। 3. निकासी / राहत केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था। 4. सुनामी प्रभावित तटीय इलाकों में मछुआरों और आगंतुकों की सुरक्षा। 5. रोग के प्रकोप के तत्काल स्वास्थ्य और न्यूनीकरण सुनिश्चित करें। 6. राहत अभियान की योजना के लिए त्वरित आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करें। 7. स्थिति के डंठल के लिए प्रभावित क्षेत्रों के एरियल सर्वेक्षण का संचालन करें।
समय = 0 + 24 से 48 घंटे.	1. महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे / आवश्यक सेवाओं की बहाली। 2. मृत निकायों और पशु शवों का निपटान। 3. सार्वजनिक सूचना और मीडिया प्रबंधन। 4. सुनिश्चित करें कि बाहर से प्राप्त राहत सहायता उनकी आवश्यकता के अनुसार केंद्रीय रूप से प्राप्त संग्रहित और

समय सीमा	कार्य
	सुनामी प्रभावित क्षेत्रों को वितरण के लिए भेजी जाती है, और उचित खाते दोनों रसीद और वितरण के बारे में अनुरक्षित किया जाता है ।
समय = 0 + 48 से 96 घंटे,	1. राहत कार्यों के लिए आवश्यक अतिरिक्त राहत सामग्री की खरीद और जमा करने की व्यवस्था करें (आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर) । 2. फील्ड अस्पताल से आधार अस्पताल में घायल परिवहन के लिए व्यवस्था । 3. मृत शरीर के परिवहन के लिए उनके मूल स्थानों पर व्यवस्था। 4. रिकॉर्ड, समय पर रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन के रखरखाव सुनिश्चित करें।
समय = 0 + 96 से 168 घंटे.	1. सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक और आवश्यक वस्तुओं की बहाली की समीक्षा करें। 2. संरचनाओं की सुरक्षा का पता लगाने के लिए लोगों को अपने संबंधित घरों में वापस जाने के लिए आगे बढ़ने का फैसला करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों (इंजीनियरों की तकनीकी टीम के माध्यम से) के त्वरित दृश्य सर्वेक्षण का आयोजन करें। 3. सुनिश्चित करें कि आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और निकासी व्यवस्था आयोजित करने के लिए राहत सामग्री का वितरण निधि आबंटन और अनुदान लाईन विभाग और समाहर्ता को दिया जाए ।

राहत उपाय

अल्पकालिक राहत उपाय

(1) प्रभावित लोगों को अस्थायी आश्रय प्रदान करें
(2) अस्थायी आश्रय सुरक्षित रूप से और आसानी से सुलभ होना चाहिए।
(3) प्रभावित लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना जारी रखें।

- भोजन,
- पानी,
- कपड़े,
- स्वच्छता
- चिकित्सा सहायता
- बिजली

सी.ओ.आर., सूचीबद्ध विभागों और संबंधित के सचिव राहत शिविरों में निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए:

- राहत शिविरों में स्वच्छता और स्वच्छता पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। (**स्वास्थ्य विभाग**)
- राहत सामग्री के भंडारण के लिए राहत शिविर के भीतर अलग क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। (**नागरिक आपूर्ति और लोक निर्माण विभाग**)
- शिविर स्थल के लिए पर्याप्त जनशक्ति और परिवहन सुविधाएं। (**परिवहन विभाग**)
- आघात प्रबंधन के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। (**स्वास्थ्य विभाग**)
- पीड़ितों/घायल लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए दूरदराज के इलाकों में मोबाइल मेडिकल इकाइयां भेजी जाएंगी। (**स्वास्थ्य विभाग**)
- सूचना केंद्र प्रशासन द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। (**सूचना विभाग और लोक निर्माण विभाग**)

अंतरिम राहत उपाय

- प्रभावित क्षेत्रों में शवों के निपटान के रिकॉर्ड की त्वरित पहचान और रख-रखाव के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए । (**गृह, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्राधिकरण**)
- लापता होने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित शिकायतों को रिकॉर्ड करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। रिपोर्ट के सत्यापन के मामले में कार्रवाई का पालन करने की भी आवश्यकता है। (**गृह विभाग**)

- जिला मजिस्ट्रेट और उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को सामूहिक हताहतों के मामले में पहचान और पोस्ट-मॉर्टम की आवश्यकता को मुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए। राजस्व विभाग मृत निकायों के निपटान में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को नियुक्त कर सकता है। **(राजस्व और गृह विभाग)**
- अनधिकृत/अज्ञात शवों को अपने रिकॉर्ड रखने के बाद जल्द से जल्द पूर्व निर्धारित स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता से निपटान किया जाना चाहिए। **(गृह, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय)**
- स्थानीय प्रशासन के प्रयासों के पूरक के लिए प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त जनशक्ति तैनात की जाएगी। **(जी.ए.डी.)**।
- गैर सरकारी संगठनों और बाहरी दाता/सहायता एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए संघ प्रदेश/जिला/ग्राम स्तर पर अलग सेल स्थापित किया जाना चाहिए। **(राजस्व विभाग)**
- विभिन्न हितधारकों/विभागों की नियमित बैठकें सूचना साझा करने, राहत कार्यों के लिए रणनीतियों के विकास के लिए संघ प्रदेश स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए। **(जिला स्तर पर राहत आयुक्त और समाहर्ता)**।
- सूचना और जनसंपर्क विभाग तेजी से वसूली की सुविधा के लिए सार्वजनिक और सरकार को उचित जानकारी प्रसारित करने में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए मीडिया के साथ समन्वय करने के लिए ।

नुकसान/हानि और राहत की जरूरतों का आकलन

- राहत आयुक्त को "आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट" प्रदान करने के लिए जिला समाहर्ता को निर्देश जारी करने चाहिए। राहत आयुक्त को इसे समेकित करना चाहिए और "संघ प्रदेश आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट" तैयार करना चाहिए।
- राहत आयुक्त जिला समाहर्ता को नुकसान और हानि मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करने के निर्देश जारी करेंगे । राहत आयुक्त को इसे समेकित करेंगे और "संघ प्रदेश की क्षति और हानि मूल्यांकन रिपोर्ट" तैयार करेंगे, जो आपदा के पीड़ितों हेतु आपदा के बाद राहत अभियान की योजना बनाने और कार्यान्वित करने में उपयोगी होगा।
- आवश्यकता/हानि मूल्यांकन के प्रयासों के पूरक के लिए पर्याप्त जनशक्ति, वाहन, लेखन-सामग्री इत्यादि प्रदान की जानी चाहिए। **(राहत और राजस्व विभाग के आयुक्त)**
- राहत आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट कलेक्टर द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। **(राहत आयुक्त और समाहर्ता)**।
- क्षति मूल्यांकन प्रदर्शन अनुलग्नक में भी संलग्न है। (सी.ओ.आर. और समाहर्ता)।
- प्रभावित क्षेत्रों में खतरनाक संरचनाओं की पहचान और उसे नष्ट करना, जीवन और चोटों के नुकसान को कम करने के लिए। **(राजस्व विभाग और स्थानीय निकाय)**।
- अनावश्यक राहत और नकद सहायता के वितरण हेतु व्यवस्था। **(राजस्व विभाग, पंचायत और ग्रामीण आवास विभाग, यूडी और यूएचडी विभाग और समाहर्ता)**।
- जनहानि के सर्वेक्षण और मृत व्यक्तियों के परिवारों को पूर्व-अनुग्रह राहत के वितरण के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। **(राजस्व विभाग)**।
- घरों और संपत्ति क्षति मूल्यांकन के विस्तृत मूल्यांकन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में टीमों का गठन और प्रेषण किया जाना चाहिए। **(राजस्व विभाग और स्थानीय प्राधिकरण)**।
- घरों के पुनर्निर्माण के रूप में लंबे समय तक लगेंगे, प्रभावित लोगों को अंतरिम आश्रय प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। **(राजस्व विभाग और जल विभाग जैसे जल आपूर्ति विभाग, आदि)**।

- अंतरिम आश्रय के लिए साइट की पहचान
- प्रभावित परिवारों के क्षेत्रों के आवंटन
- प्रभावित परिवारों को उचित आश्रय प्रदान करना
- अंतरिम आश्रय साइटों के तहत आवश्यक सेवाओं को प्रदान करना।
    - जल

- परिवहन
- पावर
- रोड
- निकासी/स्वच्छता
- स्कूल
- पी.डी.एस. दुकानें
- स्वास्थ्य/संरक्षण।

6.4 भूकंप

संघ प्रदेश दमण भौगोलिक रूप से अरब सागर तट पर गुजरात का हिस्सा है। पिछले 200 वर्षों के दौरान, गुजरात में 1819, 1845, 1847, 1848, 1864, 1903, 1938, 1956, 2001 में मध्यम से तीव्र तीव्रता के 9 भूकंप दर्ज किए। इतिहास में सबसे बुरे भूकंप में से एक वर्ष 2001 में भूकंप आया था जिसमें मरने वालों की सख्या 26 थी। 4 अक्टूबर, 1851 को दमण को भूकंप का सामना करना पड़ा।
भारत में भूकंप के खतरे के नक्शे के अनुसार, दमन और दीव भूकंपीय जोन III के अंतर्गत आते हैं और रिक्टर पैमाने पर 5.0 से 6.0 तीव्रता के संभावित भूकंप के साथ मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र में स्थित है।

कार्य योजना में निम्नलिखित पांच गतिविधियां शामिल होंगी:
i) भूकंप आपदा की घोषणा।
ii) भूकंप आपदा का जवाब देने के लिए यूटी प्रशासन का संस्थागत तंत्र।
iii) भूकंप की घटना की रिपोर्ट प्राप्त करने पर ट्रिगर तंत्र
iv) संबंधित लाइन विभागों के प्रतिक्रिया तंत्र के साथ-साथ उनमें से प्रत्येक की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ प्रतिक्रिया तंत्र
v) प्रभावित आबादी को तत्काल राहत प्रदान की जाएगी।

भूकंप आपदा की घोषणा
सं.प्र.आ.प्र.प्रा. राहत आयुक्त या जिला समाहर्ता की सिफारिशों पर किसी भी क्षेत्र की घोषणा करेगा जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं और जहां भूकंप आया है। आपदा की घोषणा का उद्देश्य प्रभावी प्रतिक्रिया व्यवस्थित करना और भूकंप के प्रभाव को कम करना है।

भूकंप आपदा का जवाब देने के लिए संस्थागत तंत्र
राजस्व विभाग जिला में आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जबकि संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सं.प्र.आ.प्र.प्रा.) को संघ प्रदेश में आपदा नीतियों, दीर्घकालिक योजना, समन्वय और निगरानी के लिए निगरानी निकाय, कमी और तैयारी के लिए निगरानी प्रणाली के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

ट्रिगर तंत्र

5 या उससे अधिक की तीव्रता के भूकंप से मनुष्यों को मौतों और चोटों और निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। दुर्भाग्य से भूकंप से पहले बहुत कम चेतावनी उपलब्ध होती है । इसलिए भूकंप के प्रभाव को कम से कम करने के लिए सभी स्तरों पर त्वरित प्रतिक्रिया की योजना बनानी चाहिए।

जिला का राजस्व विभाग भूकंप की तैयारी, बचाव, राहत और पुनर्वास के आयोजन के उपायों को तैयार करने, नियंत्रित करने, निगरानी करने और निर्देशित करने के लिए नोडल विभाग होगा। जब भी ऐसा हो तो अन्य सभी संबंधित विभागों को भूकंप आपदा के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों में पूर्ण सहयोग का विस्तार देना चाहिए ।

भूकंप की घटना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.)/राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एन.जी.आर.आई.)/ भूकंप अनुसंधान संस्थान (आई.एस.आर.) द्वारा राहत आयुक्त को सबसे तेज़ माध्यमों द्वारा रिपोर्ट की जा सकती है। इनके अलावा, नियंत्रण कक्ष/ई.ओ.सी. गांव के स्तर से भूकंप पर रिपोर्ट प्राप्त करता है। सूचना प्राप्त होने पर, ई.ओ.सी. रिपोर्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है और वास्तविक स्थिति को संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगा।

6.4.1: सूचना और रिपोर्टिंग:

1. संघ प्रदेश में भूकंप की घटना के बारे में ई.ओ.सी. को जानकारी प्रदान करने वाली एजेंसियां नीचे दिखाई गई हैं:

- आई.एम.डी., अहमदाबाद/नई दिल्ली
- आई.एस.आर.
- एन.जी.आर.आई.

2. किसी भी बड़े भूकंप की घटना पर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ई.ओ.सी./नियंत्रण कक्ष सक्रिय किया जाना चाहिए। ई.ओ.सी. को निम्नलिखित गतिविधियां शुरू करनी चाहिए:

i) ई.ओ.सी. को निम्नलिखित में एक बड़े भूकंप की घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए:

- राहत आयुक्त
- सचिव (राजस्व)
- अध्यक्ष, संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- संकट प्रबंधन समिति के सदस्य
- गृह मत्रालय, भारत सरकार में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ई.ओ.सी.
- उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
- सचिव, गृह मत्रालय

ii) ई.ओ.सी. आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए जिला खोज और बचाव मशीनरी और अग्निशामक कर्मियों के लिए चेतावनी देने के लिए।

iii) अधिकृत वैज्ञानिक एजेंसियों के साथ-साथ जिला नियंत्रण कक्षों से जानकारी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए ई.ओ.सी.।

iv) ई.ओ.सी. तुरंत अपने रिपोर्ट करने के लिए अपने नियमित और आपातकालीन कर्मचारियों से संपर्क करें।

v) संघ प्रदेश के विभागों के सभी सचिवों से तुरंत ई.ओ.सी. में उपलब्ध होने के लिए संपर्क किया जाना चाहिए।

vi) राष्ट्रीय और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्षों के साथ लगातार संपर्क में रहने के लिए ई.ओ.सी.।

vii) सं.प्र.ई.ओ.सी./डी.ई.ओ.सी. का कुल प्रबंधन राहत आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

6.4.2 आपातकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए संचार और आवश्यक सेवाओं की लाइनों की बहाली:

- आपातकालीन संचार की स्थापना
- संचार कड़ी की बहाली (रेल, सड़क और वायु)
- बिजली और बिजली की बहाली
- सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति
- आवश्यक जीवन रेखा बुनियादी ढांचे की बहाली

6.4.3 खोज, बचाव और चिकित्सा सहायता

- उन क्षेत्रों की पहचान जहां एस.ए.आर. टीम तैनात किए जाएंगे,
- आवंटित क्षेत्रों में उनकी त्वरित तैनाती के लिए एस.ए.आर. टीमों का समन्वय,
- प्रभावित क्षेत्रों में एस.ए.आर. टीमों के त्वरित परिवहन की व्यवस्था,
- खोज मार्गों और मलबे को हटाने के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए खोज और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग/ओ.आई.डी.सी./परिवहन विभाग,
- प्रभावित क्षेत्रों में विशेष उपकरणों और मशीनरी का संघटन,
- प्रवेश और बाहर निकलने के नियंत्रण के साथ प्रभावित क्षेत्रों की घेराबंदी,
- यातायात बिंदु और चेक-पोस्ट की स्थापना द्वारा यातायात प्रबंधन,
- गृह विभाग प्रभावित क्षेत्रों में सरकार और जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक तंत्र विकसित करे,
- प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्र अस्पतालों की स्थापना और मोबाइल अस्पतालों की तैनाती,
- अस्पतालों को घायल पीड़ितों के त्वरित परिवहन के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए,
- घायलों के त्वरित उपचार के लिए सचिव (स्वास्थ्य)एक तंत्र विकसित करें।

6.4.4 आपातकालीन राहत (आश्रय, भोजन, कपड़े, आदि)

(क) निकासी के लिए अस्थायी आश्रयों की स्थापना।
(ख) आवश्यक सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करना:

- भोजन, कपड़े, कंबल/बिस्तर, पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था व्यवस्था और आवश्यक दवाओं के लिए व्यवस्था।
- पीड़ितों के इलाज के लिए प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल अस्पतालों की तैनाती।
- भूकंप पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

(ग) गैर-स्थानीय लोगों के मृत निकायों को अपने मूल निवासी को भेजने के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए व्यवस्था। प्रशासन को शवों के स्थानांतरण के दौरान कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए।
(घ) प्रभावित लोगों और उनके रिश्तेदारों के बीच संचार तंत्र की स्थापना सुनिश्चित करें।

6.4.5 अन्य लाइन विभागों (घटना के 72 घंटे पहले) की मदद से समाहर्ता द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया चरण के लिए कार्य ढ्रांचा

समय सीमा	कार्य
0 + 15 मिनट	1.सी.ओ.आर., सचिव (राजस्व विभाग), अध्यक्ष- सं.प्र.आ.प्र.प्रा., सभी लाइन विभागों के प्रमुख, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ई.ओ.सी. को गृह मंत्रालय, भारत सरकार में भूकंप की घटना की रिपोर्ट करें.
0 + 30 मिनट	1.जिला ई.ओ.सी./नियंत्रण कक्ष में वैकल्पिक संचार उपकरण यानी सैटेलाइट फोन, एच.एफ./वी.एच.एफ. सेट, एच.ए.एम. रेडियो, वी.एस.ए.टी. इत्यादि को सक्रिय करके संचार तंत्र स्थापित करें। 2.संचार तंत्र स्थापित करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल आपातकालीन संचार इकाइयों की तैनाती का निर्देश। 3.कर्तव्य अधिकारियों और सभी लाइन विभागों के साथ पहली बैठक आयोजित करें।
0 + 1 घंटे	1.ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए ईओसी के नियमित और आपातकालीन कर्मचारियों दोनों को निर्देशित करें। 2.प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव टीमों का प्रेषण। 3.प्रभावित क्षेत्रों की प्रारंभिक आवश्यकता और हानि मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने के लिए त्वरित आकलन कार्य बल को निर्देशित करें। 4.प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया टीम चेतावनी। 5.प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए व्यवस्था करें। 6.पीड़ितों को सुरक्षित साइटों पर निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दें। 7.संकट प्रबंधन समूह (सी.एम.जी.) की बैठक को जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए समय और स्थान पर निर्णय लेने के लिए प्रशासक से संपर्क करें और इसे आयोजित किया जाए। 8.महत्वपूर्ण संचालन बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों या एजेंसियों को निर्देश दें।
0 + 2 घंटे.	1.सभी संघ प्रदेश प्रशासन कर्मचारियों को आधे घंटे के भीतर आपातकालीन कर्तव्यों की रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए जी.ए.डी. को सूचित करें। 2.प्रभावित क्षेत्रों में संघ प्रदेश स्तर के वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। 3.आपातकालीन टीमों और संसाधनों को त्वरित क्षेत्रों में त्वरित संगठित करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सड़क, रेल और वायु संचार तंत्र की शर्तों का आकलन करें। 4.सार्वजनिक सूचना, मार्गदर्शन और अफवाह नियंत्रण के लिए मीडिया प्रबंधन/सूचना कक्ष स्थापित करें। 5.यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार (एम.एच.ए. और एम.ओ.डी.) से सहायता के लिए अनुरोध किया जा सकता है। 6.आपातकालीन खोज, बचाव और राहत कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए सशस्त्र बलों के निकटतम मुख्यालय का अनुरोध करें। 7.आपातकालीन बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए संघ प्रदेश में निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों से संपर्क करें। 8.यदि आवश्यक हो, तो पड़ोसी संघ प्रदेश और बाहरी एजेंसियों से सहायता मांगी जा सकती है। 9.आपातकालीन परिचालनों के समन्वय के लिए ई.ओ.सी. में प्रत्येक ऑपरेशन टास्क फोर्स और गैर सरकारी संगठन समन्वय डेस्क के लिए अलग-अलग डेस्क सेट करें। 10. प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करें और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखें। 11. प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल प्रथम प्रतिक्रिया टीम और एस.ए.आर. टीम, उपकरण और मशीनरी के जुटाने की व्यवस्था करें। 12. स्वयं सेवकों और सहायता एजेंसियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के पास सूचना केंद्र स्थापित करने के लिए जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दें।
0 + 3 घंटे	1.प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के संगठित करने के लिए उपयुक्त परिवहन व्यवस्था करें। 2.राष्ट्रीय/जिला ई.ओ.सी. के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें।

समय सीमा	कार्य
	3.मीडिया प्रबंधन और सूचना प्रसार, अफवाह नियंत्रण और सार्वजनिक सूचना और मार्गदर्शन के लिए प्रेस/मीडिया सेंटर स्थापित करें। 4.घायल के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए सभी प्रमुख अस्पतालों को चेतावनी दें।
0 + 6 घंटे	1.मानवीय सहायता के लिए आने वाले खोज@बचाव और मेडिकल टीम के आगमन के लिए हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन इत्यादि में राहत समन्वय केंद्र स्थापित करें। 2.प्रवेश क्षेत्रों और बाहर निकलने के लिए प्रभावित क्षेत्रों को नियंत्रित करने और चेक पदों की स्थापना के लिए निर्देश। 3.प्रभावित क्षेत्रों में उपकरण, मशीनरी और स्वयं सेवकों के संगठनाकरण के लिए यातायात का प्रबंधन करें। 4.हवाई सर्वेक्षण का संचालन करें और प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित मूल्यांकन टीमों को भी संगठित करें। 5. आगमन और प्रस्थान बिंदुओं पर विशेष रूप से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस स्टैंड पर सूचना केंद्र स्थापित करें।
0 + 12 घंटे	1.प्रभावित जिलों और गांव स्तर पर राहत सामग्री को गतिशील करें। 2.निकाले गए लोगों को अस्थायी आश्रयों में स्थानांतरित करने और भोजन, जल सुविधाओं, कंबल और राहत सामग्री के भंडारण को सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें। 3.प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के प्रेषण के लिए संघ प्रदेश/जिला मुख्यालय में सड़क, रेल और हवाई परिवहन की व्यवस्था करें। 4.प्रभावित क्षेत्रों के पास फील्ड अस्पतालों की स्थापना करें और घायल व्यक्तियों को क्षेत्रीय अस्पतालों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करें। 5.प्रभावित क्षेत्र के पास राहत समन्वय केंद्र और गोदामों को स्थापित करने के लिए जिला समाहर्ताओं को निर्देश दें और साथ ही पूर्ण सुरक्षा बीमा भी प्रदान करें। 6.प्रभावित क्षेत्रों में राहत संचालन और संसाधनों के जुटाने की योजना के लिए त्वरित आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करें।
0 + 24 घंटे	1.हर 12 घंटों में तैनात अधिकारी के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करें। 2.2. स्थिति रिपोर्ट तैयार करें और प्रसारित करें। 3.3. दिन में दो बार प्रेस नोट तैयार करें। 4.4. प्रभावित क्षेत्रों से प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करें।
0 + 48 घंटे	1.आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियान के लिए प्रभावित क्षेत्रों में नियुक्त कर्मियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करें। 2.प्रभावित क्षेत्रों पर चिकित्सा आपूर्ति के लिए चिन्हित भंडारण बिंदु तैयार करना। 3.मृतकों के निपटारे के लिए पहचान, फोटोग्राफ, पोस्ट-मॉर्टम और अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करें। 4.पीड़ितों के रिकॉर्ड बनाए रखने और रिश्तेदारों, गैर सरकारी संगठनों आदि को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आश्रय स्थल पर सूचना केंद्र व्यवस्थित करें। 5.लापता लोगों के बारे में शिकायतों की व्यवस्था करें और आश्रयों, अस्पतालों और पुलिस अभिलेखों में खोज शुरू करें। 6.मृत शरीरों के निपटान के लिए आवश्यक होने पर अतिरिक्त जनशक्ति की व्यवस्था करें। 7.यदि आवश्यक हो तो मृतकों के परिवहन के लिए अपने मूल स्थानों पर परिवहन की व्यवस्था करें.
0 + 72 घंटे	1.अज्ञात और अनिवार्य मृतकों के निपटान की व्यवस्था करें। 2.स्थानीय अस्पतालों से आधार अस्पतालों में घायल परिवहन के लिए व्यवस्था करें। 3.छोटे और अंतरिम राहत उपायों को सक्रिय करें। 4.पीड़ितों को नकद सहायता के वितरण की व्यवस्था करें।

प्रभावित आबादी को तत्काल राहत प्रदान की जाएगी

अल्पावधिक राहत उपाय

(1) प्रभावित लोगों को अस्थायी आश्रय प्रदान करें।
(2) निकासी स्थलों को सुरक्षित और आसानी से सुलभ होना चाहिए।
(3) प्रभावित लोगों यानी भोजन, पानी, कपड़े, स्वच्छता और चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करना जारी रखें।

राहत शिविरों में निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए सी.ओ.आर.:

- राहत शिविर साइटों में स्वच्छता और स्वच्छता पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।
- राहत सामग्री के भंडारण के लिए राहत शिविर के भीतर अलग क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए।
- शिविर स्थल के लिए पर्याप्त जनशक्ति और परिवहन सुविधाएं।
- आघात प्रबंधन के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
- पीड़ितों/घायल लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए दूरदराज के इलाकों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयां भेजी जाएंगी।
- सूचना केंद्र प्रशासन द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।

अंतरिम राहत उपाय

- प्रभावित क्षेत्रों में मृत निकायों के निपटान के रिकॉर्ड की पहचान और रखरखाव के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
- लापता होने वाले सभी व्यक्तियों की शिकायतों को रिकॉर्ड करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। रिपोर्ट के सत्यापन के मामले में कार्रवाई का पालन करने की भी आवश्यकता है।
- सामूहिक हताहतों के मामले में पोस्ट-मॉर्टम की आवश्यकता में छूट देने के लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जाना चाहिए। राजस्व विभाग मृत निकायों के निपटान में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त एसडीएम को नियुक्त कर सकता है।
- अनधिकृत/अज्ञात मृत निकायों को अपने रिकॉर्ड रखने के बाद जल्द से जल्द निपटान किया जाना चाहिए।
- स्थानीय प्रशासन के प्रयासों को समर्थन देने केलिए प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त जनशक्ति तैनात की जाएगी।
- एनजीओ और बाहरी दाता/सहायता एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए संघ प्रदेश/जिला स्तर पर अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए।
- विभिन्न हितधारकों/विभागों की नियमित बैठकें राज्य के स्तर पर जानकारी साझा करने, राहत कार्यों के लिए रणनीतियों के विकास के लिए आयोजित की जानी चाहिए।
- स्थिति को तेजी से नियंत्रण में लाने हेतु तथा जनता और सरकार को उचित जानकारी प्रसारित करने में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सूचना एवं प्रसार विभाग मीडिया के साथ समन्वय करेंगे ।

नुकसान/हानि और राहत की जरूरतों का आकलन

- जिला कलेक्टर को निर्देश जारी करने के लिए सी.ओ.आर. "आवश्यकता और हानि मूल्यांकन" प्रदान करता है।
- आवश्यकता/हानि मूल्यांकन के प्रयासों के पूरक के लिए पर्याप्त जनशक्ति, वाहन, स्टेशनरी इत्यादि प्रदान की जानी चाहिए।
- जीवनदाति और चोटों को न्यूनतम रखने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में खतरनाक संरचनाओं की पहचान और उन्हें तोड़ना ।

• मलबे को हटाना और इसके उचित निपटान के लिए व्यवस्था।

• अनावश्यक राहत और नकद डोल के वितरण के लिए व्यवस्था।

• मानव हानि के सर्वेक्षण और मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रही राहत के वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

• घरों और संपत्ति मूल्यांकन के विस्तृत मूल्यांकन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में टीमों का गठन और प्रेषण किया जाना चाहिए।

• घरों के पुनर्निर्माण के लिए लंबी अवधि लग जाएगी, प्रभावित लोगों को अंतरिम आश्रय प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जाएगी

• अंतरिम आश्रय के लिए क्षेत्रों की पहचान।

• प्रभावित परिवारों को क्षेत्रों का आवंटन।

• अंतरिम आश्रय स्थलों जैसे पानी, बिजली, जल निकासी/स्वच्छता, पी.डी.एस. दुकानों आदि पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करना।

• व्यक्तिगत परिवारों के लिए आश्रय सामग्री का वितरण।

6.5: रासायनिक और औद्योगिक आपदाएं।

औद्योगिक आपदाओं के स्रोत

औद्योगिक और रासायनिक दुर्घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं:
1. विनिर्माण और सूत्रीकरण अधिष्ठापन के साथ प्रारंभिक और प्रक्रिया प्रचालनों के दौरान ।
2. विनिर्माण सुविधाओं में सामग्री की निगरानी और भंडारण, और पृथक भंडार; गोदामों और गोदामों और ईंधन डिपो।
3. परिवहन (सड़क, रेल, वायु, पानी और पाइप लाइन)।

औद्योगिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार कारक
सामान्य रूप से औद्योगिक और रासायनिक आपदाओं के परिणाम हो सकता हैं :
1. आग
2. विस्फोट
3. विषाक्त उत्सर्जन
4. जहर
5. उपरोक्त के संयोजन

औद्योगिक दुर्घटनाओं के प्रारंभिक मूल कारण
मानव त्रुटियों समेत कई कारणों से रासायनिक दुर्घटनायें हो सकती हैं जिससे रासायनिक आपदाओं की संभावना बन सकती है, ये हैं:
1. प्रक्रिया और सुरक्षा प्रणाली की विफलताएं:
क. तकनीकी त्रुटियां: डिजाइन दोष, थकान, धातु विफलता, संक्षारण इत्यादि।
ख. मानव त्रुटियां: विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन न किया जाना, सुरक्षा निर्देशों की उपेक्षा ।
ग. सूचना की कमी: आपातकालीन चेतावनी प्रक्रियाओं का अभाव अस्पष्ट उपचार प्रक्रिया इत्यादि।
घ. संगठनात्मक त्रुटियां: कमजोर आपातकालीन योजना और समन्वय, जनता के साथ अप्रभावी संचार, मॉक ड्रिल/अभ्यास आदि का अनुपालन, जो त्वरित प्रतिक्रिया और तैयारी की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

2. प्राकृतिक आपदाएं: दमण और दीव का संघ प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं की अत्यधिक आशंका है, जिससे औद्योगिक आपदायें भी हो सकती हैं।

सूचना का प्रवाह (संचार)

जिला नियंत्रण कक्ष (डी.सी.आर.) में दुर्घटना/हमले के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए जिसमें घटना का स्थान शामिल रसायन, घटना की गंभीरता, हताहत (यदि कोई हो) इत्यादि विवरण दिया जायेगा । डी.सी.आर. में प्रभारी तब पहले तीन उत्तरदाताओं यानी पुलिस, अग्नि और आपातकालीन सेवाओं और चिकित्सा विभाग को सूचित करेगा। इसके बाद वह जिला समाहर्ता और जिला संकट समूह के अन्य सभी सदस्यों को सूचित करेंगे। बदले में, जिला समाहर्ता संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सं.प्र.आ.प्र.प्रा.) को आपदा की घटना के बारे में सूचित करेगा और क्षेत्रों पर स्थिति का आकलन करने के बाद संसाधनों और जनशक्ति (यदि आवश्यक हो) के मामले में अतिरिक्त सहायता मांगेगा।

सं.प्र.आ.प्र.प्रा. इस मामले के बारे में अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ केंद्रीय संकट समूह (सी.आर.जी.) को सूचित करेगा। साइट पर पहुंचने के बाद पहले उत्तरदाताओं, घटना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और स्थिति की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों/कर्मियों को तैनात करने के लिए संबंधित एजेंसियों/विभागों के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

औद्योगिक (रासायनिक) आपदाओं के लिए ट्रिगर तंत्र

आपातकालीन स्थिति/आपदा के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने पर, डी.सी.आर./डी.ई.ओ.सी. के प्रभारी को तुरंत जिला समाहर्ता और पहले तीन उत्तरदाताओं यानी पुलिस, अग्नि और आपातकालीन सेवाओं और चिकित्सा सेवाओं को सूचित करना चाहिए। सूचित जिला समाहर्ता फिर डी.सी.आर./डी.ई.ओ.सी. सूचना भेजते हैं ।

अधिसूचना द्वारा घटना का स्थान जारी किए गए रसायनों का प्रकार/उपयोग (यदि ज्ञात है), संभावित परिणाम विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य कार्यों पर किए गए कार्यों पर लिखित रिपोर्ट प्रदान किया जाना चाहिए। जिला समाहर्ता को इस घटना के बारे में संघ प्रदेश नियंत्रण कक्ष (यू.टी.सी.आर.)/यू.टी.ई.ओ.सी. और यू.टी.डी.एम.ए. के अध्यक्ष को सूचित करना चाहिए।

यू.टी.सी.आर./यू.टी.ई.ओ.सी. फिर संघ प्रदेश और जिला स्तर पर सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए सतर्क या निर्देशित करेगा। यू.टी.सी.आर./यू.टी.ई.ओ.सी. प्रभावित क्षेत्रों में संघ प्रदेश स्तर प्रतिक्रिया दल (यू.टी.आर.टी.) को तैनात करने का निर्णय लेगा।

आपातकाल के शुरुआती चरणों के दौरान यह संभावना है कि रिपोर्ट अस्पष्ट और विरोधाभासी हो सकती है। इसलिए, ऑन-साइट मूल्यांकन करने वाले पहले उत्तरदाताओं को स्थिति के एक विश्वसनीय मूल्यांकन की अनुमति देने के लिए जानकारी के विश्वसनीय स्रोत सुरक्षित करना चाहिए। मूल्यांकन में दुर्घटना, भौतिक क्षति, और संभावित स्वास्थ्य परिणाम शामिल होना चाहिए। यह चिकित्सा देखभाल से प्रभावित लोगों के लिए एंटीडोट्स और उपचार के नियमों का भी सुझाव देना चाहिए यदि हमले के दौरान जारी/ प्रयोग किए गए रसायनों का प्रकार/प्रकृति ज्ञात है।

जिला संकलन समूह (डी.सी.जी.), जिला समाहर्ता और प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने के बाद विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों, चिकित्सा सहायता और बचाव उपकरणों को जुटाने पर निर्णय लेगा।

डीसीजी को पड़ोसी जिलों के अग्नशिमन और आपातकालीन / बचाव सेवाओं और अस्पतालों को भी उनकी सेवाओं की आवश्यकता होने पर सतर्क रहने का निर्देश देना चाहिए ।

ईआरटी के टीम कमांडर को प्रभावित क्षेत्र की घेराबंदी करनी चाहिए। उन्हें पड़ोसी आबादी को साइट से दूर रहने का निर्देश देना चाहिए। उन्हें उपलब्ध उपकरण / किट के माध्यम से हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए पदार्थों का पता लगाने के लिए चिकित्सा इकाई को निर्देश देना चाहिए। उन्हें डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के परामर्श से उचित स्थान पर निर्जलीकरण इकाई की स्थापना के लिए जगह तय करनी चाहिए। ईआरटी की खोज और बचाव इकाई को प्रभावित लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए और निकालना चाहिए।

औद्योगिक (रासायनिक) आपदा के लिए प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया उपायों वो हैं जो औद्योगिक (रसायनिक) आपातकालीन स्थिति / हमले के तुरंत पहले और उके बाद किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य चोटों, जान-माल के नुकसान तथा पर्यावरण क्षति को कम करना है और इस आपदा से प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों को बचाना है ।

डीसीजी यह सुनिश्चित करेगा कि रासायनिक सुविधा ऑपरेटरों और प्रतिक्रिया संगठनों के कार्यों और जिम्मेदारियों को सभी हितधारकों द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित और समझा जा सके।
सबसे तेज़ प्रतिक्रिया के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर रहा है वह तुरंत पहले उत्तरदाताओं, जिस्ट को भेज देगा। कलेक्टर, सब डिव। मजिस्ट्रेट (एलसीजी के लिए अध्यक्ष) और डीसीजी के अन्य सदस्यों। यदि वह प्राप्त करता है, तो पहली कॉल करने के बाद और जानकारी, वह उसी क्रम में भी व्यक्त करेगा। वैकल्पिक रूप से, यदि जानकारी किसी विशेष विभाग के लिए अधिक प्रासंगिक है, तो वह पहले उस जानकारी को अपने सिर पर भेज देगा।
विशिष्ट गतिविधियां और भूमिका और जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

कार्य	**उत्तरदायित्व**	**क्रियाकलाप**
आपदा घोषणा और योजना सक्रियण	सी.ओ.आर., समाहर्ता	• डीसीजी के परामर्श से ऑफ-साइट आपातकाल घोषित करें । और ऑफ-साइट आपातकालीन योजना को सक्रिय करें। • एलसीजी सक्रिय करें। • एलसीजी, डीसीजी, डीईओसी, यूटीईओसी और यूटीडीएमए के साथ तत्काल संचार स्थापित करें।
मोबिलाईज़ेशन और तैनाती	सी.ओ.आर., समाहर्ता, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, औद्योगिक विभाग. औद्योगिक संघ.	• प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न ईआरटी की तत्काल तैनाती की व्यवस्था करें। (पुलिस, आग, एस एंड आर, चिकित्सा आदि) • ऑफ-साइट क्षेत्रों से आपातकालीन निगरानी टीमों के आधार पर प्रत्युपाय शुरू होते हैं (जैसे आश्रय और चिकित्सा सहायता)। • प्रभावित /प्रभावित होने की संभावना वाले श्रमिकों और आबादी को सुरक्षित स्थानों पर निकालने की व्यवस्था करें। • शिविर में लोगों की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूटी मशीनरी की प्रणालियों को सक्रिय करें जब तक कि प्रभावित क्षेत्रों को मंजूरी मिलने और सुरक्षित घोषित करने के बाद लोग अपने घर वापस जाने की स्थिति में हों। • चिकित्सकों, ट्रायज अधिकारी, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों से युक्त क्यूआरएमटी तैनात करें।
	सी.ओ.आर., समाहर्ता, राजस्व विभाग, लो.नि.वि., नागरिक	• यह सुनिश्चित करने के लिए कि निकासी / राहत केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था पर्याप्त उपलब्धता के साथ की जाती है: ➢ खाद्य, ➢ जल,

कार्य	उत्तरदायित्व	क्रियाकलाप
	आपूर्ति विभाग. स्वास्थ्य विभाग. विद्युत विभाग. गृह विभाग, स्थानीय निकाय	➢ कंबल / कपड़े ➢ दवाएं ➢ प्रकाश ➢ स्वच्छता और स्वच्छता इत्यादि • व्यक्तियों (आपातकालीन उत्तरदाताओं / राहत टीमों) के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो राहत केंद्रों पर काम कर रहे हैं और राहत सामग्री के वितरण में शामिल हैं। • यह सुनिश्चित करने के लिए कि निकासी / राहत केंद्रों और प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था भी बनाए रखा जाए।
स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान करना	स्वास्थ्य विभाग.	• सुनिश्चित करें कि प्रभावित इलाकों में प्रभावित लोगों को आवश्यक चिकित्सा सहायता / सहायता और दवाएं / एंटीडोट प्रदान किए जाते हैं, साथ ही प्रभावित क्षेत्र में निकासी / राहत केंद्रों पर भी आवश्यक रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। • सुनिश्चित करें कि अस्पताल गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों से निपटने के लिए तैयार हैं। • ग्राम / जिला अस्पतालों में आवश्यक दवाओं, एंटीडोट्स, प्राथमिक चिकित्सा आदि के पर्याप्त स्टॉक रखें। • यदि आवश्यक हो, तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए ग्राम / जिला स्तर पर उपलब्ध डॉक्टरों / पैरामेडिक्स की सूची से डॉक्टरों / पैरामेडिक्स की मदद लें।
नागरिकों और मीडिया के लिए सूचना	सूचना विभाग, सी.ओ.आर., समाहर्ता	• रासायनिक हमले / आपदा की स्थिति में नागरिकों, मीडिया को उपयोगी, समय पर, सही, सुसंगत और उचित जानकारी प्रदान करने के लिए व्यवस्था करें। • सुनिश्चित करें कि समन्वयित प्रतिक्रिया के बारे में मीडिया / सामान्य जनता को जानकारी संगठित तरीके से जारी की जाती है।
मृतकों का निपटान	गृह विभाग. राजस्व विभाग. सी.ओ.आर., स्वास्थ्य विभाग. उद्योग विभाग. औद्योगिक संघ.	• मृतकों को निपटाने / सौंपने से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें: ➢ मृतकों की तस्वीरें ली जाती हैं, ➢ मृतकों की पहचान की जाती है, ➢ पोस्ट मोर्टम जहां कभी भी आवश्यक और संभव किया जाता है, ➢ अपने रिश्तेदारों को ज्ञात / पहचानने वाले व्यक्तियों के मृतकों को सौंपना, • अनधिकृत और अज्ञात मृतकों का निपटान
	पुशु चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय	• पशुपालन विभाग घायल होने वाले मवेशियों को चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करे । • स्थानीय निकायों / स्वास्थ्य विभाग की मदद से पशु शवों का निपटान।
पुलिस	सं.प्र.आ.प्र.प्रा. गृह विभाग. समाहर्ता	• प्रभावित क्षेत्रों के पास यातायात को नियंत्रित करें और हटाएं। • रासायनिक आपातकाल / आपदा के दौरान और निकासी केंद्रों पर घटना स्थल पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करें। • निकासी गए क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करें। **रासायनिक हमले के मामले में;** • कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) आपातकालीन प्रतिक्रिया में पुलिस की भागीदारी को निर्देशित करेंगे। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक एक **एकीकृत कमांड** का गठन करेगा। • कलेक्टर और एसपी आपदा के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत संघ प्रदेश स्तर नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करेंगे। • एसपी तुरंत जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के साथ संपर्क स्थापित करेगें । उन्हें एक स्थिति का अनुमान मिलेगा और पुलिस के लिए परिचालन आवश्यकताओं का आकलन हो सकेगा। • एसपी आवश्यकतानुसार तैनात किए जाने वाले आस-पास के जिलों में सभी पुलिस अधिकारियों और बलों को निर्देशित करेगें । एसपी यह सुनिश्चित करेगें कि जिला प्रशासन के साथ यातायात प्रबंधन, निकासी और कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध हैं। एसपी निकासी की आवश्यकता संबंधी चेतावनी की समीक्षा और प्रसार करेगें । वे पुलिस वायरलेस सेट के साथ अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं और उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा

कार्य	उत्तरदायित्व	क्रियाकलाप
		और स्वास्थ्य में मदद करेगें , ताकि आपात स्थिति में पहले उत्तरदाताओं के बीच लगातार संचार हो। • एसपी यह सुनिश्चित करेगें कि पुलिस बल अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य अधिकारियों की अनुमति के बिना आपदा के तहत क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। • बड़े विस्फोट और आग के मामले में, एसपी स्थिति का आकलन करेगें और तत्काल कारण के आकलन के आधार पर कार्य योजना का सुझाव देंगे । • एसपी खतरे के क्षेत्र से लोगों को निकालने के लिए पुलिस बल की तैनाती का आदेश देंगे । • एसपी क्षेत्र के बंदरगाह के लिए निर्देश भेज देंगे । लोगों को आपदा की साइट के करीब कहीं भी पहुंच की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। • एसपी क्षेत्र में यातायात प्रबंधन की समीक्षा करेंगे। प्राथमिक उद्देश्य घायल लोगों के परिवहन को अस्पताल ले जाना, आपातकालीन उत्तरदाताओं के लिए आसान पहुंच और खतरे के क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित करना होगा। • एसपी भी निर्देश जारी करेंगे कि सभी निजी और सार्वजनिक परिवहन (ट्रेनों और बसों) आपदा क्षेत्र से हटाए जाएंगे। • एसपी एसपी से संपर्क करेगें और आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर उसे अन्य जिले से पुलिस बल की तैनाती को व्यवस्थित करने के लिए कहेंगे। यूटीडीएमए /आईजीपी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों, और अन्य अर्धसैनिक बल से संपर्क करेगा, यदि आवश्यक हो तो उनकी तैनाती की तलाश करें। • एसपी कानून और व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करेंगे । वह यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित सावधानी बरतेंगे कि सार्वजनिक आदेश का अनुपालन किया जाए और कोई भी स्थिति का अनुचित लाभ नहीं ले।
अग्निशमन और खोज और बचाव	सचिव, उद्योग और अग्निशमन विभाग	• साइट पर जल्द से जल्द पहुंचें और स्थिति का आकलन करें। (रासायनिक रिसाव / स्पिल, कार्रवाई की गई और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी)। • आग के मामले में, उपयुक्त मीडिया के साथ आग बुझाना शुरू करें और ख्याल रखें कि आसपास के भंडार / टैंक गर्म न हों,ताकि 'डोमिनो प्रभाव' की संभावना कम हो। • रासायनिक रिसाव के मामले में, उचित पीपीई के उपयोग के साथ रिसाव को जोड़ने / रोकने की कोशिश करें। • सचिव, उद्योग आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों से फायर निविदाओं के पुनर्वितरण का समन्वय करेंगे। • सचिव, उद्योग आपदा की साइट पर अपने फायर ब्रिगेड की तैनाती के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के साथ समन्वय करेंगे। • जिला संकट समूह, जिला कलेक्टर और अन्य स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से यह सुनिश्चित करेगा कि सीएफओ फायर सर्विसेज, डीई। निदेशक - औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, प्रभारी अधिकारी पुलिस और स्वास्थ्य कार्मिक सभी पूर्ण समन्वय के साथ मिलकर काम करें । • जोखिम की खोज करें और पहचान करें और रिसाव / विषाक्त रिसाव के स्रोतों को रद्द करें। यदि कोई अस्पष्ट या अज्ञात पदार्थ या स्रोत की पहचान या पता चला है, तो टीम को आगे की जांच / विश्लेषण के लिए उन्हें तुरंत प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। • घटना की साइट से प्रभावित आबादी को खोजे और निकालें।
चिकित्सा सेवा	सं.प्र.आ.प्र.प्रा., जि.आ.प्र.प्रा., स्वास्थ्य विभाग. परिवार कल्याण विभाग. राजस्व विभाग.	1. सचिव - स्वास्थ्य और आपातकालीन चिकित्सा विशेषज्ञ डीसीजी को आवश्यक विशेषज्ञता और विशेष सेवाएं प्रदान करेंगे। 2. डीसीजी जिला प्रशासन से प्राप्त स्थिति अनुमान के आधार पर एक्सपोजर के स्तर पर विचार करेंगे । यह रासायन, इसकी एकाग्रता, एक्सपोजर की अवधि, और प्रभावित लोगों तथा स्वास्थ्य स्थिति की अंतर्निहित जहरीली क्षमता पर विचार करेगा। 3. प्रदूषण के स्तर और सीमा के बारे में जानकारी के आधार पर, यूटीडीएमए अखिल भारतीय रेडियो, दूरदर्शन और केबल टीवी के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सतर्कता और चेतावनी के मुद्दे पर फैसला करेगा। 4. डीसीजी संबंधित जिले के सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करेंगे और उनसे डॉक्टरों, नर्सों, दवाइयों और एम्बुलेंस समेत सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं को तैनात करने के लिए कहेंगे।

कार्य	उत्तरदायित्व	क्रियाकलाप
		5. डीसीजी क्षेत्र में प्रमुख अस्पतालों को सतर्क करेंगे, और उन्हें मरीजों के आने के लिए तैयार रहने के लिए कहेंगे। 6. अगर प्रदूषण की प्रकृति के कारण अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तो डीसीजी डीडीएमए को सूचित करेंगे और विशेषज्ञों, डॉक्टरों और उपकरणों की आवश्यक चिकित्सा सहायता मांगेंगे। भारत सरकार में आपातकालीन दवा के लिए प्रासंगिक एजेंसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) है। इन आकस्मिकताओं से निपटने के लिए डीजीएचएस ने आपातकालीन चिकित्सा राहत कक्ष स्थापित किया है। 7. डीसीजी नैदानिक सहायता सेवाओं की समीक्षा करेंगे: नैदानिक प्रयोगशाला, रक्त बैंक, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, पैरामेडिक्स, रेड क्रॉस, एनजीओ और स्वयंसेवी कर्मी । यह आवश्यकतानुसार डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, और रक्त और दवाओं के प्रावधान के जरिए आवश्यक चिकित्सा सहायता को व्यवस्थित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे । 8. डीसीजी स्थिति के लिए आवश्यक प्रशासनिक समर्थन की समीक्षा करेंगे, जिसमें पीड़ितों और कर्मियों के संचार, परिवहन, कर्मियों और मरीजों और आपूर्ति की आपूर्ति शामिल है। 9. डीसीजी मौत की संख्या और घायल व्यक्तियों की जानकारी, चोटों की प्रकृति और संभावित दीर्घकालिक परिणाम एकत्र करेंगे;। 10. डीसीजी को दीर्घकालिक परिणामों के आधार पर क्षेत्र की चिकित्सा आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए और लोगों को दीर्घकालिक आधार पर इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सा सुविधाओं को लैस करने के लिए कदम उठाने चाहिए। डीसीजी को दीर्घकालिक उपचार पर खर्च करने के लिए वित्तीय प्रावधान भी करना चाहिए।

आपदा के बाद जिम्मेदारियां

एक बार जब साइट पर स्थिति नियंत्रण में है, आग बुझ गई है; वायुमंडल में वाष्पों का उत्सर्जन प्रभावी रूप से जांच लिया गया है, निम्नलिखित कार्यों को एसआरटी की विभिन्न उप-टीमों और संबंधित लाइन विभागों के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा भी किया जाना चाहिए :

रिसाव/ विषाक्त रिसाव की खोज और जांच - खोज और जांच टीम जोखिम की पहचान करेगी और रिसाव / विषाक्त रिहाई के स्रोतों को निष्प्रभाव कर देगी। यदि कोई अस्पष्ट या अज्ञात पदार्थ या स्रोत की पहचान या पता चला है, तो टीम को आगे की जांच / विश्लेषण के लिए उन्हें तुरंत प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। टीम को आगे की जांच के लिए रेत, पानी, वायु और अन्य संक्रमित पदार्थों जैसे घटना के स्थल से नमूनों को भी संरक्षित करना चाहिए जो बाद में मामले को सुदृढ़ करने में सहायता कर सकता है।

आग और आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग यदि आवश्यक हो तो गतिविधियों को पूरा करने में खोज और जांच दल द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है ।

आग या विस्फोट के बाद संरचनात्मक निरीक्षण - एक बड़ा विस्फोट कई इमारतों और किसी नजदीकी पुल या सुरंगों को नुकसान पहुंचा सकता है या नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार बड़ी आग से आसपास के इलाकों में इमारतों और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता हैं। दोनों ही मामलों में, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त इमारतों के निवासी / मालिक जानना चाहेंगे हैं कि मरम्मत के इंतजार के दौरान संरचनाएं सुरक्षित हैं या नहीं। यातायात जटिलताओं से बचने के लिए राजमार्ग या रेलवे पुलों की सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों को भी हल किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन मामलों में सामान्य सुरक्षा उपकरणों के अतिरिक्त निरीक्षण कर्मी विशेष सावधानी बरतें (यानी, रासायनिक सुरक्षात्मक गियर) जहां संरचना खतरनाक अवशेषों से दूषित हो सकती है।

पीडब्ल्यूडी / ओआईडीसी / डीएमसी विभाग के संरचनात्मक विशेषज्ञों के साथ अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी को आग या विस्फोट के बाद क्षतिग्रस्त इमारतों, पुलों या अन्य संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

खोज, बचाव और निकासी - घटना स्थल के आसपास और आसपास की इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार तकनीकी कर्मियों से आगे बढ़ने की अनुमति के बाद खोज और निकासी टीम को अपना काम करना चाहिए और प्रभावित जनसंख्या को दुर्घटना से निकालना चाहिए । उन्हें सूचना अधिकारी को बचाव और निकासी की स्थिति (अस्थायी आश्रय की जगह सहित) के बारे में जानकारी देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम जनता के बीच ऐसी कोई अफवाह न फैले जिससे कोई आतंक न फैले । पुलिस कर्मियों की मदद से टीम को आम जनता को खतरे के क्षेत्र की ओर बढ़ने से रोकना चाहिए। टीम को निकासी मार्ग, प्राथमिक चिकित्सा और निर्जलीकरण क्षेत्र से संबंधित लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। उन्हें पीड़ितों को पास के अस्पतालों में भागने में मेडिकल टीम की भी मदद करनी चाहिए ।

संदूषण के लिए घटना उपरांत जांच- संदूषण निरोधी टीम प्रभावित क्षेत्र, आबादी, एसआरटी के सदस्यों और घटना के दौरान ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को संदूषण मुक्त करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अलावा, प्रभावित जनसंख्या के लिए संदूषण मुक्त कक्षों को स्थापित करने के लिए टीम को जिम्मेदार भी होना चाहिए। ऑपरेशन पूरी तरह से पूर्ण होने के बाद, टीम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइट पूरी तरह से जहरीले पदार्थों से मुक्त है । टीम को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संदूषण मुक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी जन-निकास प्रणाली के जरिए सही तरीके से निकास हो जाए ।

संघ प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूटीपीसीबी), अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं और पास के औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ चिकित्सा दल के कर्मियों के तकनीकी कर्मियों को संदूषण निरोधी टीम को अपना कर्तव्य पूरा करने में मदद करनी चाहिए। इसके अलावा, टीम संभावित रासायनिक संदूषण के लिए फसलों, पानी (जमीन और सतह), घरों, संग्रहीत खाद्य पदार्थों और जानवरों की भी जांच करेगी ।

पीड़ितों को चिकित्सा और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना - चिकित्सा टीम को घटना के पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करनी चाहिए। यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो टीम को अस्पताल के अस्पताल के कर्मचारियों की भी मदद करनी चाहिए जहां पीड़ितों को घटना स्थल से ले जाया जाएगा। उन्हें पीड़ितों की जॉंच के स्तर पर उनकी सांस लेने और नाड़ी की जांच करके निगरानी करनी चाहिए। आपदा के दौरान उपयोग किए जाने वाले पदार्थों / रसायनों के आधार पर उन्हें संदूषण मुक्त (या तो गीला या सूखा) के प्रकार पर भी निर्णय लेना चाहिए। टीम को आघात के मामलों की पहचान भी करनी चाहिए और उन्हें उचित सलाह देना चाहिए।

वैकल्पिक जल आपूर्ति का प्रावधान - ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिनके तहत एक समय के लिए मानव उपभोग के लिए एक पीने योग्य जल आपूर्ति अनुपयुक्त हो सकती है और प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर पानी ले जाने में सक्षम बोतलबंद पानी और / या टैंकर / ट्रेलरों की आपूर्ति लाने के द्वारा पूरा किया जाता है। जिला प्रशासन को प्रभावित आबादी द्वारा उपभोग के साथ-साथ घटना स्थल पर लगे पहले उत्तरदाताओं के उपभोग के लिए पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

खाली कराए गए क्षेत्रों में पुनः प्रवेश - साइट पर स्थिति के आकलन के आधार पर, डीसीजी आपातकाल समाप्त होने पर निर्णय लेगा। हालांकि, इस निर्णय लेने से पहले प्रभावित क्षेत्रों / विभागों में संबंधित टीमों / विभागों के माध्यम से कई

अन्य कार्रवाइयों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए जैसे प्रभावित क्षेत्रों / भवनों में बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति बहाल करना, प्रभावित आबादी को अस्थायी आश्रयों से वापस लाने, कानून व्यवस्था के बहाली के लिए परिवहन व्यवस्था ।

6.6: **महामारी**

हालांकि, वर्ष 1947 के बाद से दमन और दीव के किसी भी महामारी का इतिहास नहीं है, फिर भी आपदा प्रबंधन योजना किसी भी अप्रत्याशित घटना का ख्याल रखने के लिए तैयार की गई है।

महामारी के दौरान प्रमुख जिम्मेदार व्यक्तियों और संबंधित विभागों (स्वास्थ्य और स्वच्छता) पर निहित है। एक्शन कार्ड्स जिला स्वास्थ्य संगठन के प्रत्येक सदस्य और आपदा प्रबंधन में शामिल प्रमुख अस्पताल कर्मचारियों और स्वास्थ्य श्रमिकों जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सरकारी अस्पताल के अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग कर्मियों, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों द्वारा जिम्मेदार महत्वपूर्ण अस्पताल कर्मचारियों द्वारा विस्तारित जिम्मेदारियों और कार्यों का वर्णन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

सभी कार्यों को क्रमिक क्रम में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए: मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

प्रारंभिक अलर्ट:

अस्पताल / सीएमओ के अधीक्षक को दुर्घटना से सतर्क होने की जरूरत है, अगर प्रभावित क्षेत्र निकट है या उसे टेलीफोन या किसी व्यक्ति के माध्यम से जानकारी मिल सकती है। जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रभावित वयक्तियों, प्रभाव की प्रकृति और जोखिमग्रस्त आबादी के बारे में विवरण इकट्ठा करना चाहिए। यह अपेक्षित तैयारी के लिए उपयोगी होगा।

चिकित्सा राहत के लिए अस्पताल की तैयारी:

रेडियोलॉजी, ओटी, ब्लड बैंक, प्रयोगशाला, मेडिकल स्टोर, और एम्बुलेंस इत्यादि जैसे विभागों के प्रमुख कर्मियों को अधिसूचित किया गया है। कर्मचारियों की 165 अधिकतम संख्या आपदा के 10 मिनट में उपलब्ध होनी चाहिए। मैट्रॉन या सीनियर नर्सिंग स्टाफ को प्रभावित होने के लिए वार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। बिस्तर की सुविधा के विस्तार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

• सभी उपलब्ध स्थान जैसे गलियारे, व्याख्यान हॉल इत्यादि का उपयोग करें।

• मामूली मामलों को छोड़ना।

• अन्य अस्पतालों में मामलों को स्थानांतरित करें।

• नजदीकी इमारतों का अधिग्रहण।

कमांड न्यूक्लियस तुरंत तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें अस्पताल अधीक्षक, मैट्रॉन या सीनियर नर्सिंग स्टाफ, आरएमओ और दुर्घटना तेल आईसर शामिल हैं। । प्रमुख व्यक्तियों को मामलों के प्रबंधन के लिए नैदानिक सिद्धांतों के बाद पता होना चाहिए।

• **मरीजों का प्रवेश**: - रोगियों को आयु और लिंग के बावजूद एक ही वार्ड में रखा जा सकता है ताकि पूरा ध्यान केंद्रित किया जा सके और संसाधनों का वैकल्पिक रूप से उपयोग किया जा सके।

• **नैदानिक सेवाएं**: - सभी रोगियों के लिए नियमित रूप से रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल परीक्षाएं नहीं की जानी चाहिए।

• **गंभीर रोगों की छंटाई** : - इसे क्रमशः I, II और III जैसे क्रमशः गंभीर और गंभीर रूप से बीमार, मामूली बीमार और मामूली बीमारी के क्रमबद्ध करके वर्गीकृत करने के लिए प्राथमिकता देने के लिए किया जाना चाहिए।

प्रभावित क्षेत्र की यात्रा

निदेशक (चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा) सीएमओ को तुरंत जैविक आपदा की प्रकृति और सीमा के आधार पर आवश्यक चिकित्सा पैरामेडिकल श्रमशक्ति, दवाइयों और सामग्री के साथ प्रभावित क्षेत्र में जाना चाहिए। चिकित्सक, रोगविज्ञानी और महामारीविज्ञानी की टीम नैदानिक निदान और महामारी विज्ञान विश्लेषण के लिए उनके साथ हो सकती है ।

कार्मिक की जांच-सूची में शामिल हैं: -

• विशेषज्ञों सहित डॉक्टर,

• नर्स

• फार्मासिस्टों,

• प्रयोगशाला तकनीशियन,

• वार्ड बॉय, आया, स्वीपर,

• वाहन चालक, लिपिक कर्मचारी,

• स्वास्थ्य कर्मियों और पर्यवेक्षकों जैसे फील्ड कर्मियों, एंटोमोलॉजिस्ट, जीवविज्ञानी,
कीट कलेक्टर ।

स्वास्थ्य विभाग ने एक तीव्र प्रतिक्रिया दल गठित की है जो महामारी को खत्म करने और इसके प्रकोप के कारण की जांच करने के लिए कदम उठाएगी।

जिला तीव्र प्रतिक्रिया दल की संरचना निम्नानुसार है: -

1. निदेशक, डीएमएचएस
2. उप निदेशक, डीएमएचएस
3. पीडी (एड्स)
4. एसएसओ (आईडीपी)
5. खाद्य निरीक्षक
6. जूनियर केमिस्ट, खाद्य प्रयोगशाला
7. एंटोमोलॉजिस्ट (आईडीपीएस)
8. प्रभावित क्षेत्रों के एलएचवी / एएनएम / बीएचडब्ल्यू।

अध्याय: 7: - पुनर्वास और पुनर्निर्माण

पुनर्निर्माण और पुनर्वास गतिविधियों उत्तर-आपदा चरण के तहत आते हैं। वर्तमान में, इस चरण की गतिविधियां प्राथमिक रूप से स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, जिला, तालुका, नगर पालिकाओं आदि) और विभिन्न सरकारी विभागों और बोर्डों द्वारा की जाती हैं। हालांकि, इस चरण में उनकी गतिविधियां कार्यान्वयन प्राधिकरणों के संयोजन के साथ ,UTDMA द्वारा बनाई गई पुनर्निर्माण और पुनर्वास योजनाओं के अनुसार होंगी।

पुनर्निर्माण और पुनर्वास योजना विशेष रूप से सबसे खराब स्थिति परिदृश्य के लिए तैयार की गई है। यह एल 3 प्रकार की आपदा के मामले में सक्रिय की जाती है जिसमें संघ प्रदेश और जिला प्राधिकरणों की क्षमता के अभिभूत हो गई है और संघ प्रदेश में सामान्य स्थिति को पुन: बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता की आवश्यकता है।

इस चरण में महत्वपूर्ण गतिविधियां नीचे दी गई हैं;

विस्तृत क्षति मूल्यांकन: - जबकि, आपदा चरण के दौरान प्रारंभिक क्षति का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन पुनर्निर्माण और पुनर्वास गतिविधियों को शुरू करने से पहले एक विस्तृत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। संबन्धित सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकरण प्रभावित क्षेत्रों में आवास, उद्योग / सेवाओं, बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य / शिक्षा संपत्तियों में हुए नुकसान के लिए अपने संबंधित स्तर पर विस्तृत मूल्यांकन शुरू करेंगे।

घरों और आवासीय इकाइयों को बहाल करने में सहायता

संघ प्रदेश प्रशासन, यदि आवश्यक हो, तो क्षतिग्रस्त घरों और आवासों को बहाल करने के लिए प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सहायता की नीति तैयार करेगा। इसे न तो नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में माना जाना चाहिए और न ही स्वत: हकदारी के रूप में।

पुनर्वास (आवश्यकता आधारित)

संघ प्रदेश प्रशासन लोगों को आवश्यकता आधारित कारणों से न कि अप्रासंगिक कारणों से स्थानांतरित किये जाने पर विचार करते है ।

स्थानांतरण प्रयासों में ऐसी गतिविधियां शामिल होंगी:

• प्रभावित आबादी की सहमति प्राप्त करना

•भूमि अधिग्रहण

• शहरी / ग्रामीण भूमि उपयोग योजना

• स्थानांतरण स्थान संकुल

• स्थानांतरण के लिए उचित कानूनी मंजूरी प्राप्त करना

• पुनर्वास के लिए आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त करना

• जहां भी आवश्यक हो, स्थानांतरित समुदायों के लिए आजीविका पुनर्वास उपायों

पुनर्निर्माण और पुनर्वास योजना को अंतिम रूप देना

किसी भी पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रभावशीलता प्रासंगिक परियोजनाओं की विस्तृत योजना और सावधानीपूर्वक निगरानी पर आधारित है। यूटीडीएमए पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों की देखरेख करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि यह राज्य के लिए समग्र विकास योजनाओं को ध्यान में रखेगा। यूटीडीएमए पुनर्निर्माण और पुनर्वास परियोजनाओं को इस पर आधारित करेगा:

प्रासंगिक विभागों द्वारा उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान;

प्रासंगिक तकनीकी प्राधिकरण द्वारा परियोजना विवरण और अनुमोदन।

फंड जुटाना

पुनर्निर्माण और पुनर्वास परियोजना काफी संसाधन आधारित हैं। संघ प्रदेश प्रशासन फंड जुटाव तंत्र को अंतिम रूप देगा, जिसमें समझौते और उपायों को शामिल किया जाएगा जो फंड प्रवाह और वितरण और उपयोग को नियंत्रित करते हैं। यह भी शामिल है:

• क्षेत्रीय और क्षेत्रीय प्रमुखों के तहत विस्तृत क्षति मूल्यांकन रिपोर्ट और समेकन के आधार पर आवश्यक धनराशि का आकलन;

• फंडिंग एजेंसियों के साथ अनुबंध और फंड प्रवाह और संबंधित अनुबंधों के लिए विस्तृत ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं का विकास करना।

फंड संवितरण और लेखा परीक्षा

• वित्त पोषण एजेंसियों से उठाए गए धन आमतौर पर कड़े संवितरण और उपयोग प्रतिबंधों के साथ होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस समझौते में से कोई भी उल्लंघन नहीं किया जाता है, इस तरह के निधियों के वितरण पर निगरानी रखना महत्वपूर्ण है। यूटीडीएमए, प्रासंगिक एजेंसियों के संयोजन के साथ, धन के वितरण की निगरानी करेगा:

अनुमोदित परियोजनाओं में संसाधन आवंटन को प्राथमिकता देना;

निधि संग्रह के लिए तंत्र स्थापित करना (बैंकों की एक श्रृंखला, संग्रह केंद्र, खातों की प्रकृति, विस्तार आदि);

वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन में फंड उपयोग पर निरंतर निगरानी और नियंत्रण।

परियोजना प्रबंधन

• चूंकि पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयास में आम तौर पर कई संस्थाओं के समन्वित प्रयास शामिल होते हैं, संघ प्रदेश प्रशासन संबंधित प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि संस्थाओं में और भीतर समन्वय कुशलतापूर्वक प्रबंधित की जा सकें। इसके अलावा, तकनीकी विनिर्देशों और लाभार्थियों की संतुष्टि के अनुसार परियोजना को समय पर निष्पादित करने के लिए गतिविधि पर लगातार निगरानी रखना भी आवश्यक है। यूटीडीएमए, प्रासंगिक सरकारी विभागों के संयोजन के साथ, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई पुनर्निर्माण गतिविधि की निगरानी करेगा। विशिष्ट कार्यान्वयन गतिविधियों में शामिल होंगे:

- आपदा प्रमाणन और घरों का पुनर्निर्माण;
- आपदाओं के कारण सड़कों, पुलों, बांधों, नहरों आदि सहित संरचनाओं का निर्माण / पुनर्निर्माण;
- बुनियादी बुनियादी सुविधाओं की बहाली, उदाहरण के लिए, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली स्टेशनों आदि;
- स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, अस्पतालों, डॉक्टरों और सर्जनों के समूह आदि का निर्माण;
- प्रभावित क्षेत्र की औद्योगिक व्यवहार्यता की बहाली;
- आजीविका की बहाली।

सूचना, शिक्षा और संचार

प्रस्तावित पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रयासों के दायरे और प्रकृति को बड़े समुदाय तक पहुँचाने के लिए संचार गतिविधियां आवश्यक हैं, ताकि हितधारकों की जागरूकता बढ़ाने और जारी गतिविधियों के लिए खरीदारी में वृद्धि हो सके। इसलिए, यूटीडीएमए और प्रासंगिक सरकारी विभाग, जिला प्रशासन और स्थानीय प्राधिकरण कार्य करेंगे:

• जारी मीडिया प्रबंधन / जनसंपर्क: विभिन्न हितधारकों को पुनर्निर्माण और पुनर्वास उपायों के सटीक संचार सुनिश्चित करने के लिए;

• सामुदायिक प्रबंधन: इसमें प्रभावित समुदायों को उनके स्थानांतरण / पुनर्वास / पुनर्निर्माण के प्रयासों के मूल्यांकन के दृष्टिकोण के साथ संवाद करना शामिल है;

• प्रतिक्रिया तंत्र: पुनर्निर्माण और पुनर्वास उपायों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संचार नेटवर्क का उपयोग करना।

विवाद समाधान तंत्र

यूटीडीएमए, प्रासंगिक एजेंसियों के संयोजन के साथ, विभिन्न स्तरों पर लाभार्थी शिकायतों को संबोधित करने के लिए तंत्र को संस्थागत करेगा, साथ ही पुनर्निर्माण पहलों में समुदाय को शामिल करने जैसे विवाद न्यूनीकरण के अभिनव तरीकों का पता लगाएगा। सहायता के दुरुपयोग को रोकने हेतु झूठे दावों से निपटने के लिए जुर्माना के साथ उचित तंत्र विकसित किया जाएगा।

पुनर्निर्माण लागत की वसूली के लिए पहलों को लागू करना
संघ प्रदेश प्रशासन चुनिंदा वसूली उपायों को अंतिम रूप देगा और कार्यान्वित करेगा जैसे कि:

• कर अधिभार ऊगाही (केंद्रीय) लगाना ;

• स्थानीय कर लगाना ;

• लाभार्थियों आदि द्वारा निधि जिम्मेदारी साझा का सरलीकरण ।

अध्याय: 8: - योजना प्रबंधन

परिचय

योजना अनुरक्षण आवधिक आधार पर योजना को अद्यतन करने की एक गतिशील प्रक्रिया है। योजना को बनाए रखने का आधार नमूना अभ्यास करना है और नमूना अभ्यास के नतीजे के रूप में सीखे गए पाठ के आधार पर योजना को अद्यतन करना जिसमें खामियों का पता लगाने और इसके लिए एक प्रणाली तैयार करना शामिल है।

योजना परीक्षण

राहत आयुक्त, राजस्व विभाग डीएमए अधिनियम, 2005 में प्रदान की गई संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन योजना तैयार, समीक्षा और अद्यतन करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन ड्रिल और अभ्यास समय-समय पर किए जाते हैं। योजना को अद्यतन करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर हर साल सीओआर द्वारा विचार किया जाना चाहिए:

i) योजना परीक्षण के हिस्से के रूप में अभ्यास और नमूना अभ्यास के परिणाम का गंभीर विश्लेषण।

ii) अंतराल की पहचान और उन्हें भरने के उपायों के माध्यम से नमूना अभ्यास के परिणाम के रूप में अद्यतन योजना में सीखे गए पाठों का समावेश।

वर्ष में एक बार नियमित आधार पर योजना का पूरी तरह से परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। योजना परीक्षण को हर साल मार्च के महीनों में पहले सोमवार को अधिमानतः आयोजित किया जाना चाहिए। योजना परीक्षण और सीखे गये सबक को शामिल करने के बाद, सीओआर को निम्नलिखित अधिकारियों को योजना की एक संशोधित और अद्यतन प्रति भेजनी चाहिए:

(ए) गुजरात सरकार के मुख्य सचिव

(बी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(सी) प्रधान सचिव, राजस्व विभाग

(डी) सभी लाइन विभागों के प्रमुख।

(ई) राज्य ईओसी

(एफ) जिला ईओसी

(जी) ईआरसी

(एच) आईएमडी

(आई) सीडब्ल्यूसी / एसीडब्ल्यूसी

योजना परीक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं:

(i) बैक अप सुविधाओं और प्रक्रियाओं की व्यवहार्यता और संगतता का निर्धारण करना ।

(ii) संशोधन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना ।

(iii) प्रमुख हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना ।

(iv) आपदाओं का सामना करने के लिए संगठन / विभाग की क्षमता का मूल्यांकन करना ।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना में विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के सभी विभागों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए कि उनके विभाग के सभी अधिकारी जिन्हें अति विशिष्ट भूमिका निभानी है, वे अपनी जिम्मेदारियों / कार्यों से पूरी तरह से अभिज्ञ हैं।

सूचना-प्राप्ति और मूल्यांकन-मॉक ड्रिल

• नमूना अभ्यास के बाद, सूचना-प्राप्ति और मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। यह अति महत्वपूर्ण है कि ये अंतर्दृष्टि प्रतिभागियों (जो व्यायाम में भाग लेती हैं) से एकत्र की जाती हैं और योजना संशोधित करने के लिए उपयोग की जाती हैं।

• हॉट डिब्रीफिंग बहुत प्रभावी है क्योंकि यह व्यायाम के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें योजना की सिफारिशों और सुधारों के संदर्भ में दस्तावेज भी शामिल है।

• नमूना अभ्यास से सीखे गए सबक वास्तविक घटनाओं के समान होने की संभावना है। एकमात्र बड़ा अंतर यह है कि व्यायाम नियंत्रित घटनाएं होती हैं, विशेष रूप से प्रक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं और ध्वनि / कार्य करने योग्य व्यवस्था होने तक उन्हें बार-बार दोहराया जा सकता है।

योजना की समीक्षा / अद्यतनीकरण

• संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा अप्रैल के महीने तक नियमित रूप से की जानी चाहिए और नियमित रूप से अद्यतन की जानी चाहिए:

(ए) ड्रिल और अभ्यास

(बी) सभी विभागों से उनकी वार्षिक डीएम रिपोर्ट में सिफारिशें

(सी) अन्य राज्यों और देशों में किसी भी आपदा घटना से सीखा गया सबक

(डी) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, आदि से दिशानिर्देश

यूटीडीएमए और अन्य सभी संबंधित विभाग सीखने और अपने अनुभवों को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न हितधारकों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे अनुभव संघ प्रदेश आपदा प्रबंधन योजना के अद्यतनीकरण के लिए रचनात्मक रूप से योगदान दे सकें।

अध्याय: 9: - अन्य शेयरधारकों के साथ साझेदारी

आपदा प्रबंधन एक समावेशी क्षेत्र है और आपातकालीन स्थिति के प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए सभी हितधारकों से योगदान की आवश्यकता होती है । वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

ऐसी विभिन्न एजेंसियां / संगठन / विभाग और प्राधिकरण हैं जो विभिन्न आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों / गतिविधियों को लागू करने के लिए एक कोर नेटवर्क बनाते हैं। इसमें अकादमिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन भी शामिल हैं जिनके आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।

एनडीएमए

• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) पर भारत सरकार के शीर्ष निकाय के रूप में, डीएम के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने और आपदाओं पर समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वयित करने की ज़िम्मेदारी है।

• दिशानिर्देश केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को अपनी संबंधित योजनाओं को तैयार करने में सहायता करते हैं। यह राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) द्वारा तैयार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं को भी मंजूरी देता है।

• खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा से निपटने के लिए आपदाओं की रोकथाम या शमन, या तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे आवश्यक अन्य उपाय करसकते हैं, जैसा कि ये जरूरी समझें ।

यह शमन और तैयारी उपायों के लिए धन के प्रावधान और आवेदन की भी निगरानी करता है। इसमें खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा में बचाव और राहत के लिए प्रावधानों या सामग्रियों की आपातकालीन खरीद करने के लिए संबंधित विभागों या अधिकारियों को अधिकृत करने की शक्ति है। यह अन्य देशों को आपदाओं के समय में भी समर्थन प्रदान करता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

• केंद्र सरकार के माध्यम से वित्त पोषित किए जा रहे विभिन्न परियोजनाओं / योजनाओं को लागू करने के लिए संघ प्रदेश एनडीएमए के संपर्क में रहता है। संघ प्रदेश भी समय-समय पर विभिन्न खतरों के लिए डीडी योजनाओं और एनडीएमए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में एनडीएमए का मूल्यांकन करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

• एनआईडीएम के पास अन्य शोध संस्थानों के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय स्तर की सूचना आधार के प्रशिक्षण, अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण और विकास के साथ-साथ अपनी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक के रूप में क्षमता विकास है। यह अन्य ज्ञान-आधारित संस्थानों के साथ नेटवर्क करता है और एनडीएमए द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों के भीतर कार्य करता है।

• यह संबंधित राज्य / संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से अंतिम रूप से प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षकों, डीएम अधिकारियों और अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण का आयोजन करता है।

6. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ)

• एक आपदाजनक स्थिति या आपदाओं / आपातकाल दोनों प्राकृतिक और मानव निर्मित उत्पत्ति के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के गठन को अनिवार्य कर दिया है।

• इस बल के सामान्य अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण को एनडीएमए द्वारा निहित और प्रयोग किया जाता है और सेना के आदेश और पर्यवेक्षण को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी में नागरिक रक्षा और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में निहित किया जाता है।

• एनडीआरएफ इकाइयां नामित संघ प्रदेश प्रशासन के साथ निकट संपर्क बनाए रखती हैं और किसी भी गंभीर खतरनाक आपदा स्थिति की स्थिति में उनके लिए उपलब्ध हैं।

• संबंधित बलों के एनडीआरएफ बटालियनों से कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए संबंधित अर्धसैनिक बलों द्वारा प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं और राज्य / संघ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। एनडीआरएफ इकाइयां संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा उनके संबंधित स्थानों में पहचाने गए सभी हितधारकों को बुनियादी प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा, संघ प्रदेश प्रशासन आपातकालीन खोज, बचाव और प्रतिक्रिया के दौरान आवश्यक होने पर एनडीआरएफ की सेवाओं का भी उपयोग करता है।

6.4 सशस्त्र बल

• संकल्पनात्मक रूप से, सशस्त्र बलों को केवल नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए बुलाया जाता है जब स्थिति यूटी प्रशासन की मुकाबला क्षमता से परे होती है। वास्तव में, हालांकि, सशस्त्र बलों संघ प्रदेश प्रशासन प्रतिक्रिया क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सभी गंभीर आपदा स्थितियों में तत्काल उत्तरदाता हैं।
• किसी भी प्रतिकूल चुनौती, परिचालन प्रतिक्रिया की गति और संसाधनों और क्षमताओं को पूरा करने की उनकी व्यापक क्षमता के कारण, सशस्त्र बलों ने ऐतिहासिक रूप से आपातकालीन सहायता कार्यों में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इनमें संचार, खोज और बचाव अभियान, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, और परिवहन, विशेष रूप से आपदा के तत्काल बाद में शामिल हैं। एयरलाइफ्ट, हेली-लिफ्ट और पड़ोसी देशों को सहायता की आवाजाही मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की विशेषज्ञता और डोमेन के भीतर आती है।
• सशस्त्र सेना प्रशिक्षकों और डीएम प्रबंधकों को विशेष रूप से सीबीआरएन पहलुओं, उच्च ऊंचाई बचाव, वाटरमैन जहाज और पैरामेडिक्स के प्रशिक्षण में प्रशिक्षण देने में भी भाग लेती है। यूटी और जिला स्तर पर, सशस्त्र बलों के स्थानीय प्रतिनिधियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं में निकट समन्वय और एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्यकारी समितियों में शामिल किया गया है।

भारतीय रेल

• भारतीय रेलवे 63000 मार्ग किलोमीटर से अधिक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है । अन्य देशों के विपरीत जहां आपदा की स्थिति में रेलवे की भूमिका, यातायात को समाशोधन और बहाल करने के लिए प्रतिबंधित है, हमारे देश में भारतीय रेलवे बचाव और राहत कार्यों को संभालती है। रेलवे को लोगों के आवागमन और थोक में राहत सामग्री पहुंचाने दोनों के लिए परिवहन के माध्यम से प्राथमिकता दी जाती है।
• रेलवे को अपने आपदा प्रबंधन योजना में जन समुदाय के परिवहन और राहत सामग्री के उचित प्रबंधन (विशेष ट्रेनों के जरिए, यदि आवश्यक हो) के लिए प्रावधान होना चाहिए ।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी)

• मौसम विभाग ने अवलोकन, संचार, भविष्यवाणी और मौसम सेवाएं संचालित की हैं। आईएमडी भारत में पहला संगठन भी था जिसके अपने वैश्विक डेटा एक्सचेंज का समर्थन करने के लिए संदेश स्विचिंग कंप्यूटर था।
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से, आईएमडी भारतीय उपमहाद्वीप की मौसम निगरानी के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (आईएनएसएटी) का भी उपयोग करता है, जो अपने भूगर्भीय उपग्रह प्रणाली को विकसित और बनाए रखने के लिए विकासशील देश का पहला मौसम ब्यूरो है ।
• चक्रवात और बाढ़ के मौसम के दौरान, संघ प्रदेश प्रशासन मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए आईएमडी - अहमदाबाद कार्यालय के साथ घनिष्ठ संपर्क रखता है।
• संघ प्रदेश में होने वाले भूकंप जो रिक्टर स्केल पर 3.0 और उससे अधिक की तीव्रता के हैं, उनके बारे में आईएमडी द्वारा तुरंत संघ प्रदेश प्रशासन को सूचित किया जाता है।

आईएनसीओआईएस

• भारतीय महासागर सूचना सेवा राष्ट्रीय केंद्र (आईएनसीओआईएस) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक राष्ट्रीय एजेंसी है। यह तटीय और महासागरीय सूचना सेवाएं प्रदान करता है, जो देश में उन्नत समुद्री विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के अलावा बंदरगाहों, मत्स्यपालन, नौवहन, मौसम विज्ञान, पर्यावरण, किनारे और तटीय क्षेत्र प्रबंधन जैसे विकास और परिचालन क्षेत्रों का समर्थन करता है।

• आईएनसीओआईएस सागर सतह तापमान (एसएसटी), क्लोरोफिल, संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र (पीएफजेड) सलाहकारों, तेल फैलाने की निगरानी, आर्थिक परिवहन मार्गों का पूर्वानुमान, और भारतीय तट के साथ रहने वाले क्षेत्रों के निकट वास्तविक समय की जानकारी दूर-संवेदी और परंपरागत रूप से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके उत्पन्न करता है और प्रसारित करता है ।

• प्रसार के लिए प्रस्तावित पैरामीटर में पवन, लहर, वर्तमान, मिश्रित परत गहराई, गर्मी बजट और कोरल रीफ, मैंग्रोव, किनारे रेखा परिवर्तन और भूमि उपयोग पैटर्न पर नक्शे शामिल हैं। इस प्रकार, आईएनसीआईएस, महासागर सूचना सेवाओं के माध्यम से तटीय और महासागर क्षेत्रों के सतत विकास के लिए देश का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• आईएनसीओआईएस पहले ही सुनामी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित कर चुका है जिसके माध्यम से यह तटीय क्षेत्र को सतर्क करता है जब भी उच्च परिमाण का समुद्र के भीतर का कोई भूकंप जिसके द्वारा सुनामी होने की क्षमता वाले समुद्र के भीतर उच्च परिमाण के भूकंप की सूचना मिलती है ।